



सच्चिदानन्द वात्स्यायन

# युग सच्चिदां पर



सरस्वती विहार

**मूल्य . पचीस रुपये (25 00)**

© सच्चिदानन्द वात्स्यायन • 1981

प्रथम संस्करण : 1981

प्रकाशक | सरस्वती विहार  
जी० टी० रोड, शाहदरा  
दिल्ली-110032

---

**YUGA SANDHIYON PAR (Essays)**

by Sachchidanand Vatsyayan

---

बन्धुवर  
भगवतोसरणा सिंह को  
सप्रीत



## पुरोवाक्

ये सभी लेख समझग एक-एक प्रख्याते के अन्तराल से साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपते रहे, यहाँ भी प्रायः उसी क्रम में रखे गये हैं जिस क्रम में प्रकाशन हुआ था। वेवन एक लेख स्थानात्मक विषय गया है वयों कि विषय-वस्तु के सम्बन्ध के बारण उसे एवं अन्य लेख के साथ रखना ठीक जान पड़ा।

इन लेखों को ठीक समकालीन टिप्पणियाँ तो नहीं कहा जा सकता, पर वे अपने समय के कुछ जीवन्त प्रश्नों पर एक लेखक वे विचारों, चिन्ताओं और मन्त्रालयों वौं अवध्य प्रकट करते हैं। इम ढंग की लेखमाला लिखना भी मैंने इसीलिए स्वीकार विषय कि इस वे सहारे मुझे दो काम होते दीखे। एक तो इन के द्वारा मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने विचार और नहीं तो खुद अपने सामने रखा कर के रख सकूँगा और उन में मे जिन के पुनर्परीक्षण वी जहरत जान पड़ेंगी उन पर आगे सौच सकूँगा। दूसरे उन विचारों को एक वहे लोक-समाज के सामने रख सकूँगा जिस तक वे प्रायः पहुँचाये नहीं जाते। यह तो हो सकता है कि उस बहुतर समाज के सभी सदस्य गम्भीरता से गोचने वाले न भी हो, फिर भी एक समवालीन सत्ता के रूप में वह समाज महत्व रखता है और उसकी प्रतिक्रियाओं से लेखक कुछ भी ख भी सबता है। आज वे 'लोकप्रिय' साप्ताहिक प्राप्त ऐसे प्रश्न उस समाज के सामने नहीं रहते या मरते और सतही बना बर रहते हैं, इस आधार पर ऐसा भी सौचा जा सकता है कि ऐसे पत्र उपयुक्त माध्यम नहीं हैं। पर दूसरी ओर ऐसे प्रकाशन ऐ ही मेरे हरा विद्वान् भी परीक्षा हो सकती थी कि हिन्दी के पाठ्य-समाज की एवं और समझ उत्तरी पठिया और छिपली नहीं है जितनी ऐसे पत्रों के मालिक मान बर चलते हैं, कि सरे ढंग से पेश की गयी सरी बात वह समझता और पसंद बरता है, उस के बारे में शोचता है और अपनी राय बनाता है।

ये सेव देश में दूर-दूर तर पड़े गये और तरह-तरह भी प्रतिक्रियाओं के

निमित्त भी बने, इन से पाठ्य-वर्ग में लेखक की अदा पुष्ट ही हुई। उसे यह सत्तोप भी मिला कि न केवल ये प्रश्न और भी बहुत मे लोगों को उद्देशित करते हैं बल्कि उन्हें वारे में लेखक के विचार समाज के एक बड़े वर्ग में द्वारा अनुमोदित भी हैं। इस वैचारिक सम्पूर्णित का लेख के लिए वित्तना महत्व होता है यह सोचा जा सकता है, भरे लिए उस का अतिरिक्त मूल्य है, यह भी इन के पाठ्य समझ सर्वेंगे।

इन्हीं प्रतिक्रियाओं से मुझे विश्वास हुआ—और आज पाठ्यों ने साम्राज्य यह सुभाषा भी—कि पुस्तकावार उपलब्ध हो वर में लेख एक और भी बड़े समाज के सरोकारों को बाणी दे सकेंगे और अधिक समय तक विचारार्थी सामने रह सकेंगे। इसी आशा से इन का प्रकाशन इस रूप में किया जा रहा है।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक और अपने एक-चीयाई शती के प्रिय सहयोगी मनोहर श्याम जोशी का मैं ज्ञानी हूँ कि उन के आग्रह और आतक ने मुझ मे एक के बाद एक ये लेख लिखवा लिये। मैं कुछ भी लिखने से पहले उस पर बहुत दिन सोचते रहना चाहता हूँ, दूसरी ओर उन का मन अधिक समय तक विसी एक चीज पर टिकता नहीं, पर इन लेखों के मामले में उहोंने पठान की सी मुस्तैदी दिखायी—इस से मैं यही समझा कि लेख उन्हें भी पसन्द आते रहे। इस का अचरज भरा सुख भी इस प्रकाशन के साथ और टिकाऊ हो जायेगा, इस के लिए मैं फिर उन का आभार मानता हूँ।

—लेखक

## क्रम

शासन : एक जाहुई कालीन	१३
स्त्रोपी हुई पीड़िपी	१६
संस्कृति : यहाँ, वहाँ, या वहाँ मे ?	२४
इतिहास और अभिजात पूर्वग्रह	२६
धर्म-निरपेक्षता के दर्जे	३६
देवीयता और मौलिकता	४१
यन्, जन : और औरनिकेशिव मन	४५
मानू चढ़ गया पट्टाड पर,	५१
मानव हीने वा दर्द	५६
माहित्यकार वा मम्मान : किम विण ?	६०
हमारे ममाज मे नारी	६६
मम्मृति और इतिहास : कला की मम्मदा	७८
अच्छा माहित्य वैसे विके ?	८६
जार गोदे मे मिठ	९४
रादनेतिव मम्मृति और मामाजिव मम्मृति	१००



**युग-सन्धियों पर**



## शासन : एक जादुई कालीन

यह एक मुख्य-मन्त्री की कहानी है जो युझे उसी राज्य के एक दूसरे और परवर्ती मुख्य-मन्त्री से सुनते वो मिली थी।

मुख्य-मन्त्री नम्बर दो, जिन्होने कहानी सुनायी, अच्छे और समर्य प्रशासक माने जाते थे। स्वयं उन के विरुद्ध भ्रष्ट आवरण की चर्चा वभी नहीं सुनी गयी थी। जैसा आज के राजनीतिक जीवन वी एक आम बात हो गयी है, उन की श्रीमती और उन के चिरजीव द्वारा उन के पद और सत्ता के दुष्पर्योग की बात तो होती रहती थी।

इस के विपरीत मुख्य-मन्त्री नम्बर एवं, जिन के बारे में कहानी है, कुशल और कठोर प्रशासक माने जाते थे, लेकिन जितनी चर्चा उन की योग्यता की होती थी उतनी ही उन के भ्रष्टाचार वी भी। विचित्र बात यह थी कि जो सोग उन के भ्रष्ट आवरण की चर्चा बरते थे उन के स्वर में भी निन्दा की गूँज बहुत कम सुनाई देती थी; एक तरह का प्रशासा-भाव ही उस में प्रधान रहता था, भानो किसी भ्रष्ट वाम और प्रशासनिक चतुराई में कोई भ्रेद न हो—या यो कहे कि यह मान लिया जाता हो कि अच्छा प्रशासक इस मामले में अधिक नीतिक वारीकियों में नहीं जा सकता कि प्रशासन के लिए जो काम आवश्यक है वह कानून और नीति-द्वारा संभव भी है या नहीं।

यह शायद एक साधारण मध्यकालीन अथवा सामतवादी मान्यता है; राजवाज्र में या नीतिक है और कपा अनेतिक, इस वा अधिक विचार नहीं ही मवना और राजा जो करता है उसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता—भले ही वभी उसे जुलूम या अन्धेर बहा जा सके। रजवादो में तो ऐमा भाना ही जाना था कि राजा और ढाकू में प्रवृत्ति-भ्रेद नहीं होता, थोड़ा पद-भ्रेद होना है और उसी बाब्ण नीतिक आद्वयर में भी घोटा अन्तर रहता है; स्वयं युझे एक बार एक भूतपूर्व ढाकू में भी यही बान सुनते वो मिली थी; यह पूछने पर कि ढाकू सोग अपेक्षया कम समर्य बां थो ही क्यों क्यों नूटने हैं,

राजाओं और बड़े जमींदारों के घर क्यों डाका नहीं ढालते, उस ने हस कर जवाब दिया था, “अरे साहब, अपने भाई-बन्दों को भी कोई लूटता है?”

तो मुख्य-मन्त्री नम्बर दो से भेरी जो बातचीत हुई थी उस का सन्दर्भ यही था जनता में व्याप्त करप्तान, करप्तान के बारे में साधारण सामाजिक मनोभाव और सफलता या कुशलता को नीति-अनीति से परे मानने की देश-व्यापी प्रवृत्ति। मुख्य-मन्त्री नम्बर दो ने यह कहानी सुनायी तो उन का मनो-भाव भी कुछ विनोदमिथित प्रशंसा का ही था—यथा इस कुशलता के लिए थोड़ी-सी ईर्ष्या भी नहीं थी?—और सकेत उन का यही था कि प्रशासनिक मामलों में नेतृत्व और अनेतृत्व का विचार बहुत कठिन है। चलती का नाम गाढ़ी। शायद एक आधुनिक बैताल भी किसी आधुनिक विक्रमादित्य के सामने यही कहानी सुना कर यह सवाल पूछ सकता कि वथा-नायक ‘करप्ट’ था कि नहीं था।

मुख्य-मन्त्री नम्बर एक—कथा-नायक मुख्य-मन्त्री—अपने सरकारी बगले की बालकनी में बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्हे सूचना दी गयी कि कोई फरियादी उन के पास अर्जी ले कर आया है। हुक्के को एक तरफ ठेलते हुए उन्होंने कहा, “भेज दो।”

फरियादी देहात का, एक स्कूल का अध्यापक था। उस का निवेदन यह था कि वह जिस पद पर था उस से कही उच्चतर पद की योग्यता उस में थी, लेकिन कई बार आवेदन करने पर भी शिक्षा-विभाग में उस की सुनवाई नहीं हुई थी, यहाँ तक कि कई बार विज्ञापनों के जवाब में आवेदन देने पर उसे इटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया। वह निदेशक महोदय से मिलने भी गया था, लेकिन तीन-चार बार कोशिश करने पर भी उसे मुलाकात के लिए समय तक नहीं दिया गया।

मुख्य-मन्त्री चुपचाप सुनते रहे। शिक्षा-विभाग के निदेशक का जिक्र आने पर वह बहुत हल्के-मेरे मुस्कराये, लेकिन कुछ बोले नहीं। फरियादी जब अपनी बात पूरी तर चुका तब उन्होंने पूछा, “लेकिन इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ?”

“हृजूर, आप मालिक हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं।”

“फिर लोग शिकायत करते हैं कि दूसरों के महकमों में दखल देता हूँ या अपने आदमियों को नौकरी दिलाता हूँ। मैं अभी तो दखल नहीं दे सकता। लेकिन तुम एक बार फिर कोशिश करो। नयी अर्जी लिख कर डायरेक्टर साहब के पास ले जाओ, वहाँ चाहे कह देना कि मैं ने दुबारा अर्जी देने के लिए कहा है।”

फरियादी चला गया। मुख्य मन्त्री थोड़ी देर निदेशक के बारे में सोचते

रहे। वात यह थी कि एक खासे बदनाम प्रशासन में भी यह निदेशक रिस्वत लेने के लिए खास तौर से बदनाम था। तबादले, तरकिकर्याँ, इम्तहान के नतीजे, सभी कुछ रिस्वत के बल पर होते थे और ऐसी हर कार्यवाही की तह में डायरेक्टर साहब का ही हाथ रहता था। मुख्य-मन्त्री तक यह वात कई बार पहुँचायी जा चुकी थी। पहुँचायी न भी गयी होती तो भी एक कुशल प्रशासक के नाते वह अपने हर अधिकारी और कर्मचारी के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। बौन बित्तने पानी में है, यह उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती थी। शिक्षा-निदेशक शहर से बाहर शानदार इलाके में अपना बगला भी बनवा रहा था, उस बगले की उठान देख कर ही निदेशक महोदय के बारे में पक्की धारणा बन सकती थी क्योंकि वैसी इमारत की लागत और डायरेक्टर साहब की दैय आय में ताल मेल बिठाना असम्भव था।

लें, दो महीने बीत गये। एक दिन फिर वही फरियादी उन के बगले पर हाजिर हुआ। फिर वही बत था और मुख्य-मन्त्री जी बालकनी में विद्ये भालीन पर आरामदुर्सा ढाले हुए का इन्तजार कर रहे थे। फरियादी को देख कर उन्होंने पूछा, “क्यों भाई, कुछ हुआ ?”

फरियादी ने बड़े दुखी स्वर में उन्हें बताया कि नयी अर्जी का भी कोई असर नहीं हुआ—डायरेक्टर साहब से मुलाकात का भौका ही उसे नहीं दिया गया। वह और भी अपनी दुख-गाया कह रहा था कि मुख्य मन्त्री ने उसे टोक कर कहा, “यह देखो, यह नीचे बिछा हुआ कालीन देखते हो ?”

फरियादी ने कुछ अचकचा कर कहा, “जी हुजूर !”

“इस को लपेटो !”

फरियादी ने और भी विश्वद स्वर से अपनी बात दोहरायी “जी हुजूर ?”

मुख्य-मन्त्री ने जरा दृढ़ता से कहा, “हाँ, मैं कह रहा हूँ—यह कालीन लपेटो !” और कहते हुए वह उठे और कालीन से हट कर एक तरफ रह गये।

फरियादी ने फिर भी बात न समझते हुए उन के चेहरे की ओर देखा। लेकिन मुख्य-मन्त्री की मुद्रा में घोड़ा-सा अर्धयं भी या कि आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। फरियादी ने चूपचाप कालीन लपेट बर एक तरफ बर दिया।

‘इसे ले जाओ और दुबारा अर्जी दे बर इसे भी डायरेक्टर साहब के आगे तोहफे की तरह पेंग कर देना। वह ज़रूर तुम्हारी अर्जी मान लेंगे।’

फरियादी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मुख्य-मन्त्री ने जब घोड़ा दृष्ट बर बहा, “मैं बहता हूँ ले जाओ—मेरा हृत्य है”, तब उस ने ढरते ढरते कालीन उठाया और उत्तर बर चला गया।

एक महीना और निवाल गया। इम बीच डायरेक्टर साहब का बगला तैयार हो गया और उन्होंने गृह-प्रवेश का एक दिन निश्चित कर के हाकिम-हुक्काम को दावत भी दे दी थी। मुख्य-मन्त्री के पास भी निमन्त्रण आ चुका था।

इसी बीच एक दिन एकाएक फरियादी फिर मुख्य-मन्त्री के मामने हाजिर हुआ। अब की बार उम की मुख-मुद्रा कुछ भिन्न थी, वह मुख्य मन्त्री का शुक्रिया अदा करने आया था। उसे देखते ही मुख्य-मन्त्री ने पूछा, ‘क्यों भाई, काम बन गया।’

फरियादी की शहर के हाई स्कूल में नियुक्ति हो गयी थी, जिसके लिए वह पहले कई बार आवेदन कर चुका था, सेकिन कभी मुलाकात के लिए भी नहीं बुलाया गया था।

“मैंने तो बहा था कि तेरा नाम हो जायगा।”

फरियादी ने फिर मुख्य-मन्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चला गया।

सप्ताह-भर बाद मुख्य-मन्त्री गृह प्रवेश की दावत पर पहुँचे तो डायरेक्टर साहब बड़ी खातिर के साथ उन्हे भीतर के बड़े कमरे में ले गये। जिस कुर्सी पर मुख्य मन्त्री को बिठाया गया उस देवे पेरो म वही कालीन बिछा था जो उन्होंने स्कूल मास्टर के हाथ भिजवाया था।

मुख्य मन्त्री जी ने बगले की तो प्रश्नसा की ही, साथ ही कहा, “सेकिन इस कालीन के लिए मैं तुम्हारे टेस्ट की खास तौर से दाद देता हूँ। बहुत बढ़िया कालीन है। कहाँ से मैंगाया?”

डायरेक्टर ने बड़ी दीनता दिखाते हुए बताया कि कालीन तो बहुत मँहगा है, उन के बूते का भी नहीं था, लेकिन इतना सुन्दर था कि वह खरीदे बिना नहीं रह सके।

चाय पी गयी। उस के बाद मुख्य-मन्त्री फिर उसी कालीन की ओर लौटे। उन्होंने फिर कहा, “बहुत ही लूबमूरत कालीन है। मेरे ख्याल में तो सारे बगले की सब से लूबमूरत चीज यही है। मुझे तो तुम पर रक्ष हीता है।”

अब कोई मुख्य मन्त्री किभी चीज की इतनी प्रश्नसा करे तो क्या किया जाय? हमारे समाज में तो उस में एक तरह के सबत की ध्वनि होती है—कुछ प्रबलतर सामन्ती सस्कार वाले समाज में तो वह सकेत बया, एक निर्देश ही होता है।

डायरेक्टर साहब ने निवेदन किया कि वह कालीन मुख्य मन्त्री साहब को इतना प्रसन्न आया है तो उसे वह उन की बिदमत में नजर बरना चाहेगा,

मुख्य-मन्त्री उसे बूल कर बत्तेगे तो वह अपने को धन्य मानेगा ।

मुख्य-मन्त्री ने कहा, "नहीं, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था । मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे टेस्ट की तारीफ़ कर रहा था ।"

लेकिन दूसरे दिन जब डायरेक्टर साहब वह कालीन ले कर मुख्य-मन्त्री के बगले पर पहुँच ही गये तब उन्होंने बापी अनिच्छा दिखाते हुए अत मे वह भेट स्वीकार कर ली ।

कालीन वही पर बिछा दिया गया जहाँ से वह पहले हटाया गया था ।

वहानी इतनी ही है । मुख्य-मन्त्री नम्बर दो ने वहानी सुना बर मुझ से पूछा, "अब आप बताइये कि इस मे कहाँ करण्यान हुआ और कहाँ गलती हुई ?" यह दूसरी बात है कि वह ऐसा बरते था ऐसा न बरते । लेकिन उसका जबाब तो सीधा है—जो आदमी योग्य होता है उस वा वाम करने वा अपना ढंग होता है, अपना स्टाइल होता है, मैं तो कहूँगा कि अपना जीनियस होता है ।" थोड़ा रुक कर उन्होंने बहा, "अब आप बताइये, उस स्वूल मास्टर को वह नौकरी मिल गयी जिस का वह हूँदार था, डायरेक्टर साहब खुश हो गये कि उन्होंने मुख्य मन्त्री जी को खुदा कर दिया, मुख्य-मन्त्री खुश है कि उन्होंने स्कूल मास्टर के साथ इन्साफ़ करा दिया । रही कालीन बी बात—वह सरकारी माल जखर था, लेकिन वह तो जहाँ का था वही का वही है ।"

सोचते हुए मैंने मन-ही मन स्वीकार दिया कि इस सारी जार्पंचाही मे वही कुछ दोष हो सकता है तो यही कि सरकारी माल वा एक अदद—यानी वह कालीन—थोड़े दिन वे लिए एक गैरसरकारी काम वे लिए इस्तेमाल दिया गया । लेकिन व्यास सचमुच वह गैरसरकारी काम था, या कि मुख्य-मन्त्री नम्बर दो ठीक ही बहते हैं कि यह शासक की जीनियस की ओर उस बी सास स्टाइल बी बात है ? अगर कार्रवाई बी इस स्टाइल मे वहीं सामन्ती युग बी बोई छाया दीपती भी है—और विक्रमदित्य या हारू-उम-रशीद से ले कर महाराजा रजीतसिंह के जमाने तक लगातार शायद राजा उफ़ प्रशासन वे काम बरने वा ढंग ऐसा रहा कि वह इन्साफ़, बानून बी परिधि से बाहर जाता रहा—तो इसे सामनी युग बी छाया मान बर भी दोष कैसे बहा जाय जवाबीं पूरे समाज की माननिकता पर अभी तक वैसी ही सामन्ती छाया थनी हुई है ?

हम सोचतान्त्र बी बात तो बहुत करते हैं । उस का बहुत-सा साम-भास भी हमने अपना लिया है, लेकिन सोसतान्त्र सब से पहले एक मानसिष्टता है । प्रगासनित ढौंचा और कार्य-पद्धतियाँ उस मानसिष्टता में से निकलती हैं ।

क्योंकि हमारा मन एक तरह का है, इसलिए क्योंकि हम एक खास ढंग से जीना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें एक समाज-परिपाठी चाहिए—इस तर्क-परपरा से हम लोकतन्त्र के प्रशासनिक ढाँचे की संगति बैठाते हैं। अगर उसके पीछे ऐसी तर्क-परम्परा नहीं है, उस विशेष जीवन-परिपाठी का आग्रह नहीं है जिस के साथ वह ढाँचा मेल खाता है, तो अपने आप में ढाँचे का न कोई मूल्य है, न कोई अर्थ, और न ही उस में इतना दम है कि वह बना रह सके। किसी भी समय वह अररा कर टूट सकता है क्योंकि उस की रक्षा के लिए और उसको स्थायित्व देने वाली कोई तर्क-परम्परा या मानसिकता उसके पीछे नहीं है।

क्या आज की राजनीति और समाज-व्यवस्था को समझने का एक सूत्र यह है—कि हम लोकतान्त्रिक ढाँचे को स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सामन्तवादी मानसिकता के बल पर? और परिणामतः सामन्तवादी ढाँचे की बुराइयाँ छोड़ने को तैयार नहीं हैं? इसलिए बिना किसी आधार के लोकतन्त्र के ढाँचे को खड़ा करने में क्या हम केवल उस दी कमज़ोरियाँ ही अपने ऊपर नहीं ओढ़ से रहे हैं?

लोकतन्त्र अपने आप में कमज़ोर नहीं है। लोकतन्त्र की सार्वकता और दृढ़ता इस पर निर्भर करती है कि हम सामन्तवादी मानसिकता से मुक्त हो सकें।

अगर हम वह मानसिकता नहीं छोड़ते तो लोकतन्त्र के ढाँचे वो अपनाने से हमारी राजनीति और हमारा राज एक ही दिशा में जा सकता है।

इस समय उसी दिशा में हम जा रहे हैं।

और यह काल-नृत्य आकर्षक नहीं है, नहीं है।

## खोयी हुई पीढ़ियाँ

पिछोे विश्व-युद्ध के बाद योरोप के और एशिया के अनेक देशों में विशोर वय के लोगों की हुई प्रवृत्तियों से समाज के नेताओं को दुख और आशय होने लगा, तो उस के साथ साथ 'एक खोयी हुई पीढ़ी' की भी चर्चा होने लगी। खोयी हुई पीढ़ी की अवधारणा नभी नहीं थी, पहले विश्व-युद्ध के बाद भी जोरों से इस की चर्चा हुई थी। अवधारणा वा मूल यह है कि विश्व-युद्ध जैसे नर-सहार म अनिवार्यतया ऐसा होता है कि वीच की उम्र के बहुत से लोग मारे जाते हैं। कम उम्र के लोग सेना में भरती के योग्य नहीं होते, न अधिक उम्र के लोग ही मोर्चों पर भेजे जा सकते हैं, और इसलिए वीच की उम्र का एक बहुत बड़ा बर्ग भोज दिये जाने का जोखम उठाता है। यह नहीं कि ऐसे सब लोग खेत रह जाते हैं, लेकिन जो लौट कर आते हैं उन से से भी एक बाकी बड़ी सह्या ऐसे लोगों की होती है जो शरीर से लाचार ही गये हों, या जो मानसिक आधात के बारण समाजिक जीवन के अनुपयुक्त ही गये हों। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर इस स्थिति वा जो प्रभाव पड़ता है वह भी कम महस्त्र वा नहीं है।

इस प्रकार वीच की पीढ़ी के इतने अधिक लोगों के उठ जाने से समाज में एक दरार पैदा हो जाती है, पीढ़ियों का सातत्य या कि सन्तानता टूट जाती है, सलान की सम्मावना बहुत कम रह जाती है और पारिवारिक अनुशासन का सहज क्रम बना न रहने से समाज में अनेक विवृतियाँ प्रवृट होने लगती हैं। उद्दृता और उच्छृंखलता बढ़ जाती है। बिंदोरों में हिंसा और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति प्रवृट होती है और उन के ऐसे अनेक गिरोह बन जाते हैं जिन का बाम ही बानून तोड़ना होता है—उन्हें इसी में रस मिलने लगता है। दूसरी ओर प्रोट लोग भी बहुत से उच्छृंखल और अनेक वामों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। सभी स्तरों पर एक बाचाचार या स्वराचार प्रवृट होता है जिस का बारण सातत्य वा टूट जाना ही होता है—और स्वयं इस टूटने

का कारण यह है कि बीच की एक पीढ़ी लुप्त हो गयी है।

कभी-कभी यह सवाल मन में उठता है कि क्या लुप्त हो गयी पीढ़ी की इस अवधारणा का कोई ऐसा सन्दर्भ भी है जो भारत के स्वाधीनता-सश्वाम के साथ जुड़ा हो? आजादी की लड़ाई की विश्व-युद्धों से तुलना नहीं की जा सकती और इस प्रथानंत अंहसात्मक लड़ाई में उतने लोगों की जातें भी नहीं गयी कि उस अर्थ में लुप्त पीढ़ी की चर्चा समत हो। लेकिन फिर भी क्या आजादी की लड़ाई के बाद की स्थिति और महायुद्धों के बाद की स्थिति में ऐसी समानताएँ रही जिन के कारण सतत टूट गये होने की बात आजादी के सन्दर्भ में उठायी जा सके और पिछले तीस वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ सारपूर्ण विचार सामने लाये जा सकें?

इनमा ही नहीं सामाजिक और राजनीतिक जीवन के मामले में जैसी उच्छ्वासलता और अनाचारिता आज देखने को मिलती है नौजवानों में जैसी उद्घड़ता और इतिहास के प्रति उदासीनता लक्षित होती है और उस के जबाब में बुजुर्गों की ओर से जैसी असहायता की बातें होती हैं, क्या इस वे बारे में भी कोई दिशा-संकेत उस से मिल सकते हैं?

मुझे जान पड़ता है कि एक लुप्त पीढ़ी की अवधारणा यहाँ काम दे सकती है। उस वे सहारे हम अपने समाज की कुछ विशेष प्रवृत्तियों को लक्ष्य कर सकते हैं जिन की ओर अन्यथा हमारा ध्यान न जाता, और बुजुर्ग तथा नौजवान पीढ़ी के बीच जो गाई बन गयी है, एक स्वस्थ सलाप के द्वारा उस को पाटने का भी उपकरण कर सकते हैं। और सब यह बड़ी बात यह कि समाज की बुराइयों को राजनीति के सिर पर थोपने की पहली गलती और फिर समाज के रोगों के उपचार के लिए सरकार का मूँह जोहने की दूसरी गलती से बन सकते हैं। समाज सरकार का प्रतिविम्ब नहीं है बल्कि सरकार ही समाज को प्रतिविम्बित करती है और इसलिए समाज को समर्थ बनाना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। यह पहचान समाज और राजनीति दोनों के काष्ठ-कल्प में सहायक होगी।

लेकिन आजादी की लड़ाई के सन्दर्भ में अगर एक पीढ़ी लुप्त हुई तो कैसे? इसे कुछ दूसरे ढंग से समझना होगा। बीच की पीढ़ी को हमारे बीच से मृत्यु ने नहीं हटाया, लेकिन जिन कारणों से वह निर्विधि हा गयी वे मृत्यु से कुछ कम घातक नहीं थे। लेकिन इस प्रक्रिया वो समझने के लिए शायद ऐतिहासिक अनुक्रम में न चल कर उलटे क्रम में चलना अधिक उपयोगी होगा—ऐतिहासिक से बारणों की ओर बढ़ना।

मेरे विद्यार्थी काल में कालेजों की बाद विवाद प्रतियोगिताओं के लिए अक्सर एक विषय चुना जाता था “विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना

चाहिए या नहीं ?" आज यह प्रश्न कोई नहीं उठाता क्योंकि वह अर्थहीन हो गया है, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि विद्यार्थी राजनीति में भाग लेने लगे हैं। आज हमारा सारा जीवन राजनीति में आक्रान्त है और वह भी सब से पहिया विस्म की राजनीति से। और हमारा शिक्षा-जगत् उस घटिया राजनीति के भी सब से पहिया स्तर का सब से अधिक देवारा शिकार है।

देश के आजार होते ही प्रशासन व्यवस्था में शिक्षा और सस्कृति को एक बहुत नीचे का दर्जा दिया गया। और जैसे-जैसे मन्त्रिमण्डल बदलते गये हैं हम ने देखा है कि शिक्षा का दर्जा घटता ही गया है, उसे घटिया मत्री मिलते हैं, आयोजित वार्षिकमो में शिक्षा-विकास के वार्षिकमो को हीनतर स्थान मिला है और उन के लिए आधिक व्यवस्था में वटौतियाँ प्राप्त की जाती रही हैं।

लेकिन इस की जिम्मेदारी क्या प्रशासन पर ही है ? या कि क्या केवल सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल पर ही है ? क्या समूचे भारतीय समाज ने शिक्षा और सस्कृति के इस अवमूल्यन में योग नहीं दिया है ? क्या पूरा-का-पूरा समाज ही सत्ता की उपासना में नहीं लगा रहा ? 'विद्या ददाति विनष्टम्' ऐसा शास्त्रो ने कहा था, और विजय से क्योंकि सत्ता में नहीं आया जा सकता था इसलिए शिक्षा की कोई उपयोगिता सारे समाज को ही नहीं रही थी ! आजादी के साथ ही ऐसी स्थिति क्यों आ गयी, या यहाँ पहले से मौजूद थी तो आजादी के बाद एकाएक क्यों प्रकट हुई ? अपने सस्कारों और अपनी सस्कृति की शेखी बघारने वाला यह भारतीय समाज एकाएक सरकार-हीन और मूल्य-बोधहीन क्यों हो गया ?

यह नहीं कि समाज में ऐसे लोग चले ही नहीं जिन्हे नैतिक और आड़ा-तिमक मूल्यों की चिन्ता है, जो अब भी चाहते हैं कि उन का जीवन नैतिक और सास्कृतिक मूल्यों में अनुग्रासित हो। यह भी नहीं कि नौजवानों में ऐसे लोग नहीं हैं। बल्कि लक्ष्य करने की विशेषता यही है कि एक ओर प्रौढ़ व्यक्तियों में ऐसे हैं और दूसरी ओर बिलकुल नौजवान व्यक्तियों में, जिन के बारे में कह सकत हैं कि उन्होंने अभी जीवन देता नहीं है और उम का दबाव पहचानते नहीं है। लेकिन उन्हें दोनों छोरों पर ऐसे व्यक्तियों के रहते भी हमारा समाज आज एक नैतिक समाज नहीं है क्योंकि बीच का बड़ा हिस्सा सम्पूर्णतया नौतिरहित हो गया है। यह बीच का हिस्सा सभी दृष्टियों से बीच का है और यासा बड़ा है—उन्हें को हृष्टि से, सम्पन्नता की हृष्टि से, प्रभाव की हृष्टि से। यहीं पर था कर स्थिति बीच की लुप्त-मीढ़ी की चर्चा से जुड़ जाती है। बीच की नैतिक पीढ़ी लुप्त हो गयी है—बीच में केवल अनीति है।

आजादी मिलते ही सुविधाओं और सत्ता के पदों की जो चूहा-दोड़ आरम्भ हुई थी उसका एक भाग यह है। जिन लोगों ने आजादी के सघर्ष में भाग लिया था उन में से बहुत सों भए आदर्शोंमुख्यता और नीतिक अनुशासन की भावना बनी रही। ऐसे लोग आज भी हैं लेकिन उन वीं सल्ला प्राकृतिक कारणों से ही दिन-ब दिन गिरती जा रही है। चूहा दोड़ में जो लोग सफल हुए वे आज के शासक और नेता हैं। प्रोड पीढ़ी की जो सन्तान आजादी के समय किशोर थी उस ने यह चूहा दोड़ ही देखी और उस ने इस आपाधापी का मूल्य-दर्शन ही अपनाया। और ये विशेष वयोंकि उन समाज में प्रतिष्ठित सीरों वीं औलाद थे इसलिए उन्हे बहुत-सी सुविधाएँ भी मिली, और इस प्रकार शासन में भी और सामाजिक नेतृत्व में भी उन्हीं लोगों की धाक बढ़ती गयी जो एकान्त रूप से नीति विहीन थे और जिन का एकमात्र लक्ष्य समाज में ऊपर आ कर वहाँ जमे रहना था। एक नीति-बोध रहित वर्ग सत्ता और नेतृत्व सेंभाले हुए हैं और अपने से भी अधिक अविवेकी और सफलतावादी अपने बेटे-बेटियों को उत्तराधिकार के लिए तैयार कर रहा है।

बास्तव में नये सिरे से नीतिक-बोध उन नीजवानों में जाग रहा है जिन का जन्म इस आपाधापी की सीमा के बाद ही हुआ। उन्होंने आजादी के सघर्ष की निष्ठा उत्तराधिकार में नहीं पायी, लेकिन साथ ही उन्होंने उस युग की मानसिकता भी नहीं ग्रहण की जिस में हर लूट-चूस्टोट करने वाला बैवल अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी अपनी पीढ़ ठोक रहा था।

इस प्रकार आज एक नीजवान पीढ़ी है जिसे एक नीतिवान् समाज की खोज है, और दूसरे छोर पर एक बयोबूझ पीढ़ी है जिसे एक नीतिवान् समाज की याद है—और बीच में एक नीतिक मरम्यल है जिस में नेताओं और सरदारों की हृदेलियाँ खड़ी हैं।

क्या इस मरम्यल की ओर इशारा कर के छोड़ देना बाफ्फी है? क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे कि फिर एक समग्र समाज हमें मिल सके और वह एक समग्र नीतिकता पर आधारित हो? क्या ऐसे कोई सामाजिक, सास्कृतिक या राजनीतिक उपाय हैं जिन से दोनों छोरों के बीच फिर सभीपता का रिस्ता जुड़ सके—नीतिवान चुनुकों को युवा शक्ति का सहयोग और युवा शक्ति दो नीतिक प्रेरणा मिल सके और एक समुक्त नीतिक बल बीच की निर्लंज सफलतावादिता को हुरा सके? ऐसा उपाय, जिस से वह बल तैयार हो सके जो बास्तव में 'थड़ फोर्म' नाम का पात्र हो—जो छात्र-सत्ता और घन सत्ता की दुरभिसन्धि का मुकाबला कर सके?

यह है तो । लेकिन वहाँ पहल भी युवा-पक्ष को करनी होगी और नेतृत्व का बोझ भी उमी को संभालना होगा, और परिणामतः दाम भी, उसी को चुकाने होंगे । व्यांकि उस पक्ष की संस्था भी बढ़मान है और बल भी जब कि दूसरी और व्योवृद्ध लोगो की संस्था भी दिन-ब-दिन कम होती जा रही है और बल भी । यदि युवा-यीड़ी का संकल्प हो तो उपाय उस के पास है ।

## संस्कृति : यहाँ, वहाँ, या क्षेत्र में ?

एक सवाल मुझ से इतनी बार पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जाता है कि अब प्रश्न वे आरभ होते ही मैं प्रश्नकर्ता वा पूरा आदाय जान लेता हूँ और यन्त्रवत् उस का अभ्यास से सधा हुआ जशाद भी दे देता हूँ। पहले इस प्रश्न से मुझे चिढ़ होती थी, कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन अब जानता हूँ कि वैसी प्रतिक्रिया ठीक नहीं, क्योंकि यह प्रश्न हमारे देश-समाज की मानसिकता वा एक लक्षण है, और उस पर खेद ही हो सकता है, रोप अर्थ है।

प्रश्न कई तरह की घट्टाघट्टी में वर्म या अधिक विस्तार के साथ पूछा जाता है। लेकिन उस का सार यह है कि हिन्दी-साहित्य (या भारतीय साहित्य) विश्व-साहित्य की तुलना में कहाँ ठहरता है? प्रश्नकर्ता यह मान वर चलता है कि भारतीय साहित्य वा स्थान उस सम्बन्ध में बहुत ऊचा तो नहीं हो सकता, और यह भी मानता है कि यह चिन्ता वरी या हीनता वी बात नहीं। बाकी इस हीनत्व भाव को छिपाने वे लिए वह चाहे यह जताये कि मुझ मे यह प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि मैं विदेशी साहित्य (तथाकथित 'विश्व-साहित्य') भी पढ़ता हूँ, देश-देशान्तर घूमा हूँ, विदेशी मे पड़ा चुका हूँ—या इस रूप मे प्रस्तुत किया जाय कि मैं हिन्दी मे लिखता भले ही हूँ लेकिन हूँ तो मूलत विदेशी संस्कार वा ही!

मैंने कहा कि प्रश्न वा उत्तर वार-गार के अभ्यास के कारण सधा हुआ है, लेकिन उस वा यह अर्थ नहीं है कि उसका एवं ही रूप होता है। वह भी प्रश्न की भगिमा और प्रश्नकर्ता वे मनोभाव के अनुरूप तरह-तरह से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसका भी सार यही है कि हमे विश्व-साहित्य के मोह मे नहीं पड़ना चाहिए, साहित्य यानी अच्छा साहित्य मूलत और अनिवार्यत एक संस्कृति की उपज होता है और उस संस्कृति का स्वर उस साहित्य म सुनाई पड़ना चाहिए। जो साहित्य किसी एक संस्कृति का प्रतिविम्बन करता

है उसका अपना व्यक्तित्व, अपनी एक अस्तित्व होती है; और जब वह व्यक्तित्व उसके क्षेत्र के बाहर पहचाना जाता है तभी दूसरे संस्कृति-समाजों में उसे महत्व दिया जाता है और उसके भ्रष्ट और मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में तभी वह विश्व-साहित्य में स्थान पाता है। जिस साहित्यिक रचना में संस्कृति का स्वर नहीं बोलता उसका विश्व-साहित्य में स्थान पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह यहा खतरनाक भोग है कि हम देश-संस्कृति से उत्तर कर या उसके प्रति उदासीन हो पर या उस से अपरिचित रह पर—बल्कि उसके विरुद्ध अपने को बचवायद परके—विश्व-साहित्य में प्रवेश का द्वार खोल लेते हैं। हम वैसा कुछ नहीं करते, हम वैवल उस ढाल को बाट देते हैं जिस पर हम बैठे हैं।

मैं जानता हूँ कि अधिमन्त्र प्रदनवर्ती मेरे जवाय को स्वीकार नहीं परते लेकिन यह भी जानता हूँ कि उनमें से कई-एक मेरे उत्तर से कुछ सोच में पड़ जाते हैं या कभी-कभी बैचैन हो उठते हैं। मैं मानता हूँ कि वह बैचैनी इस बात का लक्षण है कि उनके भीतर का सशाय उनके सामने आ गया है और इसलिए अपनी बात उनको मनवा न पाने पर भी मुझे सन्तोष होता है। दरअथवा दीनत्व भाव अस्वस्थ है, पर दर्बे रहना रोग को बढ़ाता है और उसे लूले में ने आना रोग के उपचार का पहला बदम है।

अपनी संस्कृति के प्रति इस उदासीनता, मन्देह, अवज्ञा बल्कि कभी-कभी धृष्टा भाव के कई पहलू हैं। अप्रेंजी भाषा का भोग और उसके प्रति धर चालों का प्रेम तो उसका वैवल एक सतही लक्षण है। कई वर्ष पहले एक बातचीत में, जिसमें मूचना और प्रसार विभाग के अधिकारी भी थे और विदेश मन्त्रालय के सांस्कृतिक सम्पर्क विभाग के कुछ अधिकारी भी, मेरे इस बात पर दुख प्रगट करने पर कि भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय और दूतावासों के प्रसार अथवा सांस्कृतिक अधिकारी भारतीय संस्कृति का बाहर प्रसार करने के मामले में क्यों विलकुस उदासीन हैं, एक अधिकारी ने बुल लूनक कर कहा था, 'हमारे पास बाहर दिखाने को है क्या?' एक बुद्ध और एक गान्धी, वस। और दोनों का ही हम बाहर बाकी प्रचार कर ही रहे हैं।'

बात बुद्ध और गान्धी के स्तर वी ही होती तब तो कोई ऐसी चिन्ता की बात नहीं थी। तर हम कहते कि ठीक है, आप इसी और मुहम्मद और खरदुश और लाओ-न्जु का आयात बीजिए, हमें कोई चिन्ता नहीं है और हमारी संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। पर स्थिति तो यह है कि बाहर दिखाने की बुद्ध और गान्धी के सिवा कुछ नहीं है, मगर बाहर से यहीं लाने

को जाज, पाँप चित्रबला, ठोस कविता, मुख्येवाज मुहम्मद अली, फासीसी वहुरूपिये, रुसी नट आदि सब हैं और 'थार्ट फिल्म' के नाम पर जलील से-जलील दर्जे की अश्लीलता है।

जब अकादमियाँ बनी थीं तब हम ने आशा की थी कि भारत से बाहर भारत की सस्कृति का सही और उज्ज्वल विम्ब प्रस्तुत करने में ये कुछ योग देंगी, लेकिन ये भी इम्पोर्ट की एजेंसियाँ बन वर रह गयी हैं। इधर तो यह हाल हो गया है कि कोई भी छोटा-मोटा विदेशी बिधि या उपन्यासकार या कहानीकार सेलानी बनकर भी इस देश में आया तो कहीं-न-कहीं से अकादमी को औपचारिक सूचना मिल जायेगी और तुरत उसके सम्मान में एक गोष्ठी का आयोजन हो जायेगा। अकादमी के द्वारा सस्कृति के (अब वह जैसी भी है, इस सन्दर्भ में उसे सस्कृति तो कहना ही होगा) इस पहले से बढ़े हुए आयात में और भी तीव्रता लाने के काम में और भी सरकारी एजेंसियाँ (नहीं, कमा कीजिए, ये सरकारी नहीं, सरकार द्वारा भरित और पोपित 'स्वायत्त सस्थाए' हैं) भरपूर योग दे रही हैं। इडियन कौसिल आफ क्लबरल रिलेशन्स भी ऐसी ही एक स्वायत्त सस्था है। इधर कई बर्दों के बाद और कई बार याद दिलाये जाने पर उसे इतना तो चेत हुआ है कि आयात बेबल अप्रेजी-भाषी पश्चिमी देशों अथवा इंग्लैण्ड और अमेरिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और सासार में दूसरे भी देश हैं जिन के पास संस्कृतियाँ और साहित्य हैं। इस के लिए तो इस परियद् की दाद देनी चाहिए कि अब वह रुसी, फासीसी, जर्मन, इस्पानी आदि भाषाओं से भी अनुवाद को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय लेखकों को बाहर भेजने का आयोजन कर रही है। लेकिन इस बात को छोड़ भी दें कि अब भी पश्चिमोन्मुखता क्यों, क्या पूर्वोशियाई देशों में सस्कृतियाँ नहीं हैं, तो भी यह लक्ष्य किये बिना कैसे रहा जा सकता है कि यह आयोजन भी आयात करने का ही है। क्लबरल रिलेशन्स यानी सास्कृतिक सम्पर्क भी एकतरफा ही है। पश्चिम के देश तो हमारे सम्बन्धी हैं, लेकिन हम—हम उसी कोटि के हैं जिन्हें अप्रेजी म 'मुअर रिलेशन' कहा जाता है। हमारा तो केवल गाँव का रिश्ता है, असली रिश्तेदार तो वही हैं जिन्हें हमें बड़ी आवंभगत के साथ अपने पर लाना है।

सबाल पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए कि सास्कृतिक सन्दर्भ में भी सरकारी सस्थाओं की ही बात क्यों की जाये? ठीक है, देश में और भी अनेक सस्थाओं के बारे में यह प्रश्न उठाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि देश में कोई भी साहित्यिक या सास्कृतिक सस्था ऐसी या इतनी दमदार नहीं हुई कि भारतीय सस्कृति का एक जीवन्त और गौरवमय चित्र बाहर के लिए प्रस्तुत कर सके? किसी भी कला के क्षेत्र में ऐसी कोई सस्था नहीं है,

साहित्य को भी कोई संस्था नहीं है और व्यापकतर सन्दर्भ में यासा कोई सारकृतिक सगठन भी नहीं है। क्यों? जातियों और सम्प्रदायों और पर्मों की संस्थाएँ हैं, और इस देश की संस्थृति मूलतः पार्मिक संस्थृति रही है। लेकिन इन संस्थाओं को भी अपनी संस्थृति में आस्था नहीं है, उसके प्रति सम्मान अथवा गौरव का भाव नहीं है। वे भी 'धर्म-सम्मेलन' करती हैं तो उन्हीं पो मान देने के लिए जो अपनी धर्म-निरपेक्षता की दुहाई ही नहीं देते अपने हर काम से यहीं प्रमाणित करते हैं कि उनके सरोकार बेवज भीतिक सुप-सुविधा के हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयमेवक सघ ने भी, जो कि स्वयं बपने दाये के बनुसार एक सास्कृतिक सगठन है (और जहाँ तक सगठन का ग्रन्थ है, उसके समर्थ होने में कोई सन्देह नहीं है), इस दिशा में कुछ प्रयत्न चिया ही तो उसका लक्षण कहीं नहीं दीखता। जो सक्षण दीखते हैं वे इसी बात के कि उस ने धर्म-संस्कार की रक्षा के मामले में एवं आक्रामक नहीं तो सधर्पणशील प्रवृत्ति को तो उकसाया, लेकिन संस्थृति के प्रति गौरव का भाव उस ने भी नहीं जगाया। संस्थृति वे लिए हम लड़ें तो, मगर वह संस्थृति अभिमान के योग्य भी हो यह अवश्यक नहीं है। ऐसी मानसिकता की बार्यक्षमता चितनी होगी यह सहज ही सोचा जा सकता है।

इस की चर्चा में एक बार ऐसा हुआ था कि सरकार की तथाक्षित स्वायत्त मोजनाओं के समर्थकों ने हमें याद दिलाया कि निर्माता वे मामले में सरकार इतनी उदासीन नहीं है। उदाहरण वे लिए, प्राचीन मूर्तिकला की एक प्रदर्शनी तो योरोप और अमेरिका भेजी गयी थी और वही सफल हुई थी। अब किर क्रास ने पुरानी कलम के चिशी की एक प्रदर्शनी आमन्त्रित की है। मेरे यह आपत्ति करने पर कि ऐसा विनियम तो रोग को और बढ़ाता है, वह मेरी बात नहीं समझ सके थे। मैंने जब समझाया कि सासार के सम्म और सम्पन्न देश—यानी पश्चिमी देश (चलिये, अपवाद के हृष में जापान को भी जोड़ लीजिये) जब यह प्रयत्न करते हैं कि विनियम ये इस देश से तो बेवज प्राचीन वस्तुएँ मँगाकर प्रदर्शित करें और बदले में अपनी बेवज आधुनिक चीजें यहा भेजें, तो वे पहले से ही असन्तुलित विनियम को और भी असन्तुलित कर रहे हैं, कि यह एक प्रकार वा मैंजा हुआ सास्थृतिक उप-निवेशवाद है कि आप बाहर प्राचीन भारत का भव्य चित्र प्रस्तुत करके यह प्रमाणित करते चलें कि भारतीय संस्थृति तो वही है जो प्राचीन बाल में थी और अब वस दिखाने के लायक रह गयी है, और दूसरी ओर आधुनिक संस्थृति तो वही है जो पश्चिम से यही भेजी जा रही है—आधुनिक संस्थृति तो इस देश म है ही कहाँ। हाँ, बुद्ध और गान्धी अवश्य थे, लेकिन बुद्ध तो प्राचीन काल में ही थे, और गान्धी महान् तो थे, लेकिन जनता वे आदमी थे।

जनता का सस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह दलील कोई विदेशी हमें दे इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, आखिर हमारे सारे राजनीतिक नेता यही सब करने में तो लगे हुए हैं।

मैं जानता हूँ कि मेरे दुखी होने से या बड़वडाने से बहुत लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन चुप रहने से और भी अधिक अहित होने वाला है। असल में सारे देश ने विना सोचे-समझे और एक झूठे तथा विकृत जनवाद के नाम पर यह स्वीकार वर लिया है कि सस्कृति तो एक बुर्जुआ चीज़ है, बुर्जुआ है इसलिए प्रगति विरोधी है, अर्थात् अगर समाज को बदलना है, अगर प्रगति में गत्यात्मकता लानी है तो सस्कृति को मिटाना होगा। मैंने इसे भूठा और विकृत जनवाद वहा, वह इसलिए कि इसका वास्तव म जन से कोई सम्बन्ध नहीं है। झूठे साम्यवादी भी सस्कृति को उतना ही खतरनाक मानते हैं जितने सच्चे तानाशाह, जो सस्कृति के नाम पर अपनी पिस्तौल का घोड़ा उठाना चाहते हैं।

सस्कृति न तो केवल बुर्जुआ है, न प्रगति-विरोधी है, वह समाज को स्थापित देती है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह उसे स्थितिशील बनाती है। सस्कृति एक वास्तु नहीं है, वह तो जमीन है जिस पर पैर टेके बिना प्रगति हो ही नहीं सकती। बल्कि जो अगर नहीं है तो उस पर खड़ा होने वाला जन ही नहीं है, केवल एक छाया है।

मेरे पुकारने से अगर इतना ही दीख जाये कि सस्कृति पूरे समाज की चीज़ है, जीवनदायिनी है और गौरव की वस्तु है तो वर्तमान स्थिति म भी अवश्य कुछ हो सकता है। और यह तो है ही कि अगर हम इस बात को नहीं पहचानते तब तो किसी भी स्थिति मे कुछ नहीं हो सकता। रोगी का उपचार तो सम्भव है, लेकिन मुरदे को तो जलाया या दफनाया ही जा सकता है। कोई दूसरा उपचार उसका नहीं है।

## इतिहास और अभिजात पूर्वप्रह

मैं इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते भी मेरी चिशेप रुचि साहित्य के इतिहास में रही है, लेकिन इतिहास के, खास कर सम्बालीन इतिहास के, कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन वा हर भारतीय नागरिक के लिए अहस्त हैं। सम्बालीन साहित्य के प्रति उपेक्षा बेवल इतिहासकार के लिए समस्याएँ पैदा बरती हैं ऐसा नहीं है। वह पूरे समाज की कमज़ोरी की ओर इशारा करती है और यह मानना होगा कि भारतीय समाज में यह कमज़ोरी है। अखड़ काल अथवा महाकाल की चर्चा से खड़काल की यह उपेक्षा छिपायी नहीं जा सकती और इतिहास के दबाव में जीने वाले आज के सासार में इस उपेक्षा से भारत का स्थान कैसे कमज़ोर पड़ जाता है यह भी सौचने की बात है। सम्बालीन इतिहास की उदासीनता से सम्बालीन सासार की गति और दिशा का दोष भी धूंधला पड़ जाता है।

लेकिन जब मैं ने मान लिया कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ तब ऐतिहासिक चेतना के उस बढ़े आयाम की चर्चा न कर के साहित्य के इतिहास के सन्दर्भ में ही कुछ बातें बहना चाहता हूँ। यह भी साधारण नागरिक और साधारण पाठक को ध्यान में रखते हुए ही—यह मान कर कि साधारण पाठक साहित्य का भी साधारण पाठक है और उस की रुचि, उस की समझ साहित्य को भी प्रभावित करती है।

भारतीय समाज आज भी प्राप्त दो तिहाई अनुप्रद है। यह तो एक तथ्य है जिस से हम ऊँट भी सवते हैं, लेकिन इसी तथ्य वा एक दूसरा पहलू भी है। भारतीय समाज बीसियों शतायों से श्रुति-प्रभरा में पला है, साहित्य की ओर सास्कृतिक स्वेदन की वह सुन कर ही अहण करता आया है और इसलिए आज भी यह स्थिति है कि निरक्षरों में बहुत से लोग ऐसे मिल जायेंगे जो सस्कारवान् भी हैं और साहित्य विवेक कर सकने वाले भी, जब विद्युमरी और शक्षरों में ऐसे लोग वाम नहीं हैं जिन में सत्तारिता का अभाव है।

साहित्य वे इतिहास के सन्दर्भ में इस बात का बहुत महत्व है और जिस उदासीनता वी बात मैं ने कही है वह यहीं पर सब से अधिक चिन्त्य हो जाती है क्योंकि श्रुति-परम्परा की व्यापक उपेक्षा साहित्य वे इतिहास के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत वी उपेक्षा है। वाचिक साध्य को उस का उपयुक्त महत्व दिये बिना समशालीन साहित्य वा कोई सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता। और सेद वी बात यह है कि सभी इतिहासकार वाचिक साध्य की उपेक्षा करते आये हैं।

यो तो एक तरह वे साहित्यिक साध्य का उपयोग इतिहासकार करते रहे हैं। विशेष रूप से अपने अनुमानों की पुष्टि के लिए उन्होंने साहित्य की ओर ध्यान दिया है और किर उन अनुमानों अथवा प्रतिज्ञाओं को पुरातत्व की सोजों और प्राचीन अभिलेखों से पुष्ट किया है। इसी प्रकार पुराने अभिलेखों तात्रपत्रों इत्यादि में पाये जाने वाले नामों को सही बात में स्थापित करने के लिए साहित्य का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, राजवंशों के अम तथा वाल-निधारण में साहित्यिक और पौराणिक सामग्री वा महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। इधर भाषा-शास्त्रीय साध्य का भी उपयोग बढ़ता गया है।

लेकिन इम सब के बावजूद इतिहासकारों में वाचिक साध्य के प्रति एक अजीब सन्देह अथवा अविश्वास का भाव लक्षित होता रहा है। यह सन्देह-भाव इसलिए और भी अजीब जान पड़ता है कि ये इतिहासकार पूरक साध्य के लिए साहित्यिक सामग्री पर विचार करने को तैयार हैं, और जानते हैं कि जिस साहित्यिक सामग्री को ये प्रमाण रूप में स्वीकार कर रहे हैं वह स्वयं मुख्यतया वाचिक परम्परा में ही सुरक्षित रही। क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि बहुत सा साहित्य हस्तलिखित ग्रन्थों में लिखा जाने से पहले कई शतियों तक वाचिक परम्परा में चला आता रहा और स्मृति में ही सुरक्षित रहा।

श्रुति-द्वारा सुरक्षित साध्य में वेदों का तो अद्वितीय स्थान है ही। वेदों की स्मृति में अक्षुण्ण और अविकृत बनाये रखने के लिए जिस अध्ययन-परम्परा का आविष्कार भारत में हुआ वह ससार वे इतिहास में अद्वितीय है। ससार के किसी देश में इस वा कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई पाठ बिना एक अक्षर के भी परिवर्तन के देश के विभिन्न भागों में वेवल श्रुति के आधार पर हजारों वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सका हो। लेकिन वेदों वा उदाहरण में वेवल श्रुति परम्परा के सामर्थ्य और उस की विश्वसनीयता के लिए दे रहा हूँ, जिस तरह वे ऐतिहासिक साध्य की बात मैं करना चाहता हूँ वेद-संहिताएँ उस में अलग हैं।

भारत की वाचिक परम्परा में मेरी अपनी रुचि जागते वे दो विशेष कारण रहे। एक तो यह या कि काव्य के विकास में जो बातें लक्षित हुईं उन

को समझना और उन का ठीक महत्व आँखिना इस बात के विचार के बिना सम्भव नहीं था कि बाचन और श्रवण वी स्थिति से मुद्रण और पठन भी स्थिति में आने पर सम्प्रेषण वी परिस्थिति में वैसा आमूल परिवर्तन आ जाता है, कवि का समाज और उस समाज में कवि का सम्बन्ध वैसे बदल जाता है। हम लोग आधिक और राजनीतिक बारणों पर बहुत बल देते रहे हैं; नि मन्देह उन प्रभावों वा भी महत्व है, लेकिन जो अनिवार्य परिवर्तन सम्प्रेषण वी स्थिति और सम्बन्ध बदल जाने में होते हैं—और जो हर देश में उसी स्थिति में उन्हीं कारणों से हुए हैं—उन वी हम उपेक्षा करते रहे हैं। फलत हम ने ऊपर से रोपे गये प्रभावों को उचित में अधिक महत्व दिया है और रचना-प्रक्रिया के भीतर से उत्पन्न प्रेरणाओं को कम। इस से साहित्य की और विशेष रूप से बाय्य की प्रवृत्तियों वी हमारी समझ विवृत हुई है।

दूसरा बारण यह था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं वे और विशेष रूप से हिन्दी-साहित्य के अध्ययन में मुफ्के जब-जब १७वी-१८वी शती की साहित्यिक सामग्री वी और जाना पड़ा तब-तब वाचिक सादर्य के महत्व का बोध हुआ और उस वे प्रति इतिहासकारों वे अवक्षा-भाव पर अवरज हुआ। १७वी शती में भारत में मुद्रण यश नहीं आया था, लेकिन दूसरी तरफ इस बाल में छोटे और बड़े अनेक पुस्तकालयों और निजी मध्यस्थीय अनेक हस्तसिलित प्रथा सुरक्षित थे। १९वी शती वे उत्तरार्ध में देश में छाई के यत्र का आविभाव हुआ—और उस के साथ ही वह प्रक्रिया आरम्भ हो गयी जिस के द्वारा छाई वी सस्तृति, वाचिक समृद्धि को अपरिहार्य रूप से नष्ट करती चलती है। लेकिन विनाश की यह प्रक्रिया २०वी शती के मध्य तक पूरी नहीं हुई। (और जायद यह कहा जा सकता है कि इस देश में अब भी यह विनाश-क्रिया पूरी नहीं हुई क्योंकि अधिसम्बद्ध जनता अभी निरक्षर होते हुए भी सकारहीन नहीं है—वाचिक सस्तृति म जीती है।)

१७वी से १८वी शती वे अत तक विकास वी जो गति रही उस से इतिहासकारों का ध्यान इस सम्भावना की ओर जाना चाहिए था कि बहुत सा ऐतिहासिक साक्ष्य वाचिक परम्परा में ही सुरक्षित रहा ही सकता है, लेकिन इतिहासकारों ने इस ओत वी घोर उपेक्षा की। यह बार-बार देखा गया है कि १८वी शती वे विसी तथाकथित समाचारपत्र में प्रकाशित दो-चार पक्षियों के समाचार को भी अत्यन्त महत्व दिया जा रहा है और उसे अकाद्य प्रमाण माना जा रहा है—वेवल इसलिए कि वह छापा हुआ है, और दूसरी ओर समवर्ती किन्तु भिन्न साक्ष्य के बहुत बड़े भडार वी केवल इसलिए उपेक्षा की जा रही है कि उसे छापा हुआ में नहीं उतारा गया और वेवल वाचिक परम्परा में सुरक्षित रखा गया। इस बात का महत्व भी अनदेखा किया गया कि ऐसा

साहित्य के इतिहास के सन्दर्भ में इस बात का बहुत महत्व है और जिस उदासीनता की बात मैं ने कही है वह यहाँ पर सब से अधिक चिन्त्य हो जाती है क्योंकि श्रुति-परम्परा की व्यापक उपेक्षा साहित्य के इतिहास के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत की उपेक्षा है। वाचिक साक्ष्य को उस का उपयुक्त महत्व दिये बिना समकालीन साहित्य का कोई सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता। और सेद की बात यह है कि सभी इतिहासकार वाचिक साक्ष्य की उपेक्षा करते आये हैं।

यो तो एक तरह के साहित्यिक साक्ष्य का उपयोग इतिहासकार करते रहे हैं। विशेष रूप से अपने अनुमानों की पुष्टि के लिए उन्होंने साहित्य की ओर ध्यान दिया है और किर उन अनुमानों अथवा प्रतिज्ञाओं को पुरातत्व की खोजी और प्राचीन अभिलेखों से पुष्ट किया है। इसी प्रकार पुराने अभिलेखों, ताम्रपत्रों इत्यादि में पाये जाने वासे नामों को सही काल में स्थापित करने के लिए साहित्य का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, राजवशी के क्रम तथा काल-निर्धारण में साहित्यिक और पौराणिक सामग्री का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। इधर भाषा-शास्त्रीय साक्ष्य का भी उपयोग बढ़ता गया है।

लेकिन इस सब के बावजूद इतिहासकारों में वाचिक साक्ष्य के प्रति एक अजीब सन्देह अथवा अविश्वास का भाव लक्षित होता रहा है। यह सन्देह-भाव इसलिए और भी अजीब जान पड़ता है कि ये इतिहासकार पूरक साक्ष्य के लिए साहित्यिक सामग्री पर विचार करने को तैयार हैं, और जानते हैं कि जिस साहित्यिक सामग्री को वे प्रमाण रूप में स्वीकार कर रहे हैं वह स्वयं मुख्यतया वाचिक परम्परा में ही सुरक्षित रही। क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि बहुत-सा साहित्य हस्तलिखित ग्रन्थों में लिखा जाने से पहले कई शतियों तक वाचिक परम्परा में चला आता रहा और स्मृति में ही सुरक्षित रहा।

श्रुति-द्वारा सुरक्षित साक्ष्य में वेदों का तो अद्वितीय स्थान है ही। वेदों को स्मृति में अक्षुण्ण और अविकृत बनाये रखने के लिए जिस अध्ययन-परम्परा का आविष्कार भारत में हुआ वह ससार के इतिहास में अद्वितीय है। ससार के किसी देश में इस का कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई पाठ बिना एक अक्षर के भी परिवर्तन के देश के विभिन्न भागों में केवल श्रुति के आधार पर हजारों वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सका हो। लेकिन वेदों का उदाहरण मैं केवल श्रुति-परम्परा के सामर्थ्य और उस की विश्वसनीयता के लिए दे रहा हूँ, जिस तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य की बात में बरना चाहता हूँ वेद-सहिताएँ उस में अलग हैं।

भारत की वाचिक परम्परा में मेरी अपनी रुचि जागने के दो विशेष कारण रहे। एक तो यह था कि काव्य के विकास में जो बातें लक्षित हुईं उन-

को समझता और उन का ठीक महत्व बांधना इस बात के विवार के बिना समझने नहीं था कि वाचन और अवण की स्थिति से मुद्रण और पठन की स्थिति में काने पर सम्प्रेषण की परिस्थिति में वैसा आमूल परिवर्तन आ जाता है, जिस का समाज और उस समाज से कवि का सम्बन्ध वैसे बदल जाता है। हम लोग बांधिक और राजनीतिक बारणों पर बहुत बल देते रहे हैं; जिसन्देह उन प्रभावों का भी महत्व है, लेकिन जो अनिवार्य परिवर्तन सम्प्रेषण की स्थिति और सम्बन्ध बदल जाने से होते हैं—और जो हर देश में उसी स्थिति में उन्हीं बारणों से हुए हैं—उन वीं हम उपेक्षा करते रहे हैं। फलतः हम ने ऊपर से रोपे गये प्रभावों को उचित में अधिक महत्व दिया है और रचना-प्रक्रिया के भीतर से उत्पन्न प्रेरणाओं को कम। इस में साहित्य की और विदेश से काव्य की प्रवृत्तियों की हमारी समझ विहृत हुई है।

दूसरा कारण यह था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के लीर विदेश से हिन्दी-साहित्य के अध्ययन में मुफ्त जब-जब १७वीं-१८वीं शती की साहित्यिक सामग्री वीं और जाना पड़ा तब-तब वाचिक साक्षर के महत्व का बोध हुआ और उम के प्रति इतिहासकारों के अवक्षा-भाव पर अवरज हुआ। १७वीं शती में भारत में मुद्रण यत्न नहीं आया था, लेकिन दूसरी तरफ इस काल में छोटे और बड़े अनेक पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में अनेक हस्तालिखित प्रबन्ध सुरक्षित थे। १८वीं शती के उत्तराधि में देश म छपाई के यत्र का आवर्भाव हुआ—और उस के साथ ही वह प्रक्रिया आरम्भ हो गयी जिस के द्वारा छपाई की यत्कृति, वाचिक संस्कृति और अपरिहार्य स्पष्ट से नष्ट करती चलती है। लेकिन वितान की यह प्रक्रिया २०वीं शती के मध्य तक पूरी नहीं हुई। (और शायद यह वहा जा सकता है कि इस देश में अब भी यह विनाश-क्रिया पूरी नहीं हुई क्योंकि अधिमण्ड जलता अमीर निरक्षर है और निरक्षर होते हुए भी सम्भारहीन नहीं है—वाचिक संस्कृति में जीर्ती है।)

१७वीं से १८वीं शती के अत तक विवास की जो गति रही उस में इतिहासकारों का ध्यान इस समाजता की ओर जाना चाहिए था कि बहुत-सा ऐतिहासिक सादर वाचिक परम्परा में ही सुरक्षित रहा हो सकता है, लेकिन इतिहासकारों ने इस क्षेत्र की पोर उपेक्षा की। यह बात-बात देखा गया है कि १८वीं शती के विसी तथावधित समाजारपत्र में प्रवादित दो-चार घटितपो के समाचार की भी अत्यन्त महत्व दिया जा रहा है और उसे अकाट्य प्रभाण माना जा रहा है—वेवल इसलिए कि वह देखा हुआ है; और दूसरी ओर समर्दी किन्तु मिलन साक्षर के बहुत बड़े भडार की वेवल इसलिए उपेक्षा की जा रही है कि उसे छपाई में नहीं उतारा गया और वेवल वाचिक परम्परा में सुरक्षित रहा गया। इस बात का महत्व भी अनदेखा विद्या गया कि ऐसा

बहुत-सा साक्ष्य देश के विभिन्न भागों में भी एक ही रूप में सुरक्षित है। और यह सब इस के बावजूद कि इतिहासकार यह मानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में और समाज के विभिन्न स्तरों पर कई समान्तर परम्पराएँ बड़ी निष्ठापूर्वक सुरक्षित रखी जाती रही हैं।

दो-एक उदाहरण लीजिए। पहला उदाहरण छपे हुये साक्ष्य से लें। मेरे पास एवं पुस्तक है जो इस शासी वे पहले दशव में छपी थी—लिथो से छपी थी। वह खड़ो में तैयार की गयी यह पुस्तक एक पद्य-सकलन है। इस के सकलनकर्ता स्कूल के अध्यापक थे और अनन्तर शायद उपनिरीक्षक के पद तक पहुँचे थे। इस सकलन के पथ तरह-तरह वे गाने, गजलें और गीत हैं। साहित्यिक दृष्टि से उन का महत्व अधिक नहीं है। लेकिन एक दूसरे कारण से उन का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। बहुत कम गाने ऐसे हैं जिन के रचयिता का नाम दिया गया है। इस छपी हुई पुस्तक का अग्र हो कर भी ये गाने वास्तव में वाचिक परम्परा के हैं। वाचिक परम्परा की ओर लोक-साहित्य की असल कसौटी पर वे खरे उतरते हैं—वे अनाम भी हैं और लोक-प्रचलित भी। सकलनकर्ता ने पुस्तक के मुख-पृष्ठ पर ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उस ने उन्हीं गानों का सकलन किया है जो उस ने सुने और जिन्हे मुन कर उस ने जाना कि वे समाज में प्रिय और प्रचलित हैं। इस प्रकार यह सकलन लोकप्रिय वाचिक रचनाओं का सकलन है। इस से भी अधिक महत्व की बात यह है कि सबहीत प्रत्येक गजल और गीत के साथ एक और उल्लेख भी है। रचयिता अथवा कवि का नाम तो उस के साथ नहीं दिया है, लेकिन किसी-न-किसी गाने वाले का नाम उस के साथ जोड़ दिया गया है ‘बतर्ज अमुक धुन’ अथवा ‘अमुक गायक/गायिका अथवा तवायफ द्वारा गाये गये अमुक गाने की धुन।’

यह तो कहा जा सका है कि काव्य-साहित्य की दृष्टि से इन गानों का अधिक महत्व नहीं है। उन का असली महत्व उन के साहित्यिक गुण में नहीं बल्कि एक उल्लिखित सम्बन्ध में है। यह उल्लेख क्या सूचित करता है? स्पष्ट है कि ये गाने सकलन के तुरत पहले के युग में समाज में प्रचलित और प्रिय थे। इतना ही नहीं, यह सबह हम यह भी बताता है कि उस समय के अथवा उस समाज में प्रिय गायक-गायिकाएँ (और तवायफ) कौन थी। सकलन इससे अधिक भी कुछ बताता है। इन विशेष गायिकाओं द्वारा गाये गये ये विशेष गाने उस समाज में इतने लोकप्रिय थे कि उस समाज के विभिन्न स्तरों के कवि अपने गाने उन्हीं की तर्ज पर रचते थे। केवल कोई भी लोक-प्रिय धुनें नहीं, एक विशेष गायिका द्वारा गायी गयी विशेष धुन का सहारा ले कर वे रचना करते थे।

अब अगर ऐसा मान लेना ठीक है कि इन गीतों का रचनाकाल इस मकलत के प्रकाशन से तुरत पहले का दाव (या दो दाव) रहा होगा—और ऐसा मानना सर्वथा तर्कसंगत है—तो हमें एक महत्व की जानकारी मिलती है कि बीसवीं शती में प्रवेश करते समय हिन्दुस्तानी (हिन्दी-उर्दू) बोलने वाले भाषाओं की किस प्रकार वीरचि यी और क्या साहित्य उन्हें उपलब्ध था और कैसी प्रेरणाएँ विविधों के सामने थीं।

अब १९६०-१९१० के साहित्य और साहित्यिक रचि के इस मौके के बाद साहित्य के इतिहासों की ओर मुड़े। हिन्दी, उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी साहित्य के जो इतिहास चित्तविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं और सम्मान पाते हैं उन में क्या इस युग की चर्चा में कहीं भी इस कोटि ने साहित्य का उल्लेख है?

उस युग के समाज में जिस तरह वा साहित्य सब से अधिक प्रचलित और लोकप्रिय या इस की जानकारी को क्या ये इतिहासकार उचित महत्व देते हैं? क्या इस उपेक्षा का कारण यही नहीं है कि यद्यपि आज यह सामग्री मुद्रित स्पष्ट में उपलब्ध है, पर भी वास्तव में तो वाचिक साहित्य ही है? क्या इस से यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि साहित्य के सभी इतिहास-वार समाजीन साहित्य के इतिहास के बारे में एक अभिजातवर्गीय दृष्टि रखते हैं—वैनिक इतिहासकार तथ्यों की जान-बूझ कर उपेक्षा करते हुए इतिहास का विवृत चित्र प्रस्तुत करते हैं? इस युग का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने तत्कालीन समाजारम्भों और पत्रिकाओं के मामूली सन्दर्भ सोज़ निकालने में बहा परिष्ठम किया है और उन का पूरा ऐतिहासिक परिदृश्य छोपे में उपलब्ध सामग्री पर ही आधारित रहा है। दूसरे भी सन्दर्भ हैं जिनका अपना महत्व हो सकता है और जिन से इस छोपी दृष्टि सामग्री का मूल्य बिलकुल बदल सकता है, यह बात मानो उन्हें मूमी ही नहीं।

अब एक दूसरे प्रकार का साइर सीजिए। आज भी सारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पर्यंतोप उत्तर प्रदेश, उत्तरी विहार, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश आदि में वाचिक परम्परा की ऐसी रचनाएँ सुनी जा सकती हैं और शाय मुनाफी जाती हैं जो अभी तक छोपी नहीं हैं, लेकिन जो कई पीड़ियों से लगातार बढ़े-बढ़े श्रोता-समूहों का मनोरजन करती है—और वे बल मनोरजन ही करती आयी हैं ऐसा नहीं है, उन का ज्ञानवर्द्धन भी करती रही है और उन्हें साहित्यिक, ऐतिहासिक और सामाजिक स्तरार भी देनी रही है—मोटे तीर पर कहें कि उन वी मस्तृति का विविच्छिन्न थग है। इस तीर गाहित्य में अनेक ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख आता है जिन के छोपे हुए दस्तावेज़ हम मने ही न मिलते हों, लेकिन जिन का उस लोक-

समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा जिस में उन दी गायाएँ इस रेय स्प में सुरक्षित रहीं। यथा इतिहासकार वा यह भी वर्तम्य नहीं है कि इस बोटि के साथ पो ग्रहण और स्वीकार करे, उसे में उत्तिमित घटनाओं के पट्टमुखों का नया मूल्यावन बरे, जिस समाज ने अपनी स्मृति में उन्हें बनाये रखा है उस समाज के सिए उन दी महत्व वा मूल्यावन बरे?

एवं और बोटि के साथ पर भी विचार कीजिए। आत्मा को इतिहास में स्थान मिला है, लेकिन यथा इतिहासकार इस तथ्य वा पूरा अभिप्राय भी समझते हैं कि उस वा जो लिखित (और अब मुद्रित) स्प हम मिलता है वह एक अप्रेज रैनिक अफगर द्वारा गिपाहियों से मुन पर लिखवाये जाने से पहले चार-चाँच सी वर्ष तक लोक समाज की स्मृति में ही सुरक्षित रहा था? नि सन्देह इस बाल में सगातार उस वा स्प कुष्ट-न-कुष्ट बदलता गया और एक अप्रेज अफसर के पुण्यार्थ से लिखवाया जा कर वह जिस स्प में सुरक्षित है उस दी भाषा निदर्श्य ही वह भाषा नहीं जिस में जगन्निक ने पहली बार यह बीर-गाया सुनायी होगी। लेकिन बदलती हुई भाषा दी ओट में भी जो चीज अविचल स्प से सोक-समाज की स्मृति में बनी रहती है और उस के पूरे सबेदन को एवं सत्कार देती है उस दी उपेक्षा वैम दी जा सकती है?

अप्रेज रैनिक अफगर वा नाम आया तो एवं और यात वा उल्लेख भी किया जाये। एक और अफसर ने एक बार अपने जबानों की सास्कृतिक पूँजी का सर्वेक्षण किया था। रैनिकों को जो भी वाद्य-रचनाएँ याद दी, जिन से वे अपना और एक-दूसरे वा अनोरजन बरते थे और अपने स्तर पर एवं सहूद्य समाज बनाते थे, उन रचनाओं वा साप्त्रह इस अपसर ने किया था। इस दुर्लभ लेकिन अभी उपलब्ध सप्त्रह में यह प्रगट होता है कि इन अनपढ़ रैनिकों की सास्कृतिक राम्पत्ति में तुलसी रामायण और आत्मा जैसी चीजें तो थी ही, बवित, सर्वेषां और अनेक प्रवार वे मुक्तकों वा यहुत बड़ा भडार भी था। विनाश यात यह कि अनेक रैनिकों को वेशवदास के अनेक छन्द याद थे—उसी वेशवदास ने जिसे पढ़े-लिये लोग भी “कठिन कार्य का प्रेत” वह कर याद बरते हैं। क्या इस तरह वे साथ्य पूरे साहित्य-समाज के बारे में हमारी धारणा बदल नहीं देते? क्या उन में यह स्पष्ट चुनौती नहीं है कि वेवल छोड़े हुए या ग्रन्थों में सुरक्षित सामग्री की ओर ध्यान दिये विना साहित्य का बोई इतिहास पूरा नहीं हो सकता?

इस म सन्देह नहीं रह जाता कि इस तरह वे साथ्य और श्रुति-प्रस्परा म सुरक्षित सामग्री की ओर हमारे इतिहासकारों के उपेक्षा-भाव वा एकमात्र कारण यह है कि यह साथ्य वाचिक है। दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि अपने को इतिहासकार बहुते वाला पड़ित वेवल इस नाम के आधार पर

देश की दो तिहाई जनता और उस की पूरी साहित्यिक सम्पदा की उपेक्षा बरते का अधिकार अपने ऊपर बोढ़ लेता है।

बारोप तो अतिरजित लग भवता है, लेकिन अगर सचाई का दीज उस में है तो अतिरजना का टिक्का उतार बर भी उसे प्रहण किया जा सकता है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि जिस सच्चे साहित्येतिहास सीमाओं के उपरान्त विद्यरी पढ़ी है वह साहित्येतिहास साहित्य के पाठ्यों पर उपस्थित है। 'आम आदमी' की बात बरते हुए ही हम लगातार जिस आम आदमी की उपेक्षा करते रहते हैं उसे हम उस का उचित और अधिकृत स्थान दें।

समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा जिस में उन की गाथाएँ इस गेय रूप में सुरक्षित रहीं। वया इतिहासकार का यह भी कर्तव्य नहीं है कि इस बोटि वे साक्ष्य को ग्रहण और स्वीकार करे, उस में उल्लिखित पटनाओं के पहलुओं का नया मूल्यांकन करे, जिस समाज ने अपनी स्मृति में उन्हें बनाये रखा है उस समाज के लिए उन के महत्व का मूल्यांकन करे ?

एक और बोटि के साक्ष्य पर भी विचार कीजिए। आल्हा को इतिहास में स्थान मिला है लेकिन वया इतिहासकार इस तथ्य का पूरा अभिप्राय भी समझते हैं कि उस का जो लिखित (और जब मुद्रित) रूप हमें मिलता है वह एक अग्रेज सैनिक अफसर द्वारा सिपाहियों से सुन कर लिखवाये जाने से पहले चार पाँच सौ वर्ष तक लोक समाज की स्मृति में ही सुरक्षित रहा था ? नि सन्देह इस बाल में लगातार उस वा रूप कुछ बदलता गया और एक अग्रेज अफसर वे पुरुषार्थ से लिखवाया जा कर वह जिस रूप में सुरक्षित है उस की भाषा निश्चय ही वह भाषा नहीं जिस में जगनिक ने पहली बार यह बीरनाथा सुनायी होगी। लेकिन बदलती हुई भाषा की ओट में भी जो चीज़ अदिचल रूप से लोक समाज की स्मृति में बनी रहती है और उस के पूरे सबेदन को एक सस्कार देती है उस की उपेक्षा कैसे की जा सकती है ?

अग्रेज सैनिक अफसर का नाम आया तो एक और बात का उल्लेख भी किया जाये। एक और अफसर ने एक बार अपने जवानों की सास्कृतिक पूँजी का सर्वेक्षण किया था। सैनिकों को जो भी काव्य रचनाएँ याद थीं जिन से वे अपना और एक दूसरे का मनोरजन करते थे और अपने स्तर पर एक सहृदय समाज बनाते थे उन रचनाओं का सम्रह इस अफसर ने किया था। इस दुलभ लेकिन अभी उपलब्ध सम्रह से यह प्रगट होता है कि इन अनपढ सैनिकों की सास्कृतिक सम्पत्ति में तुलसी रामायण और आल्हा जैसी चीज़ें तो थी ही कवित सर्वेया और अनेक प्रकार के मुक्तकों का बहुत बड़ा भडार भी था। विलक्षण बात यह कि अनेक सैनिकों को वेशवदास के अनेक छाद याद थे—उसी वेशवदास के जिसे पढ़ लिखे लोग भी “कठिन काव्य का प्रेत” कह कर याद करते हैं। वया इस तरह वे साक्ष्य पूरे साहित्य समाज के बारे में हमारी धारणा बदल नहीं देते ? वया उन में यह स्पष्ट चुनौती नहीं है कि वेशव छपे हुए या प्राणों में सुरक्षित सामग्री की ओर ध्यान दिये विना साहित्य का कोई इतिहास पूरा नहीं हो सकता ?

इस में सन्देह नहीं रह जाता कि इस तरह वे साक्ष्य और श्रुति परम्परा में सुरक्षित सामग्री की ओर हमारे इतिहासकारों के उपेक्षा भाव का एकमात्र कारण यह है कि यह साक्ष्य चाचिक है। दूसरे शब्दों में यो बहा जा सकता है कि अपने को इतिहासकार कहने वाला पड़ित केवल इस नाम के आधार पर

देश की दो-तिहाई जनता और उस की पूरी साहित्यिक सम्पदा की उपेक्षा  
करने का अधिकार अपने ऊपर छोड़ देता है !

बारोप तो अतिरंजित लग सकता है, लेकिन अगर सचाई का बीज उस  
में है तो अतिरजना का छिलका उतार कर भी उसे प्रहण किया जा सकता  
है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन वाहता हूँ कि जिस सच्चे साहित्येतिहास  
यी सामग्री देग मे उपेक्षित गिरावटी पढ़ी है वह साहित्येतिहास साहित्य के  
पाठ्यों से उपलब्ध हो। 'आम आदमी' की बात बरते हुए ही हम लगातार  
जिस बाम आदमी की उपेक्षा करते रहते हैं उसे हम उस का उचित और  
अधिकृत स्पान दें।

## धर्म-निरपेक्षता के दर्जे

अभी उस दिन देश के एक बड़े माने जाने-वाले नेता ने हमें बताया कि 'भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है'। भारत के धारे में और भी वह बड़े माने-जाने वाले नेता जब-तब ऐसी बातें कहते हैं—वभी किसी को सुना बरने चाही तो वभी किसी को चौकाने चाही। यो कहा जा सकता है कि जो बातें वे कहते हैं उनके मूल में वोई न-नोई तथ्य होता है—और तथ्यों से भगड़ा कैसा ? लेकिन तथ्य अपने आप में तो वोई अर्थ नहीं रखते और किस तथ्य का क्या अर्थ लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है यह उस सन्दर्भ पर निर्भर करता है जिससे वह तथ्य रखा जाता है, या उस नीयत पर निर्भर बरता है जिस से वह तथ्य किसी सन्दर्भ में रखा गया, किसी समाज के सामने रखा गया या किसी विशेष अवसर पर उछाला गया। किसी की नीयत पर हम शक बयों बरें—सास कर उस बातावरण में जिसमें हर किसी को हर दूसरे भी नीयत पर शक करना ही अपने समानेपन का एकमात्र लक्षण जान पड़ने लगा है। लेकिन कोई बड़ा माना जाने वाला आदमी जब वोई तथ्य हमारे सामने रखता है तो उसका अर्थ समझने का भी हमें कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए।

भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, इस बात का आधार देशों की जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर सबसे द्यादा मरुद्या में मुसलमान इडोनेसिया म बसते हैं। उसके बाद दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान आता है—यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या इडोनेसिया के बाद सबसे अधिक है। यो, निरे तथ्य के आधार पर, बात सही हो जाती है। फिर भी उसकी ओर ध्यान दिलाने की जहरत है क्योंकि जनसंख्या के आकड़ों के आधार पर ही यह बात भी उतनी ही सच है कि 'भारत संसार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है।' संख्या में संसार के किसी दूसरे देश की अपेक्षा यहाँ हिन्दू अधिक बसते हैं।

लेकिन क्या किसी बड़े माने-जाने वाले नेता को यह कहने की हिम्मत है

कि भारत ससार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है ? वल्कि यही सवाल यों भी पूछा जा सकता है कि अगर उनके सामने कोई यही तथ्य उपस्थित करे कि भारत ससार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है तो वथा वह बौखला नहीं उठेंगे और इसे संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, कठमुल्लापन आदि-आदि का प्रमाण नहीं मानने लगेंगे कि कोई ऐसा कह रहा है ?

सवाल इसीलिए नीयत का सवाल बन जाता है ।

‘भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम-देश है’, इस बात का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि हम उसे इस दूसरी बात के सन्दर्भ में न रखें कि भारत संसार का सबसे बड़ा हिन्दू-देश है । दोनों ही बातें एक ही जाति के तर्क और सुलनीय तथ्यों पर आधारित हैं—जनसंख्या के तर्क पर । एक बात यी सच्चाई उतनी ही, वैसी ही और उसी सन्दर्भ में है जितनी, जैसी और जिस सन्दर्भ में दूसरी बात की सच्चाई है ।

फिर भी एक बात कही जाती है और कहने वाला अपने को उदार, प्रगति-शील और धर्म-निरपेक्ष मानता है; और दूसरी बात नहीं कही जाती या उसे बहने या सोचने वाले की तुरत संकीर्ण, प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक मान लिया जाता है । ऐसा क्यों ?

यह सवाल बार-बार पूछने की ज़रूरत है । उसके साथ ही बार-बार यह सवाल भी उठाने की ज़रूरत है कि धर्म-निरपेक्ष हम किसे बहते हैं ? धर्म-निरपेक्ष होने का मतलब क्या है, खास बर इस देश में जहाँ लम्बी परम्परा से सब-कुछ धर्म के अधीन माना गया है ? जहाँ तक कि धर्म-निरपेक्षता की तर्क-संगति भी धर्म से ही सिद्ध बी जाती है ।

क्या धर्म-निरपेक्षता के भी दरजे हैं ? काले धन से शासित समाज में हम ‘एक नम्बर’ और ‘दो नम्बर’ की बाय या पूजी की बातों के आदी हो गये हैं—तो क्या धर्म-निरपेक्षता भी एक बाला धन है और वहाँ भी ‘एक नम्बर’ और ‘दो नम्बर’ की धर्म-निरपेक्षता चलती है ?

इस देश के सबसे बहुसंख्य धर्म—हिन्दू धर्म—के नाम के साथ बहुत-सी कठिनाईयाँ हैं । कुछ कठिनाईयाँ ऐतिहासिक हैं; कुछ बा बाधार भारतीय धर्म-दृष्टि है । ‘हिन्दू’ नाम जिस अर्थ में वह आज रुढ़ ही गया है उस अर्थ में उत्तर मध्य बाल की ही है देन है, हालांकि उसकी आधारभूत जीवन-दृष्टि का स्वरूप प्रार्थनामित्र बाल में ही स्थिर हो गया था और देश के जीवन को अनुप्राणित करता आया है । इसलाम और ईसाइयत और यहूदियत से हिन्दू-धर्म इस बात में भिन्न है कि उसकी इमारत बिनी मत-विश्वास या एकान्त-वादी मान्यता पर नहीं बनायी गयी है, बल्कि मृष्टि मात्र के साथ सम्बन्ध पर आधारित है । यही हिन्दू-धर्म बी अद्वितीयता है—लेकिन यही उसकी ऐति-

## धर्म-निरपेक्षता के दर्जे

अभी उस दिन देश के एक बड़े माने जाने-वाले नेता ने हमे बताया कि 'भारत सशार का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम-राष्ट्र है'। भारत के बारे में और भी कई बड़े माने-जाने वाले नेता जब-तब ऐसी बातें कहते हैं—वभी किसी को खुश बरने वाली तो कभी किसी को चौंकाने वाली। यो कहा जा सकता है कि जो बातें वे कहते हैं उनमें मूल मे कोई न-कोई तथ्य होता है— और तथ्यों से भगड़ा कैसा? लेकिन तथ्य अपने आप मे तो कोई अर्थ नहीं रखते और किस तथ्य का क्या अर्थ लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है यह उस सन्दर्भ पर निर्भर करता है जिससे वह तथ्य रखा जाता है, या उस नीयत पर निर्भर करता है जिस से वह तथ्य किसी सन्दर्भ मे रखा गया, किसी समाज के सामने रखा गया या किसी विशेष अवसर पर उछाला गया। किसी की नीयत पर हम शक वयो करें—सास भर उस वातावरण मे जिसमे हर किसी को हर दूसरे की नीयत पर धाव करना ही अपने समानेपन वा एकमात्र लक्षण जान पड़ने लगा है। लेकिन कोई बड़ा माना जाने वाला आदमी जब कोई तथ्य हमारे सामने रखता है तो उसका अर्थ समझने का भी हमे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए।

भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम-राष्ट्र है, इस बात का आधार देशो की जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या मे मुमलमान इडोनेसिया मे बसते हैं। उसके बाद दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान आता है— यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या इडोनेसिया के बाद सबसे अधिक है। यो, निरे तथ्य के आधार पर, यात सही हो जाती है। फिर भी उसकी ओर ध्यान दिलाने की जरूरत है क्योंकि जनसंख्या के आकड़ो के आधार पर ही यह बात भी उतनी ही सच है कि 'भारत सशार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है।' संख्या मे सशार के किसी दूसरे देश की अपेक्षा यहाँ हिन्दू अधिक बसते हैं।

लेकिन क्या किसी बड़े माने-जाने वाले नेता को यह कहने की हिमत है

कि भारत ससार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है ? बल्कि यही सवाल यो भी पूछा जा सकता है कि अगर उनके सामने कोई यही तथ्य उपस्थित करे कि भारत ससार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है तो वश वह बौखला नहीं उठेंगे और इसे सकींता, साम्प्रदायिकता, कठमुल्लापन आदि-आदि का प्रमाण नहीं मानने लगेंगे कि कोई ऐसा कह रहा है ?

सवाल इसीलिए नीयत का सवाल बन जाता है ।

'भारत ससार का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम-देश है', इस बात का कोई अर्थ नहीं होता जब तब कि हम उसे इस दूसरी बात वे सन्दर्भ में न रखें कि भारत मसार का सबसे बड़ा हिन्दू-देश है । दोनों ही बातें एक ही जाति के तर्बं और तुलनीय तथ्यों पर आधारित हैं—जनसंख्या के तर्कं पर । एक बात को सच्चाई उतनी ही, वैसी ही और उसी सन्दर्भ में है जितनी, जैसी और जिस सन्दर्भ में दूसरी बात की सच्चाई है ।

फिर भी एक बात कही जाती है और कहने वाला अपने को उदार, प्रगति-शील और धर्म-निरपेक्ष भानता है, और दूसरी बात नहीं कही जाती या उसे कहने या सोचने वाले वो तुरत सकीं, प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक मान लिया जाता है । ऐसा क्यों ?

यह सवाल वार-वार पूछते वी ज़हरत है । उसके साथ ही वार-वार यह सवाल भी उठाने वी ज़हरत है कि धर्म-निरपेक्ष हम विसे बहते हैं ? धर्म-निरपेक्ष होने का मतलब क्या है, रास बर इस देश में जहाँ सम्बो परम्परा से सब-कुछ धर्म वे अधीन माना गया है ? जहाँ तब कि धर्म-निरपेक्षता वी तर्क-समर्त भी धर्म से ही सिद्ध की जाती है ।

क्या धर्म-निरपेक्षता के भी दरजे हैं ? बाले धन से शासित समाज में हम 'एक नम्बर' और 'दो नम्बर' वी आप या पूजी की बातों के आदी हो गये हैं—तो क्या धर्म निरपेक्षता भी एक बाला धन है और वहाँ भी 'एक नम्बर' और 'दो नम्बर' वी धर्म-निरपेक्षता चलती है ?

इम देश के सबसे बहुसंख्य धर्म—हिन्दू-धर्म—के नाम के साथ बहुत-सी छिनाइयाँ हैं । कुछ कठिनाइयाँ ऐतिहासिक हैं, कुछ वा आधार भारतीय धर्म-दृष्टि है । 'हिन्दू' नाम जिस अर्थ में वह आज रुढ़ हो गया है उस अर्थ में उत्तर मध्य काल वी ही देन है, हालाँकि उसकी आधारभूत जीवन-दृष्टि का स्वरूप प्रारंभिक बाल में ही स्थिर हो गया था और देश के जीवन को अनुप्राणित करता आया है । इस्लाम और ईसाइयत और यहूदियत से हिन्दू-धर्म इस बात में मिल है कि उम्मी इमारत किसी भत विश्वास या एकान्त-वादी भाव्यता पर नहीं बनायी गयी है, बल्कि सृष्टि भाव के साथ सम्बन्ध पर आधारित है । यही हिन्दू-धर्म की अद्वितीयता है—जेविन यही उसकी ऐति-

हासिक और आज कहें कि राजनीतिक कठिनाइयों का आधार भी है। दूसरे धर्म-मत सबसे पहले अपने आस-पास एक बाढ़ा बनाते हैं : जो उसके भीतर हैं वे 'अपने' हैं और वाकी सब 'येर' हैं और कभी-कभी शत्रु भी माने जाते हैं। लेकिन हिन्दू जीवन-दृष्टि ऐसे बाड़े नहीं बनाती और किसी को गैर भी मानती। उसके लिए धर्म वह है जो सारे सासार को चताता है—अलग-अलग समाजों के अलग-अलग धर्म-विश्वासों के बावजूद। हा, यह बात फिर से कहूँ कि हिन्दू-जीवन दृष्टि बाड़े नहीं बनाती—मत-विश्वासों के आधार पर बाड़े नहीं बनाती—इसके बावजूद कि उसके अपने समाज के भीतर अनेक विभाजन हैं जिनमें से कुछ अत्यन्त क्रूर ढंग के भी हैं।

नि सन्देह ये भीतरी विभाजन क्रूर, अमानुपी और आत्मघाती हैं और इन्हें जल्दी-से-जल्दी मिटाना चाहिए। लेकिन आज के हिन्दू-समाज में उनका चलन होने पर भी ये ही हिन्दू समाज नहीं हैं और न हमारी धार्मिकता इन पर निर्भर करती है, न हमारी धर्म-निरपेक्षता। हम हिन्दू समाज के बट्टर-से-कट्टर वर्ग का अग होते हुए भी, उसके घटिया-से-घटिया, नृशस-से नृशस लोक-व्यवहारों को मानते हुए भी आज के प्रचलित अर्थ में धर्म-निरपेक्ष हो सकते हैं, दूसरी ओर उन सब आचार-नियमों को अमानुषिक मान कर उन्हें तोड़ते हुए भी धर्मवान् हो सकते हैं। बल्कि हम देख भी सकते हैं कि आज के भारतीय समाज में ये सारे अमानुपी रीति-रिवाज उस वर्ग में भी उतने ही प्रचलित हैं जो राजनीतिक दरागत आधार पर अपनी धर्म-निरपेक्षता वी दुहाई देता है।

कहने चलने पर यह लगता है कि ये सब बातें नयी नहीं हैं। सचमुच नयी नहीं हैं। लेकिन सामाजिक राजनीतिक परिवेशों में अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ बातें सिर्फ़ इसलिए नयी हो जाती हैं कि किसी ने उन्हें कह दिया है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी ही बातों में—जो आज कह देने-भर से नयी हो जाती है—एक बात यह भी है कि भारत सासार का सबसे बड़ा हिन्दू-राष्ट्र है।

इस बात को मैं साम्प्रदायिक नहीं मानता। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस देश और राष्ट्र में धर्म-निरपेक्षता की अर्थवत्ता ही इस पर निर्भर करती है कि यह देश इस तथ्य से निकलने वाली अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और स्वीकार करे। और वह जिम्मेदारी सिर्फ़ आज की राजनीतिक अवसर-वादिता पर आधारित नहीं है बल्कि एक अद्वितीय ऐतिहासिक परम्परा का प्रतिफलन है। इस बात को पहचान कर देश अपनी धर्म-निरपेक्षता को फिर उसके सही स्थान पर प्रतिष्ठित करे, 'दो नम्बर' की धर्म निरपेक्षता से सन्तुष्ट न रह कर उस 'एक नम्बर' की धर्म-निरपेक्षता पर कायम हो जो स्वयं भार-

तीय धर्म-दूषित के ही प्रमाण पर टिकी है।

भारतीय समाज सासार का सबसे बड़ा हिन्दू-समाज है। नि सन्देह इस समाज ने ऐसे भी युग देखे जब उसके धर्म-विश्वासों को राजनीतिक सत्ता का सहारा भी मिला, जब लौकिक और पारलौकिक—या ऐहिक और पारमाधिक—प्रभुसत्ताओं का योग हुआ। महर्ष की बात है कि उस परिस्थिति में यह समाज असहिष्णु नहीं हुआ और दूसरे सम्प्रदायों के विषद् अत्याचार अथवा दमन को उसन अत्याचार और अधर्म समझा। यह केवल अकारण नहीं है बल्कि भरतीय इतिहास का गौरवमय अध्याय है। इसा की पहली शती में ही इस देश ने 'धार्मिक' कहे जाने वाले अत्याचार से अस्त इसाइयों और यहूदियों को प्रथम दिया। यह धार्मिकता ही इस देश की धर्म-निरपेक्षता रही। मैंने बहा कि यह हमारे इतिहास का एक गौरवमय अध्याय है। लेकिन अतीत गौरव की बात से सन्तुष्ट हो जाना या अपनी पीठ ठोक लेना काफी नहीं है। अगर आज भी यह देश अपने को सासार का सबसे बड़ा हिन्दू-देश जानते और मानते हुए उसी धर्म पर आधारित धर्म निरपेक्षता को प्रतिष्ठित कर सकता है, तभी वह ऐसा देश बन सकता है जो केवल जनभृत्या के आधार पर नहीं, जीवन-दृष्टि के आधार पर बड़ा देश है।

इस बात का पूरा आदाय समझने वे लिए एक बार आस-नास देखना भी आवश्यक है और सासार की अधुनातन प्रवृत्तियों को व्यापक ऐतिहासिक परिदृश्य में देखा समझना भी आवश्यक है। मैंने बहा कि यह देश प्रबल गुरु-नीतिक सामर्थ्य के युग में भी उदार और सहिष्णु था रह सका और समृद्धि को धर्म निरपेक्ष इमीलिए बनाये रख सका यदोंवा वह सत्त्वनि धार्मिक सत्त्वति थी—धर्म का अर्थ इतना व्यापक था कि सस्तुति भी मर्दाँ होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। द्रुमरी और इनिहास बताता है कि ईश्वरद्वारे बाह्य के आविष्वार का भरपूर उपयोग करने में बोई मक्कीच नहीं छिन—भले ही बाह्य बनाने का नुस्खा उसे फहले-महले एक ग्रैर ईमार्ट (ईन्ड्री) संस्कृति में मिला था। न ही उसने पूजी के विश्वास का उत्तरोत्तर बढ़ाव दिया है उसने में बोई सकोष किया। और समकालीन इनिहास के प्रति ईश्वर, हिंदू दिना हम यह भी कह सकते हैं कि आज इस्लाम बहुत कुछ अन्दर देश में मिलने पाती राजनीतिक शक्ति का उपयोग उसी ढंग में हर गूढ़ है—जैसे पर आधारित पूजी (येट्रोडॉलर) का उपयोग भी न केवल गुरु-नीतिक दम्भ के रूप में हर रहा है, बल्कि साम्प्रदायिक समाज के नियार के लिए भी कर रहा है। कदाचित् मत विश्वास पर आधारित बोई भी सुप्रदर्शन ढंग बन नहीं सकता। राजनीतिक अथवा अधे राजनीतिक कृता नित तं ही प्रभागवाली आकाशक भगिमा लेना उसके लिए स्वामानिक हो जाता है। कातीनी

अमेरिका में ईसाइयत का ऐसा रवैया देखा जा सकता है, यह, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एसिया तथा अफ्रीका में इस्लाम का रवैया भी ऐसा ही रहा है। यह इसके बायजूद कि दोनों सम्प्रदायों में ऐसे अनेक उदार, मानवतावादी और प्रबुद्धचेता व्यक्ति रहे और हैं जो इन प्रवृत्तियों से दुखी हैं और अपने-अपने देशों तथा समाजों को उसके प्रति आगाह करते रहे हैं।

हमारी धर्म निरपेक्षता का सर्वदर्श यही हो सकता है हम आक्रामक नहीं हुए तो हमें सुरक्षा की भगिनी भी नहीं अपनानी चाहिए। दोनों एक-सी सकीर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। अपनी जीवन-दृष्टि की सही पहचान, अपनी ऐतिहासिक नियति वी सही पहचान है और वह अतीत-जीवी या अतीतोन्मुखी नहीं है वह समकालीन है और आज के लिए प्रासादिक है। यह सच्ची धर्म निरपेक्षता सबसे पहले और तुरत अपने समाज के भीतर समत्व स्थापित करेगी और लोकाचार को जड़े हुए कलंकों को मिटायेगी, और फिर वह सर्वमत सम्भाव के आधार पर धार्मिक होगी—उस अथ में जिसमें यह देश एक धर्मवान् देश रहा है—ससार वा सबसे बड़ा धर्मवान् देश।

## देशीयता और मौलिकता

साहित्य भाषा मे लिखा जाता है, और भाषा एक निरन्तर बदलती हुई गतिमान् चीज़ है। भाषा के परिवर्तनो का साहित्य के अध्ययन के लिए बहुत महत्व है, लेकिन भाषाविद् का समर्द्ध एक है, साहित्य के प्रणेता और अध्येता का दूसरा।

साहित्य विसी-न-विसी विधा मे लिखा जाता है, और विधाएँ भी विकासमान हैं, इसलिए साहित्य वो पढ़ने और समझने के लिए विधाओं मे आने वाले परिवर्तनो और नयी विधाओं के आविष्कार को समझना निहायत जरूरी है।

ये दोनों बातें साहित्य के अध्येता, अध्यापक और आलोचक मानते हैं। समकालीन साहित्य-चर्चा मे भुल्लतया इन्हीं दोनों का विवेचन होता है। भाषा भी विशेषताएँ और भाषागत परिवर्तन, तथा विधागत विशेषताएँ और परिवर्तन। लेकिन साहित्य भाषा अथवा विधा ही नहीं है। सब से पहले वह एक सम्प्रेषण है तो उस की प्रक्रिया का एक माध्यम भी है—वह माध्यम जिस मे सम्प्रेषण की वह प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

यह बात इतने महत्व भी है कि दुहरायी जा सकती है। भाषा माध्यम है, विधा भी माध्यम है, पर ये दोनों इस अर्थ मे माध्यम हैं कि उन के द्वारा सम्प्रेषण सम्पन्न होता है। उन के द्वारा वह सम्प्रेषण सम्पन्न होता है समाज मे, और यह समाज एक दूसरे अर्थ मे सम्प्रेषण का माध्यम है, भाषा और विधा उस के निमित्त हैं।

इस माध्यम की, और उस पाठ्य समाज की ओर, जिस मे सम्प्रेषण की प्रक्रिया सम्पन्न होती है, मानो विसी का व्यान नहीं है। इस के बावजूद कि समाज, सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रतिबद्धता आदि की इतनी चर्चा होती है, सम्प्रेषण के माध्यम के रूप मे समाज इतना उपेतित है, मानो उस का अस्तित्व ही न हो, जब कि सचाई यह है कि

समाज को इस रूप में देखे-समझे बिना वास्तव में साहित्य को भी नहीं समझा जा सकता। स्वयं भाषा का और विधाओं का विकास भी बहुत दूर तक इस पर निर्भर करता है कि सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में समाज कहाँ और कैसे बदल रहा है। समाज केवल आर्थिक सम्बन्धों के जाल वा नाम नहीं है, न केवल राजनीतिक सरचना है, समाज में सबेदनों का जाल और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न सबेदनों की अतिरिक्त अथवा सकुचित सजगता भी अपना महत्व रखती है, और इसे समझने के लिए हमें फिर मन सस्कारों की ओर ध्यान देना पड़ता है, जो केवल ऐतिहासिक घटना अथवा तथ्य के आधार पर नहीं समझे जा सकते, भले ही उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक हो। इस बात को मानो हिन्दी-साहित्य का अध्यापक और आलोचक भूल ही गया है। इतना भूल गया है कि इन सम्बन्धों के प्रायमिक और मोटे उदाहरण भी उम के ध्यान से उतर गये हैं।

उदाहरण के लिए भाषा की ही बात लें भाषा बदलती है तो भाषा के परिवर्तन भाषा में से ही निकलते हैं, भाषा एक सामाजिक और युगीन समय है, जिस से आगे तो बढ़ा जा सकता है, पर सीढ़ी-दर-सीढ़ी और समाज को अपने साथ लेते हुए ही। भाषा को आमूल उखाड़ कर उस की जगह नयी भाषा हम नहीं दे सकते नये शब्द, नये मुहावरे, नये प्रयोग हम कर सकते हैं तो एक जाने हुए, उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत ढाँचे के भीतर ही। इसी प्रकार और इसी अर्थ में कविता भी बविता में से निकलती है। नयी रचना अपने पूर्ववर्ती साहित्य को नकारती है तो उस नकार की भी लीकें वह पूर्ववर्ती साहित्य ही निर्धारित करता है, क्योंकि इस के बिना सवाद और सम्प्रेषण की स्थिति ही नहीं रहेगी। समाज-रूपी माध्यम से सवाद के सून टूट चुके होंगे और उस के लिए यह पहचानना भी कठिन हो जायेगा कि यह जो 'नया' है, यह उसी के साहित्य का नया है। पाठक निरन्तर नया कुछ चाहता है, आवृत्ति नहीं चाहता, नये को सहानुभूति भी दे सकता है और देता है। पर जो नया वह चाहता है, वह 'नया' ऐसा ही होगा, जिसे वह अपने पुराने ज्ञान और सस्कार के आधार पर पहचान और अपना सके—जिस के सामने वह केवल भौचक्का-सा न रह जाये।

हम ने कहा कि यह प्रायमिक स्तर है, मोटी बात है; पर इसे भी आलोचक भूल गया है। यह भूल साहित्यकार के लिए कितनी धातक हो सकती है, इस की ओर उस का ध्यान भला कहाँ जायेगा। साहित्यकार के लिए रचना सम्प्रेषण से अलग नहीं, नहीं ही सकती, इसलिए उस के लिए तो इस सम्प्रेषण माध्यम की स्थिति के बारे में लगातार सबग रहना, उस माध्यम की अपनी पहचान के अनुरूप अपनी भाषा को ढालना, विधाओं के अपने उपयोग-प्रयोग

को परिवर्तित करना, सहज और स्वाभाविक (और अनिवार्य) कर्म है—इस बात को भी मानो आलोचक भूल गया है। 'रचना', 'परिस्थिति' में से उप-जती है, और परिस्थिति सब से पहले उस सम्प्रेषण-माध्यम की स्थिति है, जिस में रचना हुई है और जिस के बीच तथा जिस के द्वारा वह दूसरे तक पहुँचेगी, दूसरे तक पहुँचायी जायेगी। (और यह 'दूसरे' तक पहुँचना ही तो 'साहित्य' है।) पर यह बात भी आज हमारे समालोचक-समाज में उपेक्षित है। कोई नयी रचना हमारे सामने आती है तो हम विधा के रूप में उस पर विचार करते हुए इस खोज में दत्तचित्त हीते हैं कि विदेशों में—(विशेष रूप से अंग्रेजी में, क्योंकि वही तो है एवं खिड़की हमारे घर में!)—उस विधा के स्रोत कहाँ हैं, वहाँ उन में कौन-से परिवर्तन हुए हैं, कौन-सी नयी बात आयी है और उस का प्रभाव कहाँ तक हमारे रचना-कार्य पर पड़ा है। हमारे पास नया क्या आया, यह जानने के लिए हम यह खोजते हैं कि इस का कोई मॉडल विदेश में है या नहीं जिस पर हम उस परख सर्वे। यानी हम यह मान कर चलते हैं कि हमारे साहित्य में कुछ भी नयी बात होगी तो वह जल्दी तौर पर विदेशी प्रभाव का परिणाम होगी। अपने साहित्य में 'नया' हम उसी को मानेंगे, जिस का कोई विदेशी मॉडल हमें मिल जायेगा, यानी जिसे हम 'पुराना' पहचान नेंगे।

साहित्यकार के अपने परिवेश में, अपनी निकटतम परिस्थिति में भी ऐसे कोई कारण, ऐसी प्रवृत्तियाँ या ऐसे परिवर्तन हुए, जो उसे नयी प्रेरणा दे सकते या नयी दिशा में बढ़ने को बाध्य कर सकते, यह सवाल उठाना हमारे आलोचक बोकाज अनावश्यक जान पड़ता है। अनावश्यक ही नहीं, अनेक आलोचक ऐसे भी हैं, जो इसे देशीयता का आग्रह कह कर इसे निरा दविया-नूसपन सिद्ध करना चाहते हैं देशीय होना मानो आधुनिक वा ठीक उल्टा है, और आधुनिक होना क्योंकि एवं मूल्य है इसलिए देशीय होना एक दोष है।

दूसरे दब्दों में यह भी कह सकते हैं कि केवल प्रभावों वे मामले में नहीं, जीवन स्थितियों वे मामले में भी हम ने यह सम्भावना करना तक छोड़ दिया है कि हमारी स्थिति में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो हमारा है, जो सिफं परिचय के प्रभाव या परिचय की नकल में से नहीं निवाला है।

ऐसी आलोचना और ऐसे मूल्य-निर्धारणों पर आधारित अध्यापन को मैं तो साहित्य-वोध भी और स्वयं साहित्य की हरया का आयोजन ही करूँगा। याफी साहित्यकार और नवोदित लेखक इस अभियान के शिकार भी हो चुके हैं कुछ मारे ही जा चुके हैं तो कुछ पायल हो कर अपने को किसी तरह घसीट रहे हैं। अब समय है कि ऐसी नारी आलोचना और उस पर आधारित अध्यापन-व्यवस्था एवं तरफ रख दी जाये। करी व्यवितरण अनुभूति भी मूल्य-

यान् है, पर खरा भारतीय अनुभव विसी तरह कम मूल्यवान् नहीं है, और दोनों एक-दूसरे की कसीटियाँ हैं। नि सन्देह बाहर के प्रभाव होते हैं, होने चाहिए, पर सास्कृतिक प्रभावों की प्रक्रिया इतनी सरल और इकहरी नहीं होती, और प्रभाव ग्रहण करने वाली सस्कृति जितनी प्राणवान् होती है, उस की ग्रहण की प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल और अनेकायामी होती है—चलि वहाँ फिर मामूली से प्रभाव की प्रक्रिया इतनी जटिल, उलझी हुई और दूरव्यापी होती है कि उसे समझने में आलोचक को बरसो लग सकते हैं।

## वन, जन, और औपनिवेशिक मन

इतिहासकारों और इतिहास के अध्येताओं को इतिहास अपने पूरे ब्यौरे में याद रहता होगा। लेकिन जन-समाज भी स्मृति उस ढग से बाहर नहीं करती। जन-समाज ये पट पर इतिहास का पूरा चौरा नहीं, महत्त्वपूर्ण घटनाओं का एक-एक सूत्र-व्याक्य अविक्षित हो जाता है भानो तेजाव से लिख दिया गया हो; और इसी सूत्र के सहारे वह जब चाहे पूरी ऐतिहासिक घटना को अपने सामने ढुकारा भूत्त कर लेता है। हो सकता है कि घटना का यह ढुकारा रक्ता हुआ रूप इतिहासकार के अभिलेख से कुछ भिन्न हो। लेकिन जहाँ ऐसा होता भी है, वहाँ भी जन-मानस में वर्से हुए इतिहास का महत्त्व यम नहीं होता बरोबि धारतव में जीवित इतिहास तो वही होता है। पुस्तकों में और अभिलेखों में रखा हुआ इतिहास मानो राख का ढेर है जिसके साथप से हम आग तक पहुँच राबते हैं, लेकिन जन-मानस में सुरक्षित इतिहास वह आग है जो अतीत को जीवित रखती है और वर्तमान में प्रेरणा देने वाली होती है।

रामायण में राम का एवं ही कथन “रामो द्विर्नाभिभाषते” अथवा “रथु-  
कुम रीति सदा चति धाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई”, अथवा महाभारत  
का मूल्यापन दास्यामि दिना युद्धेन वेशय”—ऐसे ही सूत्र-व्याक्य हैं जिनके  
सहारे जन-मानस को मानो विजती भी कौप में पूरी रामायण अथवा पूरा  
महाभारत दिख जाता है। यो सो महाभारत में ऐसी और भी उकित्यां मिल  
जायेंगी जिन में से धोई भी एवं अवेली पूरी कथा को भूत्त भरने में महायज्ञ  
हो सकती है।

वान वेवल ऐसे महद्यन्यों तक सीमित नहीं है। प्रदेशों के इतिहास में  
भी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जो पूरे प्रदेश के लोक-जीवन को बाज भी उड़ानित  
पर गड़गी हैं। और इन घटनाओं का भी लक्षित स्थान भानो ऐसे ही एक-एक  
धीरजन्म में सचित हो कर रह जाता है। इस समय हमें ऐसी ही दो वाक्य

याद आ रहे हैं जिन में बसी हुई शक्ति आज फिर नयी हो गयी है और अपने-अपने प्रदेश के जीवन को ही नहीं, सारे देश को प्रेरणा दे सकती है। एक वाक्य है असमिया कुमार लालित का, जिसने प्रदेश वो गृह-युद्ध की आग से बचाने और राष्ट्र के जीवन से जोड़ने के लिए अपनी सारी व्यया को एक छोटी सी उक्ति में सचित कर दिया था “मेरे मामा से मेरा देश बढ़ा है”। यह वाक्य ऐतिहासिक घटनाओं को तो फिर रो मूर्ति करता ही है, क्या आज वे लिए भी एक ज्वलन्त आदर्श हमारे सामने नहीं रखता—केवल जसम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ?

दूसरा वाक्य राजस्थान के विश्वोई शाहीदों की नेत्री अमृता देवी का है जिसने राजा के लकड़हारों से वृक्ष की रक्षा करते हुए स्वयं कट कर प्राण दे दिये थे “सिर साँटे रुख रहे तो भी सस्तो जाण”—शीश कटा कर भी वृक्ष बचाया जा सके तो भी सस्ता सौदा है।

यो तो इन दोनों बीज-मन्त्रों को जोड़ कर उन से अर्थ निकालना भी कठिन नहीं है। दोनों की आज-कल अलग-अलग महत्ता है, क्योंकि दोनों के ऐतिहासिक सन्दर्भ हैं। लेकिन बात को यो भी रखा जा सकता है कि आज देश की रक्षा के लिए वृक्ष भी रक्षा का उतना ही महत्त्व है जितना आज से ३३ वर्ष पहले देश को स्वाधीन करने का था। पेड़ों की रक्षा के लिए दिये जाने वाले वलिदान का आज वही महत्त्व होगा जो कभी आजादी के लिये दिये जाने वाले वलिदान का होता, क्योंकि आज यह अनुभव करने की जरूरत है कि देश की आजादी उस की वन-सम्पदा के साथ उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी उस बी प्रजा-रूपी सम्पदा के साथ। जिस प्रकार राष्ट्रीय सन्दर्भ में, राष्ट्र की शक्ति के सन्दर्भ में, देश की जनता के बारे में एक आमूल दृष्टि-परिवर्तन होने की जरूरत है, उसी तरह उन्हीं सन्दर्भों में वृक्ष और वन-सम्पदा के बारे में भी आमूल दृष्टि-परिवर्तन अनिवार्य है।

और यही शायद यह भी कहा जा सकता है कि जैसे राष्ट्र-जीवन के और अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में यह सम्भव नहीं है कि भोजना और नियोजन वेवल शिखर स्तर पर हो और उस के प्रभाव नीचे तक बहते हुए चले आयें, उसी तरह यह भी सम्भव नहीं है कि शिखर के सोचने से जन-चरित्र बदला जा सके, न यही कि प्राकृतिक सम्पदा के साथ हमारा सम्बन्ध परस्पर पोषक बन जाये। जो जड़ का काम है वह फूलों को नहीं सौंपा जा सकता।

और जड़ का काम इस सन्दर्भ में यह है कि वन-सम्पदा के साथ भारतीय समाज का सम्बन्ध बदले—पूरा समाज अनुभव करे कि “सिर साँटे रुख रहे तो भी सस्तो जाण”।

यह भी वह सकते हैं कि वन-सम्पदा और जन-सम्पदा, दोनों एक दूसरे

ते आत्मातिक रूप से जुड़े हुए हैं और असल में तो दोनों ही के बारे में न पी दृष्टि से सोचने की ज़हरत है। और यह वैमल शिशर स्तर पर नहीं, हर व्यक्ति वो स्वयं अपने और हर पेड़ के बारे में न यह ढग से सोचने की और एक प्रत्यक्ष नया रिश्ता कायम करने की ज़हरत है। खेजड़ी के जिन पेड़ों के लिए अमृता देवी और उम की मायिनी ने अपने प्राण दिये थे उन्हें वन विजानी एक धटिया विस्म वा मरहथलीय भाड़ भी कहेगे, लेकिन जिन सोगों न उन पेड़ों के लिए प्राण दिये थे वे जानते थे कि कैसे दोनों का जीवन एक दूसरे से बँधा हुआ है। वृत्तिक मनुष्य के विना पेड़ का जीते रहना तो सम्भव भी था, पेड़ के विना मनुष्य का मरण निश्चित था। और यह बात द्वाई सी साल पहले जितनी सब यी आज उस से वही अधिक सच है। इतना ही नहीं, इस सच्चाई को भूलने का जो भयानक दण मिल सकता है उस के लक्षण भी आज स्पष्ट दीख सकते हैं। आज यह विभीषिका हमारे सामने है कि सारा उत्तर भारत जीवनदायिनी गगा के बावजूद एक विशाल महसूस वा जाप—और गगा वा जल भी फिर उस में जान न ढाल सके, कंवल बाड़ ला सके।

एक समय या जब जन समाज नी हर द्वाई वो एक उपजाऊ आर्थिक इकाई में रूप भ देसा जा सकता था, तब 'पूर्तों कलो' का आशीर्वाद सार्थक होता था व्योंगि वह 'दूर्धों भहाओं' के साथ जुड़ा हुआ होता था। किसान वे घर में एक और बेटे वा जन्म इसलिए उत्सव का वारण था कि उस से माँ यमुना से मुछ और प्राप्त वरों वाला एक अम-ममर्थ हाथ मिल जाता था। आज पीरे पीरे हम यह पहचानने सके हैं कि यहाँ दूर्ध जनसंस्था उत्सव वरने की बात नहीं रही व्योंगि एक तरफ उपजाऊ हाथों के लिए बरने को काम नहीं है, गोडने को भूमि नहीं है, और दूसरी तरफ पहने ही से सबटप्रस्त परिवार म राने वाला एक मुँह और बढ़ जाता है। बटे और बेटी के बारे म जो भेद भाव भारतीय समाज के अधिकार भाग म चला आता था वह अभी पूरी तरह नहीं यदना है, लेकिन सन्तान मात्र के बारे में नये ढंग का चिन्तन जड़ पवड़ने लगा है।

लैकिन जहाँ तक बन-सम्पदा की बात है, इसे देना वा दुर्भाग्य ही कहना होगा कि बहुत भोड़े सोग अभी उम वे बारे में नये ढग से सोचने सके हैं या उम वे अनुगार अपना आचरण बदलने सके हैं। और जहाँ तक सरकारी नियन और नीति या सवाल है उस म बोई परिवर्तन नहीं आया है। यह बहुत गलत रही होगा कि बन-सम्पत्ति वे बारे म भरकारी का चिन्तन अभी तक ऐसा ही है मानो देना वो आजादी मिली ही न हो, व्योंगि यही गर-बारे दना वे बारे म अभी तक उपनिवेशवादी मन से ही मोरती है—कि बन

एक आर्थिक स्त्रीत है जिसे दिन-ब-दिन बढ़ती हुई तेजी से दुहते चलना है। सरखारी वन-नीति अग्रेजो ने उन्नीसवीं शती में यताधी थी जब उन का पहला सरकार यही था कि भारत का अधिक-से-अधिक आर्थिक दोहन करना है और ग्रिटेन के हित में करना है। वीसवीं शती के चौथे चरण में भी इस दोहन-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी सरकारें उसी मुनाफा-वृत्ति से भारत के बनों का दोहन करती हैं। यह दोहन आज ग्रिटेन के हित में नहीं है, लेकिन किस के हित में है, यह पूछें तो इतना तो स्पष्ट हो जायेगा कि वह भारत अथवा भारतवासी के हित में नहीं है। जिस के हित में है उसे शायद आज भी ग्रिटेन का पर्याय मान लेना अनुचित न होगा अग्रेज न हो कर भी यह प्रभु-वर्ग अग्रेजियत भ ढूबा हुआ है और भारत के प्रति उस का रवैया ठीक वही है जो एक उपनिवेशवादी का होता।

‘सिर सौंटे रूप रहे तो भी सस्तो जाए’—शीश कटने पर भी वृक्ष रह जाय तो भी सौदा सस्ता समझो—यो तो यह भी एक तरह का ‘आर्थिक’ समीकरण ही है। सस्ते-महणे का विचार तो, कह सकते हैं, आर्थिक आधार पर ही होता है। लेकिन जब हम अपने प्राणों को भी आर्थिक समीकरण में डाल देते हैं तब ‘अर्थ’ का अभिप्राय देवल पैसा या मुनाफा नहीं रहता। तब अर्थ उन तीन पुरुषाधों में से एक हो जाता है जिस के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन को अर्थवान् बनाता है। देश में जहाँ-तहाँ धोड़े से लोग देश की प्राकृतिक सम्पदा के साथ देश के जन मात्र के सम्बन्ध के बारे में सही ढग से चिन्तन पर जोर दे रहे हैं। उन का काम जनसंख्या की दृष्टि से अभी छोटे पैमाने पर है। लेकिन वे जिन बुनियादी सत्यों की ओर ध्यान दिला रहे हैं उन का महत्व आर्थ वाणी से कुछ बह नहीं है। गढ़वाल-कुमाऊँ में, सन्ध्याल परगना में, मारवाड़ में, सावरकीड़ा में, घस्तर में, पर्वतीय केरल में, जहाँ तहाँ कुछ स्वर उठ रहे हैं जिन के पीछे अध्यात्म वा भी बल है, लेकिन केवल अध्यात्म का नहीं, सारे सासार का उन्नत वैज्ञानिक चिन्तन भी उन वे पक्ष में है। और वह पक्ष यही है कि वन-सम्पदा—कोई भी प्राकृतिक सम्पदा—मनुष्य हारा दोहन के लिए नहीं है और उसे केवल आय अथवा मुनाफे की दृष्टि से देखना बन्धकर है, बल्कि एक तरह का आत्मधात है। वन इसलिए नहीं है कि उस से वन-विभाग को आय हो, ठीक वैसे ही जैसे देश में जन इसलिए नहीं है कि उस से सरकार को आयकर की प्राप्ति ही सके। बनों को सरकारी आय का साधा मानना ठीक वैसा ही होगा जैसा देश की जनता को सरकारी आय का साधन मानना। यह तुलना इसलिए ज़हरी है कि वन-विभाग के अधिकारियों की दलीलों में छिपी हुई भगानकता स्पष्ट हो सके। अगर हम मनुष्य के सास्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को मुला कर या

एक तरफ हुठा कर केवल आय-कर की दृष्टि से उस पर विचार बर सकें, और यह दलील पेश कर सकें कि केवल अमुक-अमुक चार-छ या आठ दम या बीम-मीस जातियों वे मानव प्राणी 'उपयोगी' हैं, वयोंकि जल्दी और अधिक लाभ देने वाले हैं, इस लिए उन्हीं का सबद्धन किया जाये और वाकी सब को साफ कर दिया जाये या साफ हो जाने दिया जाये, तभी हम जगलों के बारे में भी ऐसी दलील दे सकते हैं। लेकिन सभी बन-विभागीय अधिकारी ठीक यही दलील देते हैं—अमुक-अमुक जातियों के पेड़ मुनाफा देने वाले हैं या जल्दी आय बढ़ाने वाले हैं इसलिए उन्हीं के नये बन बनाये जाएं और वाकी बन साफ कर दिया जाय या साफ हो जाने दिया जाये।

वया बनस्पति जगत की मृष्टि इसलिए हुई थी कि कालान्तर में 'आर्थिक मनुष्य' द्वारा उस का दोहन हो सके? वया यह बैर और विनाश का रिस्ता केवल उपनिवेशवादी युग और उसी युग के हीन दृष्टि विज्ञान का परिणाम नहीं या? वया आज विज्ञान स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं बरता? वया बाज सभी वैज्ञानिक अठारहवीं और उन्नीसवीं शती के पश्चिमी विज्ञान की अद्वारदर्शिता से लज्जित नहीं हैं? और वया उस युग के अपराधों का मार्जन बरने के लिए पर्यावरण के बारे में नये चिन्तन पर जोर नहीं दे रहे हैं? वया आज समस्त विज्ञान—केवल बनस्पति विज्ञान नहीं, विज्ञान मात्र—इस बात को नहीं मानता कि बनों और बनस्पतियों का एक वैश्विक अर्थशास्त्र भी है और अगर मनुष्य उन के इस वैश्विक आयाम की उपेक्षा बरता है तो आत्म-हत्या ही करता है?

वैश्विक आयामों को छूता विज्ञान, मनुष्य को और उस के पर्यावरण को और दोनों के सम्बन्धों को किर एक आध्यात्मिक अर्थवत्ता भी दे रहा है। इस प्रकार जिस हम नयी दृष्टि या नया चिन्तन कहते हैं वह पुरानी दृष्टि और पुराने चिन्तन से भी जुड़ जाता है, तो इसे नये चिन्तन की कमज़ोरी न मानि कर उस की अतिरिक्त शक्ति मानना चाहिए। हम ने आरम्भ में वहां या विकुछ सूत्र वाक्य ऐसे होते हैं जिन के सहारे जातियाँ अपने इतिहास को पुनर्जीवित कर लेती हैं। हम वह सबते हैं वि दृष्टि के नये उन्मेय भी ऐसे होते हैं जिन के भीतर से एक विजली की कौश सारे पुराने परिदृश्यों को भी आलोकित कर जाती है। जैसे इतिहास फिर से रचित हो बर केवल रूपान्तरित ही नहीं होते, नये प्राण पा जाते हैं, उसी तरह नयी के सहारे पुरानी ज्ञान दृष्टि भी केवल रूपान्तरित नहीं होती, नये प्राण पा जाती है।

वया कोई तरीका है वि समग्र पर्यावरण के साथ मानव जाति के सम्बन्ध में बारे में जहाँ-तहाँ जो नया आलोक फूट रहा है उस की छुआन सरकारी अधिकारियों को उन के सुसज्जित लेकिन बन्द दफनरो में भी पहुँचायी जाएँगी?

एक आर्थिक स्रोत है जिसे दिन-ब-दिन बढ़ती हुई तेजी से दुहते जलना है। सरकारी बन-नीति अपेक्षो ने उन्नीसवीं शती में बनायी थी जब उन का पहला सरोकार यही था कि भारत का अधिक-से-अधिक आर्थिक दोहन करना है और ब्रिटेन के हित में करना है। बीसवीं शती के चौथे चरण में भी इस दोहन-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी सरकारें उसी मुनाफा-वृत्ति से भारत के बनों का दोहन करती हैं। यह दोहन आज ब्रिटेन के हित में नहीं है, लेकिन जिस के हित में है, यह पूछें तो इतना तो स्पष्ट हो जायेगा कि वह भारत अथवा भारतवासी के हित में नहीं है। जिस के हित में है उसे शायद आज भी ब्रिटेन का पर्याय मान लेना अनुचित न होगा अप्रेज न हो कर भी यह प्रमु-वर्ग अप्रेजियत में ढूबा हुआ है और भारत के प्रति उस पा रखेया ठीक वही है जो एक उपनिवेशवादी का होता।

'तिर सटे दब रहे तो भी सस्तो जाण'—शीश कटने पर भी बृक्ष रह जाय तो भी सौदा सस्ता समझो—यो तो यह भी एक तरह का 'आर्थिक' समीकरण ही है। सस्ते-महगे का विचार तो, कह सकते हैं, आर्थिक आधार पर ही होता है। लेकिन जब हम अपने प्राणों की भी आर्थिक समीकरण में डाल देते हैं तब 'अर्थ' वा अभिप्राय बेवल पैसा या मुनाफा नहीं रहता। तब अर्थ उन तीन पुरुषार्थों में से एक हो जाता है जिस वे आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन को अर्थवान् बनाता है। देश में जहाँ-तहाँ घोड़े से लोग देश की प्राकृतिक सम्पदा के साथ देश के जन मात्र के सम्बन्ध वे बारे महसूसी छग से चिन्तन पर जोर दे रहे हैं। उन का काम जनसंख्या की दृष्टि से अभी छोटे पैमाने पर है। लेकिन वे जिन बुनियादी सत्यों की ओर ध्यान दिला रहे हैं उन का महत्त्व आपं पाणी से कुछ कम नहीं है। गढ़वाल-कुमाऊं में, सन्थाल परगना में, मारवाड़ में, सावरकीठा म, बस्तर में पर्वतीय केरल में, जहाँ-तहाँ कुछ स्वर उठ रहे हैं जिन के पीछे अध्यात्म का भी बल है, लेकिन बेवल अध्यात्म का नहीं, सारे सासार का उन्नत वैज्ञानिक चिन्तन भी उन के पक्ष में है। और वह पक्ष यही है कि बन-सम्पदा—कोई भी प्राकृतिक सम्पदा—मनुष्य द्वारा दोहन के लिए नहीं है और उसे बेवल आय अथवा मुनाफे की दृष्टि से देखना अनर्थकर है, बल्कि एक तरह का आस्मधात है। बन इसलिए नहीं है कि उस से बन-विभाग को आय हो, ठीक वैसा ही जैसे देश में जन इसलिए नहीं है कि उस से सरकार वो आयकर की प्राप्ति हो सके। बनों को सरकारी आय का साधन मानना ठीक वैसा ही होगा जैसा देश की जनता को सरकारी आय का साधन मानना। यह सुलना इसलिए जरूरी है कि बन-विभाग के अधिकारियों की दलीलों में छिपी हुई भयानकता स्पष्ट हो सके। अगर हम मनुष्य के सास्कृतिक और आध्यात्मिक विवाह को भुला कर या

इतरफ हटा कर बेवल आय-वर की दृष्टि से उस पर विचार पर सबैं, और यह दलोल पेश कर सके कि बेवल अमुव-अमुप चार-ए या आठ-दस या अङ्गनीस जातियों के मानव प्राणी 'उपयोगी' हैं व्योगी जलदी और अधिक अम देने वाले हैं, इस लिए उन्हीं का सबद्वंद्व किया जाये और वार्षी सब को एक कर दिया जाये या साफ हो जाने दिया जाये, तभी हम जगत्से ये बारे भी ऐसी दलील दे सकते हैं। लेकिन सभी वन-विभागीय अधिकारी ठीक ही दलोल देते हैं—अमुव-अमुप जातियों के पेड़ मुनाफा देने वाले हैं या जलदी साध बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उन्हीं के नये वन बनाय जाए और वार्षी वन साफ कर दिया जाय या साफ हो जाने दिया जाये।

क्या वनस्पति जगत की सृष्टि इसलिए हुई थी कि वालान्तर में 'आर्यिण मनुष्य द्वारा उस का दोहन हो सबै ? क्या पह वैर और विनाश का रिता केवल उपनिवशवादी युग और उसी युग के हीन-दृष्टि विज्ञान या परिणाम नहीं था ? क्या आज विज्ञान स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करता ? क्या आज सभी वैज्ञानिक बठारहवीं और उन्नीसवीं शती के पश्चिमी विज्ञान वीं अदूरदृश्यता से लज्जित नहीं हैं ? और क्या उस युग के अपराधों का माज़न करन के लिए पर्यावरण के बारे में नये चिन्तन पर जोर नहीं दे रहे हैं ? क्या आज समस्त विज्ञान—बेवल वनस्पति विज्ञान नहीं, विज्ञान मात्र—इस बात को नहीं मानता कि बनों और वनस्पतियों का एक वैश्विक अर्थशास्त्र भी है और अगर मनुष्य उन के इस वैश्विक आधार की उपेक्षा करता है तो आत्म-हत्या ही करता है ?

वैश्विक आधारों को छूता विज्ञान, मनुष्य को और उस के पर्यावरण को और दोनों के सम्बन्धों को किर एक आच्यात्मिक अर्थवत्ता भी दे रहा है। इस प्रकार जिसे हम नयों दृष्टि या नया चिन्तन कहते हैं वह पुरानी दृष्टि और पुराने चिन्तन से भी जुड़ जाता है, तो इसे नये चिन्तन की कमज़ोरी न मान वर उस की अतिरिक्त शक्ति मानना चाहिए। हम ने आरम्भ में वहा था कि कुछ मूल-व्याक्य ऐस होते हैं जिन के सहारे जातियाँ अपने इतिहास को पुनरजीवित कर लेती हैं। हम वह सबते हैं कि दृष्टि के नये उन्मेष भी ऐसे होते हैं जिन के भीतर मे एक विजली की झोंथ मारे पुराने परिदृश्यों को भी आलोकित कर जाती है। जैसे इतिहास किर मे रचित हो कर बेवल रूपान्तरित ही नहीं होते, नय प्राण पा जाते हैं उसी तरह नयी के सहारे पुरानी जाम-दृष्टि भी बेवल रूपान्तरित नहीं होती, नये प्राण पा जाती है।

क्या बोई तरीका है कि समग्र पर्यावरण के साथ मानव जाति के सम्बन्ध मे बारे मे जही-तहीं जो नया आलोक फूट रहा है उस की छुअन सरखारी अँधिः-वारियों को उन के सुसज्जित लेकिन बन्द दपतरों म भी पहुँचायी जाएँगे ?

सारे इस सुनहले चौदोबे से  
पत्ता कुल एक भरा,  
पर उसी की अंकिचन  
भरन के  
हर कॉपने मे  
मैं कितनी बार मरा !

यह कविता यो तो जीवन के बारे मे कवि की निजी प्रतिक्रिया है, लेकिन वास्तव मे हर पत्ते की हर भरन के साथ समूची मनुष्य जाति मरती है। मरती है तो इस पहचान म जीती है पुनरुज्जीवित होती है। इसीलिए वह सौदा सस्ता सौदा होता है—सिर गेंवा कर जो पेड बचाया जाता है उस के सहारे मनुष्य माथ फिर जी उठता है।

## भालू चढ़ गया पहाड़ पर

अभी उस दिन मेरे परिचित नौजवान दम्पत्ति मिलने आये थे। साथ उन की छोटी सड़की भी, जिसे कुछ महीने पहले किंडरगार्डन में भर्ती कराया गया था। 'डैडीजी' और 'ममीजी' वो इस बात ना बड़ा गर्व था कि स्कूल में 'बेबीजी' ने वई गाने सीप लिये हैं। और घरों में भी यह सन्दर्भ उठता ही होगा और तुरत बेबीजी को गाना सुनाने को कहा जाता होगा; मेरे सामने भी वहा गया और बेबीजी ने बड़ी अदा में अप्रेज़ी के दो-तीन 'गाने' भी सुना दिये—सभी मध्यवर्गीय डैडियो-ममियों ने ये सुन रखे होगे—'बाब्या ढंक शीप', 'टिक्टल बेल्स', आदि।

मैंने पूछा : 'कोई हिन्दी गाना भी आता है—स्कूल में विल्कुल नहीं सिखाते ?'

थोड़े-ने असमजस के बाद ममीजी ने बेबी गो याद दिलाया, 'बेटा, वह सुना दे भालू बाला—' और थोड़े निहोरे के बाद बेबीजी ने सुना भी दिया। अप्रेज़ी पद्धति वे जिन शिष्य-विहारों में कुछ-न-कुछ हिन्दी में सिखाना भी जल्दी हो जाता है, उन में दो-चार अप्रेज़ी वाल-गीतों के हिन्दी स्पान्तर चले हुए हैं—उन्हीं में एक :

‘भालू चढ गया पहाड़ पर,  
कि देखे कुछ वहाँ !’

मैंने बेबीजी की अपेक्षित सस्तुति दी; थोड़ी देर बाद डैडीजी-ममीजी विदा लेवर चले गये। पहाड़ पर चढ़ना भालू मेरे पास रह गया।

बाज उसी भालू की याद आ रही है। पहाड़ों का सीबन शुरू हो गया है: सभी पहाड़ वी ओर दीड़े जा रहे हैं। एक जमाना था, जब थोड़े-ने लोग दिल्ली-शिमला 'चरते' थे, तब 'पहाड़ जाने' का इतना चलत नहीं था, पर

दिल्ली गिमला करने वालों का, और कुछ अन्य पहाड़ी स्टेशनों की ओर दौड़ने वाले साहबों और लाम वर मेम-साहबों (और उनके कुत्तों!) का अमला भी साथ जाता ही था। अब वे साहब तो रहे ही नहीं, उनका स्थान लेने वाले जो देशी बड़े साहब आये हैं, वे तो बारी-बारी से एक-एक पहाड़ी स्थल पर कोई-न-कोई 'ज़रूरी' सरखारी मीटिंग या सेमिनार आदि रपत लेते हैं जिससे ठड़ी जगह तकरीह का उद्देश्य भी पूरा हो जाये, निजी प्रबन्ध भी न करना पड़े और न सिफ़ सच्चा ही बच जाये, बल्कि कुछ खरीददारी के लिए भत्ता भी बन जाये। फिर जो गैर-सरखारी अमीर लोग हैं, वे भी अब पहाड़ नहीं जाते, अपने शहर में या शहर के बाहर 'फार्म' में बातानुकूलित घरों में गमिया बिताते हैं। जिन्हें न चलना फिरना है, न शरीर को व्यापार का ही कष्ट देना है, न प्रकृति से कोई प्रयोजन है उन्हें पहाड़ से क्या लेना-देना? कभी-कभार मोटर में चंठ कर 'बीक-एंड पार्टी' के लिए फही हो आना दूसरी बात है...

लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि 'सभी पहाड़ की ओर दौड़े जा रहे हैं।' ये 'सभी' कौन है? न तो बड़े साहब अब पहाड़ को दौड़ते हैं, न बड़े सेठ-धनी, और जो गरीब लोग हैं उन के जाने का तो सवाल ही कहाँ उठता है। तो ये 'सभी' बास्तव में वे लोग हैं, जिन्हे हिन्दी का कहानी-लेखक 'आम आदमी' कहता है—मध्यवर्गीय, मध्य-वित्तीय शहरी लोग, छोटे व्यापारी, छोटे अफसर और उनके परिवार, ठेकेदार और मौसमी दुकानदार, विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थी और नव-स्नातक, और हाँ, इन्ही बगों और श्रेणियों के नव-विवाहित नव-विवाहितों का पहाड़ी स्टेशनों में—पहाड़ों से नहीं, केवल स्टेशनों से—एक व्यापक नशा रिश्ता बन गया है। यहाँ तक कि पहाड़ों में अब एक अलग 'हनीमून सीजन' की चर्चा होने लगी है, जिसका हातिडे सीजन से सीधा सम्बन्ध नहीं है। घोषित अवधार अघोषित रूप में भारत के मध्यवर्ग ने 'हनीमून' की प्रथा भी अपना ली है जैसे कि उसने इससे पहले अनेक अजीवो-गरीब विदेशी रस्म रिवाज भी अपना लिये हैं, जिन्हें अब वह विवाह की 'सनातन परम्परा' का अग मानता है।

तो ये ही लोग हैं वे 'सभी', जो पहाड़ दौड़े जा रहे हैं। क्यों दौड़े जा रहे हैं इसका जगत सोचने के लिए रुकने का समय नहीं है—खेले और कहीं पीछे छूट गये तो फिर टिकट भी नहीं मिलेगा—और गमियों के बाद लोग जब लौट कर अपनी रगरेलियों की चर्चा करेंगे, तो जबाब में कहने को भी कुछ नहीं मिलेगा इसलिए—खलो पहाड़

यो, भालू चढ़ रहा है पहाड़ पर—कि देखे कुछ वहाँ। उस देवतारे को

क्या मालूम कि वहाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह जो ठेसम-टेल भीड़ पहाड़ को चली जा रही है इसलिए कि और भी 'सब' जा रहे हैं, और पहले बढ़े आदमी जाते थे, इसलिए पहाड़ जाना बढ़े आदमी होना है—क्या उसे मालूम है कि आज पहाड़ पर पीने को पानी तक नहीं है, रोशनी को विजली नहीं है, सिवा बाले बाजार के वही मिट्टी का तेल नहीं है? और तो और, जिन पहाड़ी स्थलों परी शोभा ही वहाँ का पानी माना जाता था—जैसे नैनीताल—वहाँ पीने के पानी का यह हाल है कि ऊँची जगहों के लिए पानी मोटर में या खन्दरों पर लाद बर ले जाया जा रहा है, नीचे जगहों पर कमी-कमी जो पानी नलों में आता है, उसके लिए मार मार होती है और वहरहाल संतानी वीं तो पहुँच उस तक होती ही नहीं बाबी नीचे के होटलों में एक लसल्सी-यश भूठ का प्रचार बर दिया गया है कि 'पानी ऊँचाई पर नहीं चढ़ता, पर नीचे के नलों में रात में आ जाता है'—और इस भूठ से आइवस्त लोगों के लिए रातों-रात ताल में ही बालियाँ भर-भर बर पानी पहुँचाया जाता है—अधिकतर तल्लीताल का पानी जो पीने के लिए अनुपयुक्त ही नहीं, सतर-नाक है...

पानी क्यों नहीं आता? 'क्योंकि विजली नहीं है पर्यंत नहीं चलते, पानी कार नहीं चढ़ाया जा सकता।' विजली क्यों नहीं है? 'क्योंकि पानी नहीं है—देश में ही पानी था सबकर है, उत्तर प्रदेश में तो यास सौर से—पन-विजली की सारी घवस्थाएं देखार पड़ी हैं।'

पानी नहीं, क्योंकि विजली नहीं, विजली नहीं, क्योंकि पानी नहीं। अब बोलिए, इस गोल दलील में बचकर वहाँ जायेंगे? हठ बरवे पूछिए, शायद पौड़ा और सच सामने आये। पानी विजली दोनों क्यों नहीं हैं? क्योंकि ऊँचार पहाड़ों पर सब जगह जगत पाट लिये गये हैं—पानी आये तो आये रहा गे? यद्या होगी तो बाढ़ आ जायेगी, क्योंकि पानी को रोकने और मचिन रखने यारों ऊँचे सदावहार पेट और बौंज के पेट तो सब पाटे जा रहे हैं, और यद्या नहीं होगी तो... नदी-नाले-मोते-नाले गम यो ही मूँग रहे हैं, क्योंकि ऊँचार जगता में और पेटों की जहो, छोटे पौधों और भरे पत्तों में रह पानी भूमि में रेखा नहीं तो सोते और नाले बहाँ ग भरेंगे?

अस्त बात यह है। इस पर देखारे भानू वा बोई बग नहीं है। विजली नहीं है क्योंकि पानी नहीं है, पानी नहीं है और नहीं होगा क्योंकि ऊँचे जगत गम लिये जा रहे हैं। टेंदारों के बेटे हनीमून के निए पहाड़ पर जा रहे हैं, पर टेंदार रुद झरी पहाड़ों पर और पेट बटवा रहे हैं।

पर जगत तो 'राष्ट्रीय गमनाला' है, 'एसा गोता' है! पिर पेट बयो इनी हमरीनका स बाटे जा रहे हैं? और नय पेटों की रोपनी भी तो होनी होगी।

जी है। पर आपने सुना होगा, पानी को भी 'राष्ट्रीय सम्पत्ति' घोषित कर दिया गया है। उससे आपको मिलने लगेगा ऐसा थोड़े ही है। हम-आप को सोच सकते हैं कि इसी वस्तु को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित करने के दो अर्थ हैं—एक तो उसकी सुरक्षा और सबूदि की जिम्मेदारी, दूसरे उसके व्यापक और उचित वितरण की व्यवस्था। अर्थात् पानी अगर राष्ट्रीय सम्पदा है, तो वह हम सबको समान रूप से मुलभ होना चाहिए और उसके सचय और सबदृन वी भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह हमको मिलता रहे। पर सरकारें और प्रशासन-व्यवस्थाएँ ऐसा सोचती नहीं जान पड़ती। उनके सामने बेवल एक बात है। वे लोग 'राष्ट्रीय सम्पदा' को बेवल पूँजी के रूप में देखते हैं, और पूँजी को एक न्यास के रूप में नहीं, मुनाफा यमाने के एक साधन के रूप में। यानी वन सम्पदा अगर सम्पदा है तो पूँजी है, उससे हमें ('हमें' यानी सरकार को!) मुनाफा होना चाहिए। सारे देश के सारे वन-विभाग सम्पदा के रक्षण-सबदृन के लिए नहीं, उससे मुनाफा दिखाने के फेर में है—क्योंकि सरकार ने इसी को उनकी दक्षता की क्षमीटी बना दिया है।

और अब पानी भी राष्ट्रीय सम्पदा हो जायेगा (जो कि या वह है, असन्दिग्ध रूप से है) तो वहाँ भी जो बुद्धि काम करने लगेगी वह यह नहीं होगी कि पानी सबको मुलभ हो, वितरण की समान और आवश्यकता पर आधारित व्यवस्था हो। वहाँ यह बुद्धि काम करेगी कि सब नदी-नाला भरनो-खोतो पर राष्ट्र का (यानी सरकार का) अधिकार है और वितरण की व्यवस्था वही ठीक समझी जायेगी, जिसस मुनाफा हो, आमदनी बढ़े। क्या इस से आगे भी सरकारी की बुद्धि जायेगी? क्या हम—मतदाता और नागरिक—उन्हें बाध्य कर सकेंगे कि वे देश की सम्पदा को सम्पदा की दृष्टि से देखें, और उसे न्यास मान कर उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करें—क्योंकि देश और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी यही है और हो सकती है।

जिली-पानी-पेड़-पहाड़ी-वन—इनवा अनिवार्य सम्बन्ध है। और ये सभी राष्ट्रीय सम्पदा है—सबका सरक्षण उसी बुद्धि से होना चाहिए—केवल मुनाफ के लिए नहीं। या जिन वी अकल मुनाफे से आगे नहीं जाती, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि प्रजा का स्वास्थ्य और सरक्षण भी एक मुनाफा है, बहुत बड़ा मुनाफा, क्योंकि उस पर राष्ट्र का अस्तित्व ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से पानी और पहाड़ ही नहीं, पहाड़ पर चढ़ता हुआ भालू भी राष्ट्रीय सम्पदा है—सारे वन जन्तुओं और पक्षियों पतंगों तक पर कृपि की, कृपक की और कृपि-प्रधान इस देश की निर्भरता एवं प्रमाणित वैज्ञानिक सचाई है, केवल अभिजात सम्कार या सौ-दर्य-प्रेम नहीं। पर्वतीय वन की हत्या हिमालय की हत्या है, और अपने पर्वतीय प्रदेश को पानी से बचाने करके हम उसे ही

नहीं उजाड़ेगे, बल्कि देश को ही भर में परिवर्तित करेंगे। वनों के दौहन से जो भी मुनाफा होने वाला हो, देश ही उजड़ने लगेगा तो वह मुनाफा भोगेगा तौन? ऊँचाइयों पर पानी की रक्षा करने वाले पेड़ नष्ट हरके अगर हम निचली घाटियों और तराइयों (आह, वथा नाम था 'तराइयों—तल भी, तर भी, तर भी'!—वथा अब हम उन्हें 'सुखाइयों' बहा करेंगे?) में ऐसे पेड़ सगायेंगे भी जो पानी को और सुखाते हैं—बाँज और देवदार के बदले सफेदा और युक्तिपूर्ण!—तो उससे क्या लाभ होगा? कागज की लुगदी के ठेकेदार उन पेड़ों के दाम तो अच्छे दे देंगे, पर उस कागज पर हम छापेंगे क्या—बेवत अपने उजड़ने के विवरण?

भारू चढ़ रहा है पहाड़ पर—कि 'देसे कुछ वहाँ'। बेचारा भालू! 'कुछ भी न था वहाँ!' यहाँ तक कि भालू भी अब नहीं है पहाड़ पर! और सभी पहाड़ दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं...

## मानव होने का दर्द

सन् '७८ में कुछ दिन के लिए जर्मनी गया था, तब स्वभावत अपने सुपरिचित बेन्ड्र हाइडेनबर्ग विश्वविद्यालय भी जाना हुआ था। बन्धुजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा-सकाय में एक परिसवाद हो रहा है, जिस का विषय है 'चिकित्सा के पुनर्मनिबोकरण की आवश्यकता'। हाइडेनबर्ग का विश्वविद्यालय बहुत पुराना है और उस के जिन सकायों की कीति मध्यकाल से ही यूरोप-भर में फैली रही, उन में चिकित्सा भी एक है इसलिए एक नयी आधुनिक चिन्ताधारा को सामने लाने का उस का प्रयास बोई अचरण की बात नहीं थी।

कुछ अध्यापकों से जर्मन अस्पतालों में रोगी और डाक्टर के बीच मानवीय सम्पर्क की चर्चा सुन कर मैं ने पूछा—“मेरा अमेरिका का एक निजी अनुभव सुनना चाहेंगे ?”

उन का कुतूहल देख कर मैं ने उन्हे जो बात सुनायी, वह सक्षेप में यो है सन् १९७० में पिछली बार जब कैलिफोर्निया में ध्यास्यात देने गया था तब छाती में बायी और कुछ दर्द महसूस हुआ। दर्द अधिक नहीं था, पर तीन-चार दिन तक रोज़ वह जब तब होता रहा, तब—यह ध्यान म रखते हुए कि दिल का दौरा मुझे हो चुका था और डॉक्टर ने ऐसे विसी अकारण दर्द की उपेक्षा न करने को कहा था—मैं ने अस्पताल को फोन कर के डाक्टर से समय चाहा। अस्पताल को फोन करने का कारण था। अमेरिका में सभी स्वास्थ्य बीमा कराते हैं और विदेशी अध्यापकों के लिए वह अनिवार्य होता है। विश्वविद्यालय की अपनी भी बीमा-योजना होती है, पर मुझे उन्हीं की सलाह से एक दूसरे सगठन से सम्बद्ध होने को कहा गया था, जिस का न्यूयार्क में कुछ अर्थिक था, पर जिस की स्थापित अहुति और जिस के अपने कई अस्पताल होने के कारण बीमा कराने वालों को कई सुविधाएँ भी रहती थी—एक महत्वपूर्ण सुविधा यह थी कि सगठन अस्पताल में भरती कराने

और उस वा सर्वां भरने में कोताही नहीं करता था—यानी संगठन के अपने अस्पताल में।

फौन पर उधर से जवाब आया : “क्या १७ जून आप के लिए ठीक है?”

ज्यान रहे कि फौन भाँचे महोने में बिया जा रहा था—शायद ११-१२ बारीम थी।

मैंने वहा, “दिलए, दर्द मुझे आज है और चार दिन से है; और मेरी हृदरोग की हिलतरी भी है—”

उधर से जवाब पन्त्रवत् रखा था : “१७ जून का एपाएटमेट आप को चाहिए या नहीं?”

मैंने सोचा, और बुछ नहीं तो इस नामी-गरामी अस्पताल वा अनुभव ही रहेगा; मैंने वहा, “ठीक है, समय दे दीजिए।”

“१७ जून को ११-१५ पर अस्पताल के रिसेप्शन में आ जाइये।”

अपने दिन अस्पताल से एक छाया हुआ जवाबी पोस्टबोर्ड भी आ गया कि तारीख और समय भी पुष्ट कर दूँ; साथ में यह हिदायत भी थी कि अगर निमी शारण मुझे उस समय वा साम न उठाना हो तो एक सप्ताह पहले बहर अस्पताल को मूचित कर दूँ। मैंने काँड़ भर कर भेज दिया, उसी दिन तीमुरे पहर एक रथानीय प्राइवेट हाउटर के पास गया, जिस ने जैच-प्रदत्ताल दर के मुजाह-भर की दवा दे दी और अपनी फीस ले ली—दर्द वा हृदय में ही हृस्वन्ध नहीं था और परियम बुछ बम बरने को कहा गया था—रियर एप में भोजन के बाद दो घण्टे पढ़ने-लिखने पर रोक लगा दी गयी थी।

गंत। मैं निस्त्रिमत हो कर अपना बायं बरता रहा, भई मेरि विद्वविद्यालय के काम ने छुट्टी भी हो गयी, और मैं देशास्त्र बरने चल पड़ा। जून के पहले सप्ताह में जब मैंकिमरो में सौटा, तब अस्पताल में एक और पोस्टबोर्ड भिला, दिस में मुझे याद दिलाया गया था कि १७ जून को ११-१५ पर मुझे अस्पताल पहुँचना है; पहलाकी भी थी कि न आ रहा होऊँ तो तुरन्त अस्पताल को मूचित कर दूँ। मुझे होई कष्ट तो था नहीं, पर अग्राम की परीक्षा-प्रक्रिया देंगे मेरि लिए मैंने शिर समय भी पुष्ट कर दी।

१७ जून को गमय में पौर-ए-मिनट पहले रिसेप्शन पर पहुँच गया। रिंगटर पर गमय, नाम, धीमा नम्बर आदि भी पुष्ट हो गयी, तब मुझे एक चीज़ दे दी गयी और बहा गया कि हॉस्पिट के एक छोर पर बने हुए कई एक बट्टरों में से एक नामी बट्टर में चला जाएँ। आगे के लिए निर्देश बही मिलेगा।

बट्टरों में आगे पहुँच टैपे थे : बौर-जा नामी है यह जानना बहिन नहीं

योरोप चला आया, दो महीने वहाँ रह कर सितम्बर में जब स्वदेश लौटा, तब अस्पताल से एक काढ़े मुझे और मिला। 'जून में परीक्षण के बाद मैंने इलाज ख्यवा अनुधावन के लिए अस्पताल से सम्पर्क नहीं किया है, यदि मुझे इलाज की आवश्यकता न हो तो अस्पताल को सूचना दे दूँ।'...

किसी सुना कर मैंने हाइडेलबर्ग के अध्यापक बन्धुओं से पूछा 'आप की क्या राय है? इसे आप कार्यदक्षता कहेंगे या मानवीय सम्पर्क की कमी?'

वे बोले, 'हमारे यहाँ भी काफी बुरा हाल है, पर हम शायद इतने कार्य-दक्ष अभी नहीं हुए हैं! यहाँ डाक्टर मरीज को देखता तो ज़रूर है—उसे देखने में यन्त्रवत्ता अधिक और मानवीय सम्पर्क कम होता जा रहा है, यही हमारी शिकायत है मानवीय सम्पर्क इलाज का एक अनिवार्य अग है और बना रहना चाहिए।'

इस परिणाम से कौन सहमत नहीं होगा? पर इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। असल में जिसे 'मानवीय सम्पर्क' वहा जा रहा है, वह वही चीज़ है, जिसे पुराने मुहावरे में सम्बोधन कहा जाता, या और भी पुरानी भाषा में करणा कहा जाता।

आज चिकित्सा कुशल है, कार्यक्षम है, दक्ष है, पर उस में कही करणा नहीं है। दर्द की दवा है, पर दर्द नहीं है। सफाई है। (वह भी अगर है!) पर सेवा नहीं है।

और जो जीवन में सेवा-भाव का, या कारण्य का, या मानवीयता वा प्रश्न उठाता है, उसे सनकी समझा जाता है—या सन्त, जो कि आज सनकी से भी बड़ा मूर्ख गिना जाता है।

यो अभी तक जितनी बात कही गयी है, वह उन सम्पन्नतर देशों की है, जहाँ निष्कारण का सम्बन्ध साधनों की कमी से नहीं, उन की बहुलता से है। यन्त्र क्योंकि इतने सुलभ और दक्ष हो गये हैं कि सब वाम यन्त्र के सुपुदं कर के आदमी आदमी के प्रति उदासीन हुआ जा रहा है, इसलिए वहाँ फिर से मानवीय सम्पर्क और सेवाओं के मानवीयकरण की पुकार भवी है।

पर भारत में—या अन्य अल्पविकसित और विकासमान देशों में?

वहाँ भी यह प्रश्न कम तीखा, कम दारूण नहीं है, पर वहाँ साधन-बहुलता के कारण नहीं। यहाँ यन्त्र भी नहीं है, साधन भी नहीं है—और करणा भी नहीं है या दुलंभ होती जा रही है। हमारा समाज पश्चिम के समाज से किसी तरह कम हृदयहीन नहीं है, शायद कुछ अधिक ही होता जा रहा है। वहाँ सुख-सुविधा मुहूर्या कर के तब मानवीय सबेदना से मुक्ति चाही गयी, और

फिर अब उस को ले कर चिन्ता और आत्मगतानि भी है। और सेवापरायणता पा आदर्शोन्मुखता दुर्लभ भले ही हो, उस के प्रति तिरस्कार या अवहेलना का भाव तो नहीं मिलेगा, वह एक मूल्य है और उच्चतर मूल्य है, यह सभी मानेंगे, पर यहाँ ? किसी अस्पताल में—वेल्डि अस्पताल के बाहर ही !—देख सीजिये वहाँ है वह मानवीय सम्पर्क ? समवेदना ? वह करणा ? और वहाँ है वह यानिंव युविधा ही, जिस की ओट ले कर हम अपने मानवीय दायित्व से भागन का रास्ता खोजते ?

डाक्टर हैं—और डाक्टरी के विद्यार्थी हैं—जो तर्क देते हैं (और सब-मुच मानते हैं !) कि जब सारे समाज में कहीं कोई आदर्श नहीं है तो उन्हीं से क्यों आदर्शवादिता की माँग की जाये ? एक हृद तक यह बात ठीक भी है। आदमी को पहले साधारण आदमी मान कर चलना चाहिए—पहले से ही उस पर असाधारणत्व का बोझ नहीं लादना चाहिए। पर पेशेवर काम या नीचरी का यह तर्क वहाँ तक जा सकता है, जाने दिया जा सकता है ? क्या सभी पेशों में पेशा और स्वार्थ-सेवा का तर्क एकमात्र तर्क होगा, केवल इसलिए कि वह 'पेशा' है ? और क्या हर कर्म इसलिए 'पेशा' हो जाएगा कि वह विशेष ज्ञान और दीक्षा पर निर्भर करता है ? हमारे ही जीवन-बाल में अध्यापक और चिकित्सक वे वारे में धारणा विलकुल दूसरी थी और अब वदल गयी है। जब कि पश्चिम में, जहाँ विकास और समृद्धि के (जो हमारे पास नहीं है) आधार पर वह नयी मानसिकता बनी जो हम ने औढ़ ली—आज भी सेवा-भाव के प्रति सम्मान है। वहाँ पेशेवर डाक्टरों और नसों के समान्तर सेवा-रत मिशन भी हैं और समाज सेवा-भाव द्वारा परिहास का विषय नहीं बनाता।

यो तो साधु-सन्यासी से भी विशेष ज्ञान और दीक्षा अपेक्षित है, पुजारी-उपाध्याय-आचार्य से भी, क्या उन के लिए भी हम मान सें कि ये सब भी 'पेशेवर' आदमी हैं और इसलिए इन सब का भी यह तर्क बरने का अधिकार है कि 'समाज में सभी स्थार्थी और चोर हैं तो हम से क्यों माँग वी जाये कि हम दूध के घुले रहेंगे ?' नि सन्देह साधुओं में सब साधु नहीं हैं, पर सबाल यह है कि क्या आदर्श का, मूल्य का और उस की प्रतिष्ठा का कोई बोध हम में बचा है कि नहीं ? क्या कि मानवता भी न कोई मूल्य है, न विकास का कोई चरण, वेवल एवं पेशा है—विशेष दीक्षा प्राप्त पशु द्वारा अपनाया गया एवं पेशा ?

क्या हमारा पूरा समाज फिर गे कम-जे-कम बुछ पेशों और सेवाओं में उम बाहर्य अथवा मानव-नैवा-भाव यी प्रतिष्ठा बरने को भैयार है, जिस के दिना मनुष्य मनुष्य नहीं है ?

## साहित्यकार का सम्मान : किसलिए ?

एक विशिष्ट साहित्यक के सम्मान के लिए आयोजित सम्मेलन मे मुख्य अभिभाषण का बाब मुझे सौंपा गया था। अभिभाषण लिखने बैठ वर पहला वाक्य लिखा 'साहित्य के और साहित्यकार के सम्मान का कोई भी अवसर एक सुखद, गौरवमय अवसर होता है'। लेकिन एक ही वाक्य लिख लेने पर मन अटक गया। क्या ऐसे समारोह सचमुच साहित्यकार के (या साहित्य के भी) सम्मान के लिए होते हैं? क्या आज के भारतीय समाज के मन मे साहित्यकार के प्रति सम्मान का भाव वचा भी है? क्या यह पहचानना ही ईमानदारी न होगी कि आज हमारे समाज मे साहित्य अथवा साहित्यकार के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा है, और जिनमे था भी उन मे दिन-ब-दिन कमतर होता जा रहा है? समारोह साहित्यकार के सम्मान के लिए नहीं होते; भेले के लिए होते हैं, प्रदर्शन के लिए होते हैं, सत्ता के साथ जुड़ने के लिए होते हैं, बड़े आदिमियों वो युश करने के लिए होते हैं, कुतूहल शान्त करने के लिए होते हैं, घुद सम्मेलन मे अथवा भच पर दिखाई देने के लिए होते हैं। अर्थात् सभी कुछ के लिए होते हैं, लेकिन साहित्यकार के सम्मान के लिए नहीं होते। और यह बात शायद हिन्दी-क्षेत्र के बारे मे और भी अधिक सच है। दूसरे भाषा-क्षेत्रों मे अब भी साहित्यकार का सम्मान है, लेकिन हिन्दी-क्षेत्र भ तो वह विलकुल समाप्त हो गया जान पड़ता है...

मन एक बार अटक गया तो फिर अटका ही रहा और कुछ भटकता ही गया। बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली के कई छोटे-छोटे अनुभव याद आये। प्रसाद, प्रेमचन्द, पन्त, और निराला का जीवन इन्हीं शहरों से सम्बद्ध रहा, लेकिन आज इन शहरों के पढ़े-लिखे लोगों मे बहुत कम ऐसे होंगे जो यह बता भी सकें कि इन महान् साहित्यकारों मे, जिन पर सभा-सम्मेलनों मे गर्व प्रकट करने का चलन है, कौन किस शहर मे कहाँ रहता रहा, कहाँ उन्होंने कौन सी रचना की, आदि। बड़े-बूढ़ों की बात छोड़ दीजिए, जो व्यक्तिगत रूप से

भी उन के सम्पर्क में आये हो; उस पढ़े-लिखे साधारण व्यक्ति की ही वात सामने रखिए जो साहित्य का पाठक माना जाता है और जिस से इस सम्बन्ध में कुछ वाता रखनी चाहिए।

मैंने अभी जो नाम लिये वे तो उन साहित्यकारों के हैं जो हमारे युग में रहे और निर्विदाद स्थूप से प्रथम कोटि में रखे जाते हैं। उन के कुछ पहले के साहित्यकार ले लें, अथवा ऐसे साहित्यकार जिन्हें इस से कुछ कम दर्जा दिया जाता है, तो वात और भी स्पष्ट हो जायेगी।

दिल्ली की ही वात ले लें। आजादी वे पहले यह शहर भले ही उर्दू का शहर माना जाता रहा हो, आजाद देश की राजधानी में कई एक हिन्दी साहित्य-वार लम्बे अरसे से रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चे अर्थ में 'दिल्लीवाले' हैं और जिन की रचना पर भी दिल्ली की गहरी छाप है। वया आपके जीवन में कभी ऐसा भोका आया कि किसी ने आपको राह चलते रोक कर बताया हो 'यहाँ अमुक लेखक रहता है' या कि 'यहाँ पर अमुक लेखक ने अमुक रचना की थी, अथवा उसके जीवन की अमुक घटना घटी थी, और यह बता कर गवं का अनुभव बिया हो कि यह दिल्ली उस की दिल्ली है ?'

एक निजी अनुभव याद आया। दो वर्ष हुए एक सगोष्ठी के लिए शिमला जाना हुआ था। चार दिन के आयोजन के बीच एक दिन छुट्टी का था। आयो-जन बप्तकि सरकारी था इसलिए उस दिन मेरे लिए संसर की व्यवस्था कर दी गयी और मैं एक ऐसा मुन्द्र स्थल देखने भेज दिया गया जो सौन्दर्य और सुविधा के बारण सौक्रिय 'पिकनिक स्पॉट' भी था। मैं एक चबूतर बाट कर सौटने के लिए पहाड़ से उतर रहा था तो ढाई-तीन सौ बालब-बालिकाओं वी एक टोली काफ़र आती हुई मिली। बच्चे प्राप्त सभी मूलत हिन्दी-भाषी थे, यद्यपि जो भाषा बोल रहे थे उसे आप बोई भी नाम दे सकते हैं—शायद 'करीटा अप्रेजी का विद्यार्थी सस्करण' ही उस की सही व्याख्या होगी। लेविन 'करीटा अप्रेजी का विद्यार्थी सस्करण' ही उन के पास ने गुजरता हुआ कुछ नीचे निवल वात भाषा की नहीं है। मैं उन के पास ने गुजरता हुआ कुछ नीचे निवल गया। जरा पीछे से एवं आवाज मुराई पड़ी—'देनो, वह हैमिंग जा रहा है' और इसके साथ एवं दबी हुई लेविन काफ़ी अपक हैंसी। कुछ ही अगे उस में से भी बिसी ने शरारत-भरे स्वर में बहा, 'हैमिंग !' और इस पर रव लिलिता पड़े। मैं भी उन की ओर मुड़ वर मुस्करा दिया तो वे लिलिता वर और तेज़ी से बढ़ने लगे।

मैंने हैमिंग को अभी प्रत्यक्ष नहीं देता था, लेविन उन की पौटी से दिमी को बोई रामानता दीतानी है तो मुझे आस्तर्य नहीं होता। अमेरिका में भी दो-चार बार ऐसो वात गुनी थी। सातम्बासिस्को में तो एवं बार रात की

पैदल लौटते समय रास्ते में एक नशे में घुत व्यक्ति ने कन्धे पर जोर से 'धील मार कर पूछा था, 'हलो, मिस्टर हैमिंग्वे, आप वहाँ से बव लौटे ?' — 'वहाँ से' अर्थात् दूसरे लोक से, वयोंकि हैमिंग्वे को मरे तब दो वर्ष हो चुके थे ।

लेकिन घटना याद आयी तो हैमिंग्वे की आवृत्ति से किसी वास्तविक या कल्पित समानता के कारण नहीं, याद आयी तो इसलिए कि एक भारतीय स्कूल के भूसतः हिन्दी-भाषी बच्चे सभी हैमिंग्वे की आहृति से परिचित थे और उन में से किसी ने भी एक भारतीय सेखक को नहीं पहचाना । (मैं जानता हूँ कि मैं इस घटना का उल्लेख करूँगा तो बहुत से सोगों की प्रतिक्रिया यही होगी कि मेरा अह इस बात से बाहृत हुआ कि मुझे नहीं पहचाना गया, जो असल व्यक्ति की बात है उस की ओर उन बा अपना ध्यान ही नहीं जायेगा या दूसरे का ध्यान दे जाने न देंगे । )

पहचान की इसी घटना के साथ जुड़ सकने वाली एक और घटना याद आयी । यह घटना उन दिनों की है जब पाकिस्तान से हमारा सीमा-मुद्द चल रहा था । दिल्ली में ही शाम को मैं गाड़ी चलाता हुआ अबैला आ रहा था कि एक तग रास्ते में दफतर से लौटती हुई एक साइकिल-सवार भीड़ से सामना हो गया । मैंने गाड़ी वी चाल बहुत धीमी कर ली थी और फिर भीड़ अधिक देख कर गाड़ी विलकूल रोक दी—हाँ बजाने से बोई लाभ होने वाला नहीं था । लेकिन भीड़ आगे नहीं निकली, लगभग दो सौ व्यक्तियों ने साइकिलो से उत्तर कर गाड़ी को घेर लिया और धूणा-भरे स्वरो से चिल्लाने लगे, 'पाकिस्तानी, पाकिस्तानी !' मैं चुप-चाप थैठा भूस्कराता रहा । तभी अचानक भीड़ में पीछे से किसी ने मुझे पहचान निया । वह चिल्लाया, 'अरे क्या कर रहे हो, यह तो अमुक है !' इस पर भीड़ धीरे धीरे खिसक गयी और मैं घर लौट आया ।

मन और भट्टा । कुछ वर्ष पहले एक सरकारी विभाग से एक पत्र मेरे यहाँ पहुँचा जो श्री राहुल सांकृत्यायन के लिए था, जिन्हे दिवगत हुए तब कई वर्ष हो चुके थे । पत्र में उनका नाम भी अशुद्ध लिखा था और मेरा भी, सेकिन पत्र मेरी मार्फत उन को भेजा गया था । यह तो मैं समझ गया कि पत्र मेरी मार्फत के बल इसलिए भेजा गया है कि हमारे नामों के रूप गिलते हैं और सरकार के लिए सांकृत्यायन, कौसल्यायन, मोदगलायन, वास्त्यायन—सब एक ही थेकी के बट्टे बट्टे हैं । पत्र मैंने उन्हीं अधिकारी को लौटा दिया जिन्होंने मेरी मार्फत भेजा था । इतना और लिख दिया कि मैं तो यह पत्र राहुल जी तक नहीं पहुँचा सकता, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो एक ही उपाय हो सकता है कि वह अधिकारी महोदय स्वयं पत्र ले कर वहाँ चले जायें

जहाँ राहुन जी होगे। (वहने की जहरत नहीं कि यह मजाब भी उन की समझ म नहीं आया होगा।)

एक याद और। इस बात पर विचार हो रहा था कि साहित्यकार के सम्मान का आपोजन हो तो उस का स्वरूप क्या होना चाहिए। मुझ से पूछा गया तो मैं ने यह राय दी कि मैं इसे न बेवल ज़रूरी नहीं समझता बल्कि अनुचित भी समझता हूँ कि जिस साहित्यकार का सम्मान करना है उसे पहले से मच पर बिठा दिया जाये और उस की विरादरी से काट दिया जाये—इस अवस्था में तो और भी अधिक जब मच पर और साहित्यकार न बैठे हो बल्कि आपोजनों और राजपुस्तकों का जमाब हो। सम्मान में साहित्यकार अपनी विरादरी में ही बैठे, लेकिन सम्मान के लिए मच में जा कर अभ्यर्थना-पूर्वक उसे ले जायें तो अधिक शोभन होगा। मेरे इस भुक्ताव पर दो एक धर्किन विगड़ उठे। ‘आप क्या समझते हैं (यहाँ उन्हाँने तो नाम भी लिये, लेकिन मैं नाम हटा कर बेवल पद नाम दे रहा हूँ) मच से उत्तर कर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या उपराष्ट्रपति साहित्यकार को लिवाने आयेंगे? मैंने हँस पर कहा, ‘मैं पहीं बात आप से स्पष्ट कहलवाना चाहता था आपकी समझ में ये ही लोग बास्तव में बढ़े हैं और साहित्यकार के सम्मान में सम्मिलित हो कर आप को राय में साहित्यकार पर अनुप्रह कर रहे हैं। और पहीं बात साहित्यकार के पक्ष से मुझे असह्य है। कोई बारण नहीं है कि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति आमन से उत्तर कर साहित्यकार को लिवा न ले जायें—और ऐसा भी नहीं है कि इस से उन की कोई हेठी हो जायेगी या वे छोटे हो जायेंगे। और आप आज चाहे जो सोचते हो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि डा० राजेन्द्रप्रसाद को अथवा जवाहर नाल नेहरू को अथवा डा० राधाकृष्णन् को मेरे प्रस्ताव में तुछ भी अनुचित न लगा होगा, बल्कि वे पूरे भन से मेरी बात का अनुमोदन करते। अगर आज ऐसा नहीं है तो उस का बारण यही ही यहता है कि आज सत्ताधारी (वह चाहे एवं निर्धारित अवधि के लिए ही पदानीन हो) अपने को साहित्यकार अथवा किसी भी कृतिकार अथवा अष्टा में उत्तर समझता है और उस के लिए समझते हो पूरा ममाज भी मही मानने लगा है।’

इसी गम्भीर मैत्र उन्हें अमेनिका था तब उदाहरण भी दिया जिस में इति रोंडर्ट फॉन्ट के सम्मान के आपोजन में उन्हें अभ्यर्थना-पूर्वक मच तर से जाने वालों में तत्त्वालीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनावा पीछे और लोग लेकिन ऐं जो राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति रह चुके थे। लेकिन यह उदाहरण उन के नने नहीं उत्तरा।

साहित्यकार भी गिरनी या गिर चुकी प्रतिष्ठा के बारे म नई भन होगे।

इस में शक नहीं कि स्वयं साहित्यकार की अपनी जिम्मेदारी वा भी उत्सेष्ट होगा—उस एवं महसूवाकाशा, उस की अहम्मन्यता, उस वा ईर्प्पा-भाव और शाशन-सत्ता के प्रति स्वयं उम वा हीनत्व बोध—इन बारणों की उपेक्षा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जिस साहित्यकार मेरे में सब दोष हैं उस के बारे में तो यह सवाल उठेगा ही कि फिर उस वा सम्मान बरने हुम क्यों जा रहे हैं? केविन जो सम्माननीय है, जिसे हम ने सम्मान के योग्य माना है, उसे भी हम किस पद पर रखते हैं? यानी सवाल किसी एवं वीं नीयत के बारे में नहीं है, हमारी अर्थात् पूरे समाज की नीयत के बारे में है। हम क्या इतने से सन्तुष्ट हैं कि मत्ताधारी वे वृपा-वटाध वो साहित्यकार की ओर प्रेरित बर दें और मानें कि साहित्यकार को इतने से ही अपने वो छृतछृत्य मान लेना चाहिए? हमारी पूरी सस्तृति भ रखनावार और सजंक वा क्या स्थान है? ये प्रश्न पूछने के हैं और पूरे समाज को अपनी सस्तृति का नया मूल्यांकन इन सवालों के प्रकाश में बरना चाहिए। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जो समाज शृष्टा का सम्मान नहीं करता वह घटिया समाज है और वह स्वयं अपनी उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाता है क्योंकि सजंक के प्रति उदासीनता केवल साहित्य अथवा सगीत अथवा चित्रकला के प्रति उदासीनता की बात नहीं रह जाती—वह कल्पना और भौतिकता के प्रति उदासीनता है जो विज्ञान की प्रगति में भी उतनी ही आधक होती है।

जिन उदाहरणों से मैंने बात आरम्भ की उन के मूल में जायें तो यह भी देखेंगे कि हमारा समाज समकालीन इतिहास पे प्रति घोर उदासीन है, इतिहास को वह जल्दी-से-जल्दी पुराण मे परिवर्तित कर देता है और उस के बाद तथ्य मे उसे न दिलचस्पी रहती है, न तथ्य तक पहुँचने की सम्भावना वह बनी रहने देता है। साहित्यकार तो अलग, गान्धी, नेहरू और जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति भी इस प्रवृत्ति के शिकार हो गये हैं। उन के सम्बन्ध मे पौराणिक किस्म की गाथाएँ सर्वंत्र मिल जायेंगी, केविन तथ्यों की स्तोत्र करने चले तो एक दु साध्य स्थिति सामने आ जायेगी। एक ही उदाहरण सीजिए। जयप्रकाश जी अगस्त '४२ के आन्दोलन के बाद जब जेल से फरार हो कर छिप रहे थे तब काफी समय दिल्ली मे भी रहे थे। अब दिल्ली के नेताओं मे भी और जयप्रकाश जी के सहयोगियों म भी वितने ऐसे हैं जो बता सकेंगे कि दिल्ली मे किस घर मे छिप कर वे रहे थे?

यो साहित्यकार के सम्मान के लिए लिखा जाने वाला मेरा अभिभाषण पहले ही वाक्य पर अटक गया। वह अभिभाषण मुझे लिखना है जरूर, लेकिन क्या मैं यह मान कर चल सकता हूँ कि हमारा समाज सचमुच साहित्यकार का सम्मान करता है, विशेष रूप से हिन्दी समाज? या कि मुझे अपने

वाक्य में 'गौरवमय अवसर होता है' को बदल कर 'गौरवमय अवसर होना चाहिए' कर लेना होगा ?

यह सवाल भी उठाया जा सकता है—उठाया जाना चाहिए—कि माहित्यकार का सम्मान होता है तो विस लिए होता है ? उसके गौरव की नाप सत्ता नहीं हो सकती यह तो स्पष्ट ही है। तब अगर उसके प्रभाव की बातें करें तो वह किस चीज़ का प्रभाव होता है ? और अगर आज सम्मान बम है तो क्या मान लें कि कारण यही है कि प्रभाव कम है ? और अगर प्रभाव बम है तो समाज के उत्तरदायित्व के अलावा स्वयं साहित्यकार बही तक दोषी है ?

साहित्यकार भी दोषी है, यासा बड़ा अपराध है उस का विशेष स्वय से उन का जी आज साहित्य ने मानदण्ड रखने का दावा करते हैं। अपराध यह है कि वह भूत गया है कि उस की प्रभाविता का आधार क्या होता है। आलोचक मनवाना चाहते हैं—और साहित्यकार मान लेता जा रहा है—कि प्रभाविता इस में है या हीनी चाहिए कि साहित्य शासन का तस्ता पलटे, पलटने में योग द, कि साहित्य सीधे सीधे क्रान्ति बढ़े—पर उस क्रान्ति का नवशा उसे देना बनाया दूसरे दें—उस दल के नेता जिस के हित में वह क्रान्ति करे ! यानी साहित्य की प्रभाविता इस में नहीं है कि वह सत्ता से अलग रहें या उम से मिलने वाली सहृदयिता से ऊपर रहे—इस में है कि वह विसी न विसी सत्ता के हित माध्यने में अपने बोलगा दे—तस्ता पलट कर आने वाली उस दल की सत्ता का जिमके आलोचक उसे रास्ता दिखायेंगे, या फिर आलोचक अगर वर्तमान प्रतिष्ठित सत्ता के हैं तो साहित्यकार की प्रभाविता इस में हीनी कि वह उसी सत्ता का समर्थन करे—उस के कार्यश्रमा बोलाने में योग दे ।

इस प्रकार साहित्यकार को बताया जाता है—और वह मान लेता है—कि उसकी प्रभाविता विसी न विसी सत्ताधारी अथवा सत्तावासी के साथ चलने में है, और यहाँ 'साथ चलना' पीछे चलना हो जाता है ।

ऐसे में साहित्यकार का सम्मान हो ही नहीं सकता। ऐसा साहित्यकार सम्मान्य है भी नहीं। और जो समाज इसी आधार पर सम्मान बांटता है उस के हारा दिये गए सम्मान का भी कोई मूल्य नहीं है—वह समाज ही दिघपट है ।

साहित्य का—विसी भी देश के साहित्य का—इतिहास उठा कर देख जीजिए। सम्मान उस साहित्यकार को मिला है और मिलता रहा है जिसने सच्च जीवन मूल्यों को उभारा है और सामने रखा है, जिसने जबन्जब में मूल्य उगेधा की धूल में मैले हुए हैं तब तब उन्हें फिर चमका कर सामने रख दिया है। फिर समाज और सत्ता उस के काम से छोड़े, या बिगड़े, या प्रसन्न

हो; उसे बोले, या मारे, या जेल में दाने, उस में गाहित्य को बुचले या जसाये या जब्त करे—या सस्ता छाप बर सामों की मद्या में प्रगारित करे। यह नहीं कि गाहित्यकार को मुग-दुग नहीं होता, अपनी पुस्तकें पढ़ी जाने पर सन्तोष और सृजित या उपेक्षित होने पर रोट या आक्रोश नहीं होता, होता है। पर सात्साहित्यकार लिखता इस के लिए नहीं; इस मध्य का बाबजूद लिखता है। लिखता है क्योंकि उसका गरोदार मानव जीवत की अर्थवत्ता से है, और यह अर्थवत्ता उसे उन जीवन-मूल्यों में मिलती है जो उस में दिये जाते हैं या दिये जाने चाहिए।

मेरा पहला ही वाक्य-स्त्रीक या साहित्यकार के सम्मान वा अथसर गौरवमय अवसर होता है। एक बार हम 'गाहित्यकार' 'सम्मान' और 'गोरव' की तभी परिभाषा कर सें तर

## हमारे समाज में नारी

वहते हैं कि अखबार का एक नगा होता है। पिछले दो-तीन वर्षों में जब अखबार के बारे में सोचता हैं तो जान पढ़ता है कि वह नगा न होवर क प्रकार की याज होती है। खुजलाने से पीड़ा होती है और खुजलाये बिना रहा भी नहीं जाता। ससार में क्या हो रहा है इस के बारे में कुछ जानकारी नहीं जानकारी न हो कर जो हम जानते हैं—मसलन् अपने ही देश की राज-नपी जानकारी—उसी की नपी-सेनपी दुखद विवृतियाँ सामने आती हैं। नीति की अवस्था—उसी की नपी-सेनपी नीति की अवस्था—उसी की नपी-सेनपी सामने आयी है।

पिछले कुछ महीनों से एक और भी खलानिजनक बात सामने आयी है। द्वियों के दोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में बलात्कार की, द्वियों के अपमान की और उन पर अत्याचार की खबरें न हो। इस तरह वी पटनाएं अपमान की अधिक, प्रसार की दृष्टि से इतनी दूर-दूर तक पैकी है और महाया में इतनी अधिक, प्रसार की दृष्टि से इतनी दूर-दूर तक पैकी है और महाया में इतनी व्यापक हो गयी है कि हमें खलानि, खोभ और गुम्मे के अनावा अपने पूरे समाज के बारे में चिन्ता भी होनी चाहिए और पूरे समाज की मनोवृत्ति पूरे समाज के बारे में सवाल भी हमारे मन में उठने चाहिए। जैविन इसमें के बारे में बहुत से सवाल भी हमारे मन में उठने चाहिए। जैविन इसमें लक्षण लगभग नहीं दीखते हैं। कुछ लोग जो की भडास निवाल रहे हैं अवश्य जैविन लगभग नहीं दीखते हैं। जैविन इसके लिए राजनीतिर समर्थन ने एक बड़े आराम की अवश्या भी बर दी और इसके लिए राजनीतिर समर्थन ने एक बड़े आराम की अवश्या भी बर दी है। मसद में जाकर न केवल लीडर का गम 'आराम के साथ' अभिव्यक्ति पा लेता है बल्कि उन लोगों को भी तसल्ली हो जाती है किन्तु चून-चून बर ऐसे लीडर वहाँ भेजे जे। जन-प्रतिनिधि अपनी वह चुने तो मान निया गया कि जन की बात भी कही जा चुकी और अखबारों न ममर का घोरा दाय दिया तो राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण समाचार आगे का द्वंद्य भी पूरा हो गया है। और अगर वहस की रफ्त के बाद वे यह की रिप में कि मद्दत में गरमागरमी के बाद वहस का अन्त बड़े बिनोदूर्वाँ बातावरण में हुआ' तो सब को यह सोच कर अपनी पीठ ठोकने का मौका भी मिलेगा कि हमारा

समाज जैसा समय और शिष्ट समाज है जिसे हर मम्मीर यहां वा अन्त चूहत-  
बाजी में हो जाता है ।

बलात्कार की ये दिन-व-दिन बढ़ती जाने वाली घटनाएँ क्या चूहलबाजी  
का विषय हैं पा होनी चाहिए ? सेविन असवारो को गहराई में जाने वी  
फुरखत नहीं है क्योंकि सतह पर ही इतां कुछ घटित हो रहा है—रोज नये  
समाचार आ जाने हैं ऐविन सदां ? यही भी मानो सोगो को इस बात की  
चिन्ता ही अधिक है जिसे इन अपराधों के लिए जिम्मेदार विस दर को टहराया  
जा सकता है । न अपराधों के निवारण की चिन्ता है, न अपराधी को दह देने  
की, न उस समाज को बदलने की जिस में ये अपराध पत्तने हैं चिन्ता है  
केवल आरोप और प्रत्यारोप की ओर उम पे बाद थोड़ी-सी इस बात की जिसे  
वातावरण बहुत अधिक पटु न हो जाय—क्योंकि विभिन्न दल एक दूसरे को  
गालियां देते रहे, फिर भी रहना तो सब को साथ ही है ! जब सब एक ही  
थेली वे चट्टे-चट्टे हैं तब आपस म टकराते रह कर भी उन्हे यह भी तो  
ध्यान रखना है जिसकी ही न पट जाये ।

क्या ये बलात्कार की घटनाएँ बेवल कानून और व्यवस्था की समस्या हैं,  
जैसा कि कुछ सोगो का रहना है ? और क्या यह अव्यवस्था और प्रशासनिक  
डिलाई वर्तमान सरकार की अयोग्यता, असमर्थता या दुष्टता के बारण है ?  
या जिस से यहने वी सरकार अथवा सरकारों की दुर्बलता, दुष्टता और  
डिलाई के बारण पैदा हुई ! या जिस बात को इसी स्तर के आरोप प्रत्यारोप  
तक सीमित रखना असल समस्या से बतारा जाना ही है ?

या जिसका बलात्कार की ये घटनाएँ उस व्यापकतर हिसां वा एक पहलू हैं  
जो पूंजीवादी व्यवस्था म बढ़ते हुए वर्ग-संघर्ष के बारण पैदा होगी ही ?  
यानी जो वास्तव में केवल संघर्ष के सदृश हैं—ऐसे संघर्ष के जो दुसरे होकर  
भी अनिवार्य हैं ?

या कि यह नारी की आजादी के आनंदोलन वा ही एक प्रतिक्रियात्मक  
पहलू है कि नारी या तो जहरत से ज्यादा आजाद हो कर अपने को जोखम  
में डालती है जिस से उसे समाज ने पहले बचा कर रखा था ? या जिसे इस  
बिगड़ती हुई आजादी को निरक्षिता मान कर पुरप-समाज नारी को फिर  
वहां म रखने के लिए आक्रामक रूप अपना रहा है ?

या कि क्या यह सब पारस्परिक मूल्यों के हारां का परिणाम है—समाज  
उच्छृंखल और अनाजारी हो गया है और मुवक वर्ग उद्दद्द हो गया है और  
उस की उत्तेजित काम वासनाएँ इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं ।

या कि क्या आधुनिक सम्भवता की, या पश्चिमी सम्भवता की, यौनाचार सम्बन्धी उदासीनता इस का कारण है—जोर अनग्नेल यौनाचार को प्रोत्साहन देने वाले सिनेमा, विज्ञापन, पोस्टर, असलील पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि ? या कि—ऐमा भी कुछ लोगों का मत है—वास्तव में ऐसी प्रवृत्तियाँ बढ़ी नहीं हैं, वे वल बलवारों की पहुँच बढ़ जाने से उन की चर्चा अधिक होने लगी है ? वि भारतीय समाज में हिंसा और बलात्कार और नारी के प्रति अवज्ञा वा भाव हमेशा से रहा है—“आप रामायण, महाभारत और पुराण भी देख लीजिए, हामसूत्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो है ही, किर खजुराहो और कोणाक वे मन्दिर भी देख लीजिए” ; ‘भारतीय समाज में तो हमेशा से यौन-बाचरण के बारे में वाकी उदारता रही है’, ‘भारतीय समाज में तो नारी का दर्द हमेशा नीचा रहा है’। ‘भारतीय मानस तो हमेशा यौन-कुठाओं से आक्रान्त रहा है’ !

इस रक्ष-परम्परा के बाद आप अपने पहले से पोसे हुए किसी भी पूर्वग्रह तड़ लौट आ सकते हैं कि भारतीय समाज परित है, कि हिन्दू-समाज परित है, कि हमारा समाज सामन्तवारी समाज है, कि आधुनिक हुए विना नारी की रखा नहीं है, वि पश्चिम की आधुनिकता ही सब बुराइयों की जड़ है, कि ये बलात्कार घनिक वर्ष द्वारा निर्धन स्थियों पर परम्परा से चला आता अत्याचार है, या कि जातियों का छोटी जातियों पर परम्परा से चला आता अत्याचार है, या कि उदन छोटी जातियों को सबक सिखाया जा रहा है या कि असल में यह आप अध्याचार पुरिती की मनमानी ही है या पुरिती वी शह से ही होता है ।

प्रिये, और चाहें तो सभी दसों को बुरा वह कर अपनी राजनीतिक अथवा प्रारंभ जिमेदारी से मुकिन पा लीजिए ।

कुछ लोग बड़ी-से-नहीं दह-ध्यवस्था चाहते हैं । कुछ लोगों ने बलात्कारी वो पौसी देने का भी गुमाव दिया है और कुछ लोगों ने यह भी सुझाया दिया है वि मूलेश्वर मौसी की ध्यवस्था होनी चाहिए जिस से कि सब अपराधी वो दह पाने देख वर उस से गिराया प्रहण वर सकें ।

यह बहुता सही नहीं होगा वि रोग वे जो निदान बताये जाते हैं उन में गे जिनी का बोई आपार नहीं है । बलि यह मानना होगा वि प्रत्येक वे गीष्ये बुझ सक्ये हैं । सेरिन यह मानना और भी बहिन होगा वि जो उपाय गुभये गये हैं उन में गे बोई भी बाबी है या निर्दित हृण ने रापन होगा । अन्तिम उपाय ने ही युह बीजिएः चांगी पा बोदे वी गांवजनिर गजा । पहने तो हमारे समाज म नारी । ७९

उस से आतंक जहर फैल सकता है और आज की शासन-व्यवस्था में प्रशासनिक आतंक की उपयोगिता तो ही ही। लेकिन आतंक जहरी तौर पर प्रतिहिसा जगाता है यह भी जानी हुई बात है। जरा-सा भी अनवधान हुआ नहीं कि इस प्रतिहिसा के बारण बलात्कार यी घटाएँ बढ़ी नहीं! किर यह भी लक्ष्य है कि ऐसे सब सुझाव दड़-व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उसी संगठन पर ढालते हैं जिस बे अपने अत्याचारों के समाचार रोज मिल रहे हैं। सर्वत्र यह दीख रहा है कि पुलिस भी अत्याचार कर रही है क्योंकि उसे दड़ देने वाला कोई नहीं है—वही तो स्वयं 'दड़-व्यवस्था' है।

तादय करने की बात इतनी ही नहीं है कि पुलिस वे अधिकार बढ़ाना जो रोज अपराधी वे स्प में सामने आ रही है एक आत्मघाती अन्तविरोध है। लक्ष्य करने की बात यह भी है कि सब लोग कुछ करने की जिम्मेदारी किसी-न-किसी दूसरे वर्ग या संगठन पर डाल रहे हैं। जैसे सभी राजनीतिक दल अपना सारा जोर इस बात पर लगा रहे हैं कि दूसरे को अपराधी सिद्ध कर दिया जाये, वैसे ही सभी दल ही नहीं, लोकमत के सामाजिक नेता भी सारी जिम्मेदारी किसी-न-किसी पर डाल कर स्वर्य अपने लिए कर्म-मुक्ति का रास्ता निकाल सेना चाहते हैं।

और बास्तव में यह बतराना ही आज की जघन्य और अन्यायपूर्ण स्थिति वा एक बुनियादी बारण है। हम आज तब एक गैरजिम्मेदार समाज में जी रहे हैं। इस में कोई भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने, आगे बढ़ कर अपना कर्तव्य स्वयं ओढ़ने और उस के परिणाम स्वयं भोगने को तैयार नहीं है।

## : २

कोई हृज़ नहीं होगा अगर हम एक बार एक गहरी नज़र समाज पर डालें। यह ठीक है कि उस से तुरन्त कोई उपाय नहीं निकल आयेगा, न ये अपराध तुरन्त बन्द हो जायेंगे, लेकिन एक रोगी समाज की ओर देय कर जब तक हम यह पहचानेंगे नहीं कि रोग पूरे समाज-शरीर में फैला हुआ है तब तक कोई भी इलाज कारगर होने वाला नहीं है।

तात्कालिक उपाय क्वाल आत्म प्रबन्धना सिद्ध होगे।

यह रोज़ की घटना है, और कोई भी पाठक ऐसा नहीं हो सकता जो इस से अच्छी तरह परिचित न हो। शहर में, गाँव में, कस्बे में, गली में, वही भी दो आदमियों में जहा-सुनी होती है और दो मिनट बाद दोनों एक-दूसरे को माँ-बहिन की गालियाँ देने लगते हैं। गुस्सा एक दूसरे पर है और निकाला जा

रहा है उन निरीह माँ-बहिनों पर जो न वहाँ मौजूद हैं, न जिन्हें भगडे का कुछ पता है, उस म भागी होना तो दूर की बात। और जिन वे बारे में भगडा करने वालों को, हो सकता है, इनना भी पता न हो कि वे किन्या में हैं भी या नहीं।

यह आम प्रवृत्ति उसी समाज में हो सकती है जिस में सिद्धान्त के रूप में नारी मात्र को 'पूज्य' माना जाता है और हर स्त्री को माँ, बहिन, बेटी का पद दिया जाता है। यदोऽनि थोथी सेद्धान्तिक शिक्षा पूजा की है, इसलिए मन में वसी हुई हिंसा जहाँ भी प्रवृट होनी है इस पूजा-भाव के प्रति विद्रोह का रूप लेती है। जिसे एक पक्ष समझता है कि मुझे मार पड़े उस में मेरा अपमान नहीं है लेकिन मेरे परिवार की स्त्री के कल्पित अपमान में भी मेरा अपमान है, उसी तरह दूसरा पक्ष भी यह समझता है कि मैं इस माह तो मेरी हिंसा-भावना को उतना सन्तोष नहीं मिलेगा जितना इस के परिवार की स्त्रियों को अपमानित कर के।

वम-से-वम बाठ-नी सी वर्षों से हमारे समाज में यही मानसिकता पनपती आयी है। हम ऐसा मानते हैं कि आदी हो गये हैं, और पश्चिमी शिक्षा ने भी हमें यह सिखाया है, और आज का पड़े-लिखो वा नारी-आनंदोलन भी ऐसा समझने लगा है—(और नयी राजनीतिक शिक्षा भी नारी के प्रति पूरे समाज के अत्याचार को बेबल आधिक शोषण के साथ जोड़ कर और धम पैदा करती है) —कि इस देश में नारी हमेशा से दलित, शोषित और उत्तीर्णित थी। यह बात विलकूल झूठ है और प्राचीन साहित्य का अथवा प्राचीन इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान इस झूठ को स्पष्ट कर देगा। वास्तव में समाज में स्त्री की अवनति प्राचीन काल अथवा प्राचीन जाति-मण्डन की विशेषता नहीं रही, बल्कि सर्वत्र मध्यवर्ग के उदय के साथ जुड़ी रही है। जात-पांत की भावनाओं ने भी इस के बाद ही वह जडित और शियित रूप लिया है जो आज हम देख रहे हैं। तभी एक आदमी और दूसरे आदमी का बैर पहुँचे और दूसरे के जाति-गत बैर का रूप से लेता है, और यह जातिगत बैर फिर एक-दूसरे की जाति की स्त्रियों पर ही प्रगट होता है। एक जाट और बनिये की लड़ाई होती है, बदले के लिए जाट समाज के कुछ गुणे किसी बनिया परिवार की बोई लड़की उड़ा के जाते हैं और उम पर अत्याचार होता है तो पूरा जाट समाज प्रनियोग की तृप्ति का अनुभव करता है, यद्यपि उस घेबारी का मूल भगडे से कोई सरोकार नहीं था। किरपूरा बनिया समाज अपने को अपमानित मान कर इसी ढग के बदले की व्यवस्था करता है जाहे उस के लिए उसे भी किराये के गुणे ही क्यों न लाने पड़ें। जो लड़कियां अत्याचार का पहला शिवार थीं न उन की ओर किसी का ध्यान जाता है, न अत्याचारों की

गृहस्थला में उसी प्रकार धर्षित होने वाली दूसरी निरीह सड़वियों की ओर। जाट और बनिये का नाम तो उदाहरण के लिए लिया गया; बनिया अहीर, ठाकुर-हरिजन, कायथ-कोथरी, बाम्हन-खशी—कोई भी जोड़ मिलाये जा सकते हैं। मूल मनोभाव वही है कि गुस्सा चाहे किसी पर हो, नज़ला गिरेगा तो स्त्री पर।

नये युवा वर्ग में यही मूल मनोभाव और भी विकृत रूप लेता है। जब परम्परा नारी के प्रति सम्मान भाव की है, तो 'परम्परा के प्रति विद्रोह' नारी के अपमान के रूप में प्रगट होता है। तब छेड़ छाड़ से ले कर बलात्कार तक सब को जघन्य अपराध न समझ कर केवल विद्रोह का एक रूप समझा जाने लगा है, बहादुरी माना जाता है। इस तरह की विकृत बुद्धि वाले युवा समाज में बलात्कारी के प्रति बहुधा एक प्रशस्ता अथवा ईर्प्या का भाव देखा जायेगा।

पश्चिमी समाज में नारी के प्रति ऐसा भाव न था न है, इसलिए वहाँ न इस तरह की गालियों का चलन मिलेगा, न विद्रोह की विकृतियाँ नारी पर अत्याचार के रूप में प्रगट होगी। वहाँ बच्चे की शिक्षा में सब से अधिक जोर नारी के प्रति सम्मान पर नहीं, उस चीज़ पर दिया जाता है जिसे सभ्य भाषा में 'टॉयलेट ट्रेनिंग' कहा जाता है। उचित और अनुचित, अनुचित और निपिढ़ के मामले में सब से अधिक कढाई सफाई और पालाना-पेशाव के नियमों को ले कर होती है। इसलिए वहाँ माता-पिता के विलङ्घ बच्चों का, अर्थात् समाज के प्रति युवक का, विद्रोह इन्हीं नियमों के विलङ्घ हो जाता है। भारतीय समाज-व्यवहार में माँ-बहिन की गालियों का जो स्थान है, पश्चिम के व्यवहार और मुहावरे में वही स्थान गूँ और मूत सम्बंधी गालियों और फिकरों का है। और पश्चिम के युवा विद्रोह में 'हीरो' की विकृति इसी रूप में प्रगट होती है कि उस का सारा मुहावरा विष्टा के भार से लदा होता है। पश्चिम का अन्धा अनुकरण करने वाले अग्रेजी पढ़े भारतीय समाज के युवा वर्ग में भी ठीक यही बात देखी जा सकती है।

### ३

जाति-विद्रोह और 'पीड़ी द्रोह' की ये रुद्धियाँ उस हिंसा-भाव से जुड़ जाती हैं जो आधुनिक समाज का एक लक्षण है, बल्कि समाज की आधुनिकता का, दिन-ब-दिन तीखा होता हुआ, शायद वह देख सकता, लेकिन इतनी फुरसत उस को कहाँ है? और जब सहानुभूति यन्त्र-उद्योग पर आधारित समाज में हिंसा का बढ़ना अभी तक स्वाभाविक और अनिवार्य है क्योंकि यन्त्र उद्योग की हर

वृद्धि हिंसा के सहारे होती है। औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण का समार-व्यापी अभियान हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है और हिंसा के सहारे ही आगे बढ़ रहा है—प्रकृति के प्रति हिंसा और प्रकृति के साथ बलात्कार, ऊर्जा के सभी साधनों के प्रति हिंसा और उन के साथ बलात्कार। यह समारव्यापी अन्धी हिंसा व मविवसित देशों में और भी विवृत रूप लेती है, क्योंकि उन में इसे समझ कर भी इस वा सामना करने का सामर्थ्य कमतर होता है और साथ ही यह प्रवृत्ति उन देशों के समाज-संगठन को स्थापित देने वाली मूल्य-व्यवस्था वो बड़ी तेजी के उत्तरां फैलती है।

भारतीय समाज इस व्यापक प्रवृत्ति से बचा नहीं है। टेक्नालॉजी, यात्री-करण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, अंग्रेजीकरण, सब को पर्यायवाची मान कर फिर इन के साथ परम्परा के प्रति हैप-भाव और मूल्य दृष्टियाँ के प्रति अवज्ञा भाव को भी जोड़ दिया गया है। लगभग यह स्थिति हो गयी है कि अगर आप मे किसी तरह का भी कोई मूल्य-योग याकी है तो आप न आधुनिक हैं, न वैज्ञानिक हैं, न सम्य हैं—केवल एक पुराने खूसट हैं जिसे अवज्ञापूर्वक जितनी जल्दी रास्ते से हटा दिया जाय उतना ही अच्छा।

भारत मे आज गाँव से शहर की ओर आने की प्रतिया एक अनिवार्यता के साथ चल रही है। गाँव वा समाज भी हिंसामुक्त हो ऐसा तो नहीं है, सेपिन गाँव से शहर की ओर आते हुए किशोर-वय देहाती के साथ चलते हुए याप देखते जाइये कि कौने उस मे किसी भी तरह का मूल्य-वोप धोरे धीरे मिटता जाता है और एक अन्धा हिंस-भाव उस का स्थान लेता जाता है; और किर कौसे पह अराजक हिंस-भाव हो धोरे-धीरे एक मूल्य मे परिणत होता जाता है। फिर गाँव को छोड़ कर निकला हुआ किशोर वभी गाँव तो लौटता नहीं, जब अनुभव-परियवव प्रौढ़ घावित हो वर कभी कुछ दिन वे तिए सौटता भी है तो अपने भीतर सचित हिंसा की छूत वही ओर फैलाने के लिए। वह पुढ़ यदि कि कुछ ही दिन रह वर गाँव से फिर वस्ते या शहर की ओर लौट जाने वाला है इसलिए इस छूत मे फैलने वाली हिंसा या प्रतिहिंसा की कोई जिम्मेदारी उस के ऊपर तो आती नहीं, उस के परिणाम जिन को मुगतने है वे ही मुगतेंगे। उन को धोड़ी सहानुभूति शायद वह दे सकता, लेकिन इसकी कुरसत उसको नहीं है? और जब सहानुभूति भी कुरसत नहीं होती, तब उस सम्मान्य सहानुभूति वो ऊर्जा भी पहले से पनपते हुए हिंसा भाव मे जा मिलती है—हिंसा भाव योड़ा और उग्र हो जाता है।

इस समाज में हम जीते हैं, इस में रोज अखबार पढ़ते हैं, इस में रोज स्त्रियों पर बलात्कार की दाखण से दाखणतर खबरें छपती हैं। रोज सवेरे हम उन्हें पढ़ते हैं और चेतना पर छायी हुई हिंसा को थोड़ा और बल मिल जाता है।

फिर? फिर हमारे समाज में बहुत से लोग दिन-भर माँ-बहिन की नयी-पुरानी गालियाँ देते हुए जी की भडास निकाल रहे हैं और रात को वैसी ही गालियाँ अपने को भी देते हुए घर लौट आते हैं।

क्या ऐसे समाज में बलात्कार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का कोई उपाय है? प्रश्न का आशय यह नहीं है कि कोई उपाय नहीं है, आशय यही है कि जब तक हम मूल्यहीनता के साथ बोधे हुए हिंसा भाव को नहीं देखते, जब तक बिद्रोह के बिकृत चित्र का सुधार नहीं करते, तब तक क्या पुलिस, पर्यासरकार या सेना या ससद कोई इलाज कर सकता है? क्या कोई भी संगठन या संस्थान, जो खुद इसी समाजव्यापी मूल्यहीनता की परिस्थिति की उपज है, विना उस मूल समस्या का सामना किये हुए कोई उपाय कर सकता है? नहीं कर सकता।

हम पुलिस के भरोसे रहे हैं—उस का परिणाम आज हम देख ही रहे हैं कि बलात्कार की घटनाओं में उतनी ही बार पुलिस बाले भी अपराधी होते हैं जितना कोई दूसरा—यह अलग बात है कि वे दहित न होते हो। फिर हम सरकार के भरोसे रहे हैं। उस का दिमाग वैसे चलता है यह बागपत बाली घटना से देखा जा सकता है। 'मोटरगाड़ी में क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो अपराधी हैं, इमलिए यह सबाल ही क्यों उठाया जाये कि मोटर से निकाल कर एक स्त्री का अपमान पुलिस द्वारा किया गया या नहीं?' अब हम ससद की ओर देख रहे हैं। वहाँ भी हँसी-मजाक में बात टाली तो जाने ही लगी है। और आगे क्या होगा?

जिस रोगी समाज से ये संगठन और व्यवस्थाएँ निकल रही हैं, आखिर उसी का प्रतिनिधित्व तो ये करेंगी—फिर जब प्रतिनिधित्व करने में लिए ही उन्हें चुना गया है।

मूल्यों की समस्या उठाये विना केवल अपराधों की चर्चा करना अपने आप में अपराध है। जिस समाज में कोई ऐसे मूल्य नहीं है जिन के लिए जिया जाता है और जिन के लिए मरा भी जा सकता है, वह समाज अपने मन के माध्य बलात्कार की स्थिति को स्वीकार न कर चुका है, अपना मन ही बलात्कारी की सोच लुका है। समाज को पुलिस या सरकार या भसद नहीं बचाती, समाज की अपनी शक्ति बचाती है जो उन मूल्यों से मिलती है जिन के लिए वह जीता है। क्या हमारा समाज अपना सामना करेगा?

मूल्यों वे ही सन्दर्भ में एक बात और सामने आनी चाहिए। कहा जा सकता है कि 'पत्र नार्यस्तु पूज्यमते' में तो एक मूल्य निहित है। और जब स्त्री मात्र को माँ-बहिन वा पद दिया जाता है तब उस का आधार भी तो एक मूल्य दृष्टि होती है। निश्चय ही दैसा होता है। सेकिन वे मूल्य आज सार्थक नहीं रह गये हैं। जिन छोटी विरादरियों में समाज का हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को जानता था, उम में इम रिस्ते का महत्व था, और तब उस में आचरण की नियत्रित बरने वाला एक बल भी होता था। 'गाँव का रिस्ता' उस समाज में साधेंक था जिस में मानसिकता भी गाँव की थी—जो गाँव की मूल्य दृष्टि को एक नियामक महत्व देती थी और उसे जाति के विनार से ऊपर मानती थी—यानी छोटी जाति की स्त्री भी बेबल नारी होने के नाते अपनी माँ-बहिन, वहू बेटी हो जाती थी। आज यह पहचान अनिवाय हो गयी है कि स्त्री को माँ, बहिन, वहू, बेटी इत्यादि ही मानना, बास्तव में उस के निजी स्वतांत्र व्यक्तित्व की नवारना है। स्त्री को हमेसा रिस्ते के किसी पुरुष के भाध्यमें दखना समाज को पुरुष सचान्नित मानने था ही एक विस्तार है। स्त्री अपने आप में कुछ नहीं है—उस का अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है, उम के लिए केवल कर्मों और वर्तव्यों का एक समूह है, एक 'रोल' है जो इस दृष्टि से निर्धारित होता है। और यथोन्नि इस तरह पुरुष-समाज बड़ी आसानी से नारी के व्यक्तित्व की सत्ता को ही नवार जाता है। इसलिए आज उस व्यक्ति पूजा भाव का भी बोई अर्थ नहीं रहता। जिस समाज में नारी को व्यक्तित्व ही नहीं दिया जाता उस में नारी की पूजा भी नहीं होती, न हो सकती है। उस में इस पूजा का अर्थ 'रवार्थ पूजा' या 'पेट पूजा' वाली पूजा से अधिक कुछ नहीं रहता। सच्चे अर्थ में पुरुष वही स्त्री हो सकती है जिस के व्यक्तित्व को समाज ने एक स्वतांत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। इसी-लिए समाज के लिए अपना मानना करने की और अपने मूल्यों को चुनौती देने भी बात उठती है। जो समाज स्त्री को एक स्वतंत्र समाज व्यक्तित्व देने नो तंत्यार नहीं है उम समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होगा। बलात्तर की जड़ इस मानसिकता में है। जिस समाज वी मानसिकता यह हो, उग में मानना चाहिए, नारी का धर्मण अनुशासन हो रहा है।

## संस्कृति वनाम इतिहास : कला की समस्या

आज जिस दुनिया से हम गुजर रहे हैं उस में अप्रेजी पढ़े-लिखे—और ‘पढ़े-लिखे’ लोग अधिकतर अप्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही हैं ! —यह मान कर चलते हैं कि सस्कृति वा आज कुछ मतलब नहीं है, आज ऐतिहासिकता वा युग है और इस में सस्कृति की बात करना अप्रामाणिक है, प्रगति विरोधी है, बठमुल्लापन है। मव पढ़े-लिखे बात को यो साफ-भाफ नहीं भी कहेंगे लेकिन ‘सस्कृति’ का नाम लेते ही उन के स्वर में जो मूढ़म परिवर्तन आ जायेगा उस के मूल में यही धारणा होगी ।

देश के कुछ विश्वविद्यालयों में तथाकथित सस्कृति के विभाग हैं लेकिन यह लक्षणीय है कि जहाँ भी सस्कृति को एक विषय माना गया है वहाँ उसे प्राचीन इतिहास के साथ और आनुपाणिक रूप म ही रखा गया है। ऐसे विभाग ‘प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति’ के विभाग होते हैं। इस गठबन्धन से वह पूर्वग्रह और भी पुष्ट हो जाता है- सस्कृति अर्थात् प्राचीन ऐतिहासिक मूल्य और मान्यताएँ जिन वा आधुनिक जीवन और प्रगतिशील चिन्तन से भला क्या सम्बन्ध हो सकता है ! ...

यो तो सरकारी क्षेत्रों में सस्कृति की जो गति हुई है वह भी इस पूर्वग्रह के प्रभाव वा एक पहलू है। देश आजाद हुआ तो एक मन्त्रालय को नाम दिया गया ‘शिक्षा और सस्कृति’ अथवा ‘शिक्षा, विज्ञान और सस्कृति’, लेकिन फिर सस्कृति इधर-उधर धक्के खाती रही और उस का स्थान कभी कभी खेत-कूद और कभी भरीर विज्ञान लेता रहा। सस्कृति के कुछ अवशेष शिक्षा मन्त्रालय में बचे तो उन का भी विभाजन कर के मुख्य अश विदेश-मन्त्रालय के जिम्मे कर दिया गया (एकमटर्नल बल्चर जिसे शायद एक्सपोर्ट बल्चर भी कहा जा सकता है ! ) और अल्पाश शिक्षा के साथ जुड़ा रहा—जो आज साहित्य, चित्र-

कला, संगीत, नाटक, रणनीति से सम्बद्ध अकादमियों की निगरानी बरता है। पर मरवार का उल्लेख हमारा मुख्य विषय नहीं है: मुख्यतया हम इतिहास और सम्झौते के सम्बन्धों और उन की अवधारणाओं की ही बात करना चाहते हैं।

विदेशी अध्येता ग्राम बहता था कि भारतीयों में इतिहास-बोध नहीं होता और इतिहास को महत्व देने वाली मानसिकता परिचय भी विदेश देन है। और हमारी परिचयमी शिक्षा वज्रोंवि मुख्यतया तोतारटन्न विद्या भी इतिहास हमारे गिरावासित्वयों में आज भी बहुत से इस बात को मानते हैं। यो ऐसा नहीं है कि इम बात का बोई आधार नहीं है या कि परिचयमी विद्वान् वेवल एक पूर्वग्रह प्रवट बर रहा था। लेकिन आधार वया था, बात विस सन्दर्भ में सब अथवा उपयोगी है, यह हमें समझाना उग वा काम नहीं था, यह समझना हमारा अपना काम था जो हम ने नहीं रिया। (हम अपना काम बरने योग्य हो, यह मियाने की जिम्मेदारी भी परिचय भी नहीं थी, हमारी थी।)

बास्तव में परिचय के इस आरोप अथवा मूल्यावन का सही अभिप्राय क्या है यह ठीक-ठीक समझने के लिए हम उसी तरह का एक प्रत्यारोप परिचय पर लगा सकते हैं। वह भी उतना ही सत्य अथवा पूर्वग्रह-दूषित होगा जितना परिचय का पतवा अगर हम उसे सही सन्दर्भ में न रखें अथवा उग के आधार पर इतिहास और सम्झौते के सम्बन्ध का पुनर्विचार न करें। हम वह सकते हैं कि 'शाशुनिक' परिचय में सम्झौते बोध नहीं है। यदि इस का अर्थ यह लगाया जायेगा कि इतिहास और सम्झौते दो परस्पर विरोधी तत्व हैं और एवं वे उपस्थिति दूसरे के बहिष्पार ढारा ही सिद्ध होती है तो यह परिणाम भी उतना ही गलत होगा जितना वह परिणाम जो परिचय की सूक्ष्म से निकाला जाता रहा है।

यह ठीक है कि ऐसे विषयों की चर्चा सिफ़े भारतवाचक सजाओं के स्तर पर बहुत अधिक कल्पना नहीं होती—वर्म से-वर्म शास्त्रीय चर्चा के बाहर उस का उपयोग नहीं रहता। अच्छा होगा कि हम भी व्यवहार-पक्ष से ही उन का विचार करें।

आप भारतीय पारम्परिक चित्रकला को लीजिए। पारम्परिक भारतीय चित्रकार में इतिहास-बोध नहीं था। चित्रकारों में तो बहुत से ऐसे भी थे जो आज भी परिभाषा में बनाकार न हो कर कारीगर अथवा शिल्पी थे और जिन की शास्त्रीय विद्या न के बराबर थीं। लेकिन इतिहास-बोध न रहते भी थे चित्रकार अपने चित्रों में करते थे? आप पहाड़ी अथवा राजपूत कलम के चित्र देखिये। चित्रकार बता तो रहा है रामायण, महाभारत और भागवत के चित्र, लेकिन रामायण के युद्ध में रामाक लगभग वही

है जो चित्रकारों के समकालीन भारतीय सैनिक की होती थी—घुटने या बही-कही तग पाजामे भी, बड़ी, वसा हुआ फेटा, पगड़ी अथवा सिली हुई टोपी<sup>..</sup> या युद्ध महाभारत का है और उस में सेनाओं के बीच कही-कही आप वो दीख जायेगी एक आध फिरगी टोपी ! बन्दूक अथवा छोटी तोप का भी चित्रित होना कोई आशय नहीं है ।

नि सन्देह इस से कई तरह वे परिणाम निकाले जा सकते हैं । एक तो यही कि उस वेचारे चित्रकार में इतना भी ऐतिहासिक बोध नहीं था कि रामायण-महाभारत कालीन सैनिक को उत्तर-मध्य काल की विद्या न पहनाये, उत्तर-मध्य काल के अथवा योरोपीय सम्पर्क के बाद वे हथियार न दे, प्राचीन घूह रचना के बदले मध्यकालीन मोर्चेबन्दी न दिखाये । लेकिन यही चीज, जिसे उस चित्रकार का अज्ञान अथवा भोलापन बताया जा सकता है, इस बात का भी लक्षण है कि वह चित्रकार अपनी युगातीत सामग्री को एक समकालीन मुहावरे में प्रस्तुत कर रहा था और ऐसा करने में कोई सकोच नहीं करता था —वयोंकि युगातीत वस्तु समकालीन पोशाक में ही सार्थक रूप में दिखायी जा सकती है ..दूसरे शब्दों में, जहाँ उस चित्रकार में ऐतिहासिकता बोध की बर्मी थी वही यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि उस का स्थिति-बोध और व्यवहार-बोध लगातार उस की 'पुरानी' जानकारी का नवीकरण करता चताता था । इतिहास बोध उसे नहीं था तो एक युग-सम्बिंद्ध बोध से वह उस की बर्मी पूरी कर लेता था । यही बात हम रामलीला अथवा भागवत-लीला में भी देख सकते हैं । ये कथाएँ भी युगातीत बल्कि कालातीत वस्तु प्रस्तुत बरती थी, लेकिन प्रस्तोता उस के बीच विलकुल नि सकोच भाव से समकालीन वस्तु भी भर देता था । कस के अत्याचारी शासन की बात होती और उस में वस्तु भर दी जाती अपने समकालीन मुगल अथवा रियासती अथवा स्थानीय जमीदारी शासन के अत्याचारों की । यहाँ भी लगातार कालातीत सामग्री का नवीकरण समकालीन मुहावरे के आधार पर होता जाता था । महत्व ऐतिहासिक तथ्य-गत सच्चाई का नहीं था बल्कि अनुभवगत युगीन सच्चाई का । दक्षिण में देवासुर-संग्राम के एक प्रस्तुतीकरण में तो गुब्रहाण्ड वार्तिकेय (मुरुगन्) देवताओं को बचाने आते हैं तो बाड़सिकिल पर सवार हो कर । देहाती लीला में देवताओं के चमत्कारी विमानों के निकटतम आने वाला कोई यत्र वहाँ उन का परिचित था तो वाइसिकिल थी । पश्चिम का पश्चिम-अध्येता इस पर हँसता है और ऐतिहासिकता बोध की इस कमी को नृत्यशास्त्र की परिधि में बांधना चाहता है, लेकिन नृत्यशास्त्र का विषय जो जीवन्त नर है उसके लिए प्रमाण किलाव में नहीं बल्कि उस के जीवनानुभव में है ।

दृष्टियों के इस अन्तर का एक विलक्षण उदाहरण ईसा के जीवन से सम्बद्ध

धार्मिक चित्रों में भी मिलता है। ईसाई धर्म मसार के अनेक देशों में फैल गया है, लेकिन उन वे धार्मिक चित्रों के पीछे जो प्रबल ऐतिहासिक आग्रह रहा है उस ने ईसा की छवि को भरसक बदलने नहीं दिया, बल्कि एक देश-नाल से बोधे रखने का पूरा प्रबल किया है। वेदत भारत में आ कर उन का यह ऐतिहासिक आग्रह हार गया भारत के चित्रकारों ने उतनी ही गहरी और सच्ची श्रद्धा-भावना से ईसा के चित्र बनाये हैं लेकिन उसे भारतीय देहाती पोशाक और सन्दर्भ में डाल कर। ये चित्र फिर पूरी तरह अनेतिहासिक हैं, लेकिन जिस सत्य को प्रस्तुत करते हैं वह क्योंकि सत्य ऐतिहासिकता से बड़ा है इसलिए इतिहास के पिछरे से बाहर निकल कर ही उसे अपने पूरे आयाम में प्रस्तुत किया जा सकता है।

तो कला—किसी भी कला, चित्र, मूर्ति, काव्य, नाटक नृथ—के लिए तथ्यमूलक इतिहास का बन्धन विलुप्त आवश्यक नहीं है उस वे लिए महत्व उस भाव मत्त्व का होता है जो कालातीत होता है, यानी कला के लिए भान-बता बोध इतिहास-बोध से बड़ा है।

लेकिन इस सच्चाई का भी सन्दर्भ है। यात बही और बही तक मत्त्व है जहाँ हम उस भाव मामग्री को प्रस्तुत कर रहे हैं जो कालातीत है। जब हम ऐसा विषय प्रस्तुत करते हैं जिम वे आयाम तो महाकाव्य वे से हो लेकिन जिस की भावगत सत्यता ज़रूरी तीर पर इतिहास की परिधि वे भीतर रहने वाली हो, तब ऐसे प्रस्तुतीकरण के समय तरह-तरह वे समस्याएँ उपस्थित होगी। रामलीला, हृषीकेश अथवा ईशा चरित की बात दूसरी है क्योंकि ये चरित्र (विशेष रूप से ईसा की ऐतिहासिकता के आशहे वे बावजूद) इतिहास से बड़े हो गये हैं उन का एक बैदिक आयाम है जिसे काल नहीं बोधिता। लेकिन हमारी सास्कृतिक ऐतिहासिक परम्परा में ऐसी घटनाएँ आयी जिन के आयाम महाकाव्य बाले हैं, लेकिन जिन के प्रस्तुतीकरण में ऐतिहासिकता वा बोध (अथवा उस की कमी) वही समस्याएँ खड़ी कर देता है। इन समस्याओं का विचार आज की कलाओं के लिए अनिवार्य है—आधुनिक काव्य, नाटक, रामरण और चित्रकला के लिए तो अनिवार्य है ही, रामायण, महाभारत आदि की लीला वे प्रस्तुतीकरण में भी समस्याएँ पैदा करता है।

इस तरह वे घटनाओं अथवा कथा-वस्तुओं में, जिन वे आयाम तो महाकाव्योचित हा लेकिन जि हे ऐतिहासिक सन्दर्भ से बाट कर देखना उन्ह अर्थ-हीन कर दना होगा, हमारे स्वाधीनता आन्दोलन से बढ़ कर क्या चीज़ होगी? अभी तो ऐसे बहुत से लोग जीवित हैं जिन के लिए रवाधीनता संग्राम अपने निजी अनुभव की बात थी। ऐसे लोग उम सदाम को और उस की भावस्थितिया को आज समरण म चाहे जितनी रोमानी रगत दे कर दें, इस बात

मे तो छुटकारा न पा सकेंगे, न पाना चाहेंगे कि वह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। अपने ही प्रत्यक्ष अनुभव से थोड़ा हट कर दूसरी विराट् ऐतिहासिक घटनाओं की बात सोचें तो हिरोशिमा-नागासाकी का अग्रवाल विस्फोट अथवा रूसी भाँति अथवा चीनी भान्ति भी ऐसी घटनाएँ हैं जो अगर काल की दृष्टि से हमारे इतने निकट न होती तो वही आसानी से महाभारत का-मा रूप ले सकती थी। उन के आयाम उनने ही बढ़े और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही उन्हें हम विसी तरह ऐतिहासिक सन्दर्भ में काट वर मिथकीय अथवा पौराणिक सन्दर्भ में नहीं रख सकते। दूसरे शब्दों में कह तो उन के आयाम वी विशालता एक मिथकीय सथोजन माँगती है, लेकिन ऐतिहासिक आग्रह पूरी तरह उस की अनुमति नहीं देते।

इस तनाव को जीवन्त कलात्मक अभिव्यक्ति देना आज की कला की एक समस्या है—वेवल काल्य अथवा उपन्यास कला की नहीं, सभी कलाओं की।

जहाँ इस स्तर की कला-समस्याएँ होती हैं वहाँ कोई बने-यनाये समाधान या नुस्खे बाम नहीं करते। यो तो कला में वही भी नुस्खे बाम नहीं करते, लेकिन इस सन्दर्भ में यह बात विशेष रूप से सही है कि समस्या को वेलौस रूप में रख देने के बाद सारी प्रतिक्रिया कलाकार की सर्जनात्मक प्रतिभा पर छोड़ देनी चाहिए। आलोचक का बाम किर तभी शुरू होता है जब यह सर्जनक प्रतिभा अपना काम वर चुकी हो। उस के परिणाम पर ही आलोचक टिप्पणी वर सकता है, उस से पहले सर्जन को यह बताने का कोई अधिकार उस का नहीं है कि उस की प्रतिक्रिया क्या रूप ले।

राजा राव ने अपने छोटे उपन्यास कठपुरा म राष्ट्रीय जागरण की ऐतिहासिक सच्चाई को मिथकीय आयाम का सम्पर्क देते हुए प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इसी में उस उपन्यास की शक्ति है। वही भी उस इतिहास के रूप म ग्रहण नहीं किया जा सकता, वैसा करना चाहते पर उपन्यास की सारी दस्तु हल्की और हास्यास्पद जान पढ़ने लगेगी। लेकिन दूसरी ओर कही भी इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि वह एक विराट् ऐतिहासिक घटना की उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है जिस रूप म उस ने ग्राम-मानस को प्रभावित किया होगा—यानी एक मिथकीय आयाम देते हुए। सच्चाई की रक्षा की यह एक औपन्यासिक युक्ति है। रगमच पर वडी सत्ताएँ मुखीटे पहन कर प्रगट होती थी और इस प्रकार एक साथ ही अनुभव-गत यथार्थ को और अनुभव-सामर्थ्य से बढ़े सत्य को प्रस्तुत करती थी। एक तरह से यह उस का औपन्यासिक पर्याय है। फणीद्वरनाथ 'रण' के छोटे और बड़े सभी उपन्यासों म भी इसी युक्ति के सफल प्रयोग देख सकत है वहाँ भी इतिहास नहीं है लेकिन ऐतिहासिक सत्य है—एक मिथकीय सम्पर्क

लिये हुए, जो रगमच के मुलोंटे भी तरह ही सत्य के विराट् हृषि की रक्षा करता है और उसे संवर देता है।

हम ने कहा कि यह समस्या सभी कलाओं के सामने होगी और उपन्यास के सामने समस्या का हृषि स्पष्ट बतने के लिए हमने रगमच का उदाहरण भी दिया। स्वयं रगमच में भी इस के उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसे बौन से उदाहरण होने जिन्हे हिन्दी के साधारण पाठ्य वा परिचित मान दिया जा सके। हिन्दी वा रगमच उतना समर्थ, सम्पन्न और प्रयोगशील नहीं रहा है जितना मराठी अथवा बांग्ला अथवा कन्नड़ का भी। इधर हिन्दी में कुछ हलचल जहर है, लेकिन उस का भी कुछ श्रेष्ठ इन्हीं तीनों भाषाओं के रगमच अथवा रगमियों की है। उन के रगमच में अस्त्य यह देखने को मिलेगा कि वही पठना के बहुजन को बैरे ग्रस्तुत दिया जा सकता है—ऐतिहासिक सत्यता और मिथ्यीय आधार दोनों पा दियों ह बरते हुए।

समस्या उतनी ही चित्रकला के सामने भी है, लेकिन भारतीय चित्रकार एक-आध अपयाद को छोड़ कर इसमें विस्तृत बतारा बर निवाल गया है। बायू हैरर ने सन् '४२ के आनंदोलन के कुछ चित्र प्रस्तुत दिये थे जिन में हम इन विराट् आधार को छूते का प्रयत्न देख सकते हैं। कृपाल मिह दोग्यावन ने पारम्परिक चित्रकला की युक्तियों का निर्वाट बरते हुए फिर एक बार उस रामन की याद दिनायी थी जिस पर जल बर चित्रकार अपनी समस्या का गामना बर सकता है और उस का समाधान खोज सकता है। लेकिन उम रामन पर खोई चरे नहीं, न हमारे आलोचकों में खोई ऐसे निवाले जो कला के समाधान को इस व्यापक भूमि पर रख बर उन का गामना बर सकें। लेन्ड बर उन के सामने पिकासो का एक चित्र गंगिका ही रह गया। नि सन्देह यह महान् बलाइति है, लेकिन उस की नकल भी महान् बलाइति होती, एसा तो नहीं है। न यही पहा जा सकता है कि वर्षनी वस्तु के साथ पिकासो के यथार्थ को दूसरा चित्रकार अपने ऊर ओढ़ कर वही पहुँच सकता है जहाँ पिकासो पहुँचा। हर चारकार अपनी वस्तु से लड़ कर ही उस पर जय पाता है। यहाँ भीतर लड़ी आती है, लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि दिसी की बड़ाई बोड़ी जा सकती है या कि सिफं अभिनय में जीती जा सकती है।

नृत्य-नाट्य के लिए—और यह विद्या भारतीय प्रतिभा की विशेषता नहीं है—यह समस्या और भी उप हृषि के बर सामने आती है। पारम्परिक नृत्य-नाट्य में सोन नर्तक उसी तरह समकालीन वस्तु भी ले आता था जिम तरह पारम्परिक चित्रकार अथवा लीला मच का नट। लेकिन आज के नाट्य-नर्तक को इस में घबड़ाहट होती है। उस की घबड़ाहट निराधार भी नहीं है

क्योंकि उस की कला चित्रबला की अपेक्षा कही अधिक सामाजिक है और ग्रहण के निए एक व्यापक सामाजिक सम्बन्ध मानती है। सूनी रगशाला में या चार-छ सदृशयों के सामने कला-प्रदर्शन का जोखम वह नहीं उठाता—उसे तो भरा-पूरा प्रेक्षक समाज चाहिए। 'इष्टा' की वे प्रस्तुतियाँ जो एक समय मर्म को छू सकती थीं आज वही निरर्थक हो गयी। 'इन्टा' की भारत की खोज आज क्यों नीरस हो जायेगी? ऐसा यहा है कि शान्तिवर्धन द्वारा निर्मित रामायण और वचनन्त्र आज भी इस के बावजूद भी जीवन्त और प्रभावशाली होते हैं कि उन की वस्तु भी पारम्परिक है और प्रस्तुतीकरण की पदति भी, जबकि आधुनिक इतिहास प्रस्तुत बरने वाली रगकृतियाँ उन्नत कौशल और तकनीक के बावजूद असर नहीं रखती? यह बात सोचने की है और सोच कर अपनी स्थापनाएँ सभी कलाओं पर सागू करके देखने की है। उस से हमारी बलाओं को भी लाभ होगा और हमारी आलोचना में भी कुछ जान आयगी।

प्रभात गायुली ने शान्तिवर्धन की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए पशुशाला रची; नृत्य रचना और मनन कौशल की दृष्टि से यह एक अद्वितीय कृति है और फिर उसे जार्ज ऑरवेल की विल्डल व्यग्य रचना एनिमल फार्म की पृष्ठिया भी उपलब्ध है। फिर उस का जैसा प्रभाव क्यों नहीं होता जैसा एक कुशल प्रस्तुति का होना चाहिए और जैसा ऑरवेल के उपन्यास वा आज भी है? क्या इस का कारण यही नहीं है कि नृत्य-नाट्य की परिकल्पना में कही उस तनाव की वर्मी है जो ऐतिहासिक सत्य और उसी के मिथकीय आयाम वाले प्रतिलिपि के बीच होना चाहिए?

वास्तव म यह प्रश्न हमारे युग का एक व्यापक और आधारभूत प्रश्न है, बटिक यह बहुत से आधारभूत प्रश्नों का लोत है क्योंकि इसी में से यह प्रश्न भी निवलता है कि क्या अब ऐसी कृतियों को बचाया जा सकता है जिन्हे हम आधुनिक कलासिक मानने के आदी हो चले हैं—फिर वे कृतियाँ चाह वा व्यक्तिकला की हों, चाह चित्रकला की चाहे रगमच वी, और व्या उन्हे बचाना चाहिए भी और क्या यह चाहना अपने आप म अतीत मोह है? और सबाल आधुनिक कलासिक तक ही नहीं रह जायेगा, हमें फिर यह भी पूछना पड़गा कि क्या रामलीला, कृष्णलीला और दूसरी भागवत लीलाएँ भी बचायी जा सकती हैं—लीला रूप म अथवा मचीय रूप मे—या कि उन्हे भी नष्ट हो जाने देना होगा? या कि वे नष्ट हो ही चुकी हैं और अब केवल व्यावसायिक उपयोगिता की चीज रह गयी हैं?

हमारा विश्वास है कि उन्हे न केवल बचाया जा सकता है बल्कि बचाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र की सास्कृतिक सम्पत्ति है और इस रूप मे समग्र

मानव-जाति की सम्पत्ति हैं। उपेक्षित सम्पत्ति अवद्य हैं, लेकिन उदार कर के उन्हें फिर मानव-कल्याण में निश्चय हो लगाया जा सकता है। लेकिन इस के लिए उन में परिवर्तन जहरी है। एक तो यह कि हम फिर से उन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भ में प्रस्तुत बरें और लगातार उन की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का परीक्षण करते रहें। दूसरे यह कि हम स्वयं अपनी इतिहास सम्बन्धी धारणा बो बदलें। उस की तथाकथित 'वैज्ञानिकता' की सबीरेंता बो छोड़ कर उसे वृहत्तर सास्कृतिक और मानवीय आयाम में रखने वा साहस करें।

वयोऽि जैसे इस में बोई सन्देह नहीं कि सस्कृति वा एक ऐतिहासिक सन्दर्भ होता है जिस को उपेक्षा नहीं हो सकती, उसी तरह यह भी सच है कि इतिहास का भी एक सास्कृतिक सन्दर्भ है जिस की उपेक्षा नहीं हो सकती। ऐतिहासिक सन्दर्भ खो कर सस्कृति भवस्थित में भटकने सकती है, उसे दिशा-ज्ञान नहीं रहता। लेकिन सास्कृतिक सन्दर्भ खो कर इतिहास तत्काल मर जाता है व्योकि उस का सबैदन ही नष्ट हो जाता है।

## अच्छा साहित्य कैसे विके ?

गरमारका मूँजों भी प्रवृत्ति हमार देश म बहुत मुगानी है। जिस मुग म गरमार अर्धांश रात्रा ईदवर का सौन्दर्य प्रतिष्ठित हो। वे माने स्वयं ईदवर पुराप था उग मुग म तो यह स्वाभावित ही था कि गब बुध पहले जगदीदवर और किर पार्विदवर पर छोड़ दिया जाय। मध्य-आठ में आज्ञा की जानी कि यह प्रवृत्ति बुध रम हुई होती, सेरिन आगर बुध रम होवर वह रात्रा को ईदवर के पहले मार्द-चाप ही मानने सगे तो भी जहाँ तक सरकार का मूँज जोड़ने की यात्रा है, कोई परिवर्तन जल्दी नहीं था। और कोई परिवर्तन हुआ भी नहीं। यद्यपि रत्नवाहों में राजाओं, महाराजाओं, नवायों को ईदवर में रम दर्जा दिया जाने सका तथापि मुगल बादशाहों की बहनी हुई थिए और गाज़ाउय के विस्तार के साथ-गाथ पिर पुराने गंसार ने जोर पारदा—दिल्ली-दरवरों का जगदीदवरों था। श्रितानी थीरनिवेशिर शामन में गरमार का दर्जा पिर ईदवर में गिरवर मार्द-चाप का हुआ। स्वापीताजा आनंदेना ने अपेक्षी शामन का विरोध तो किया सेरिन स्वतन्त्रता सप्ताम में जल्दी तोर पर गरमार में अपना रिस्ता बदलने की चान भी रोखी हो, ऐसा नहीं था। अपनी गरमार हो, यह आपह सो प्रवत्स था, सेरिन उसमे यही भाव निहित था कि हम जिस गरमार पर निर्भर करें वह हमारी हो, यह नहीं कि हम स्वयं इस हद तक अपने अपीन हो जायें कि स्वयं अपने साथने उत्तरदायी हो किसी भी सम्प्राण का मूँज जोड़ने के बजाय अपने ही से यह आज्ञा करें कि हम अपनी जल्दनों और आज्ञाओं का उद्यम स्वयं ही बरेंगे। दूगरे दब्दों में स्वाधीनना सप्ताम में बहुत व्यापक मावंजनिर हप से उस आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं की जो कि वास्तव म एवं लोकतंत्र समाज का आदर्श—स्वतन्त्रता का आदर्श—था। भारतीय गमाज स्वाधीनता प्राप्ति से पहले भी गरमार अथवा गस्त्यान का मुगानेशी था और बाद में भी बना रहा। आज भी यही स्थिति है कि दाहर की गणाई अथवा परियार नियोजन से सेवर किनायों की सरीद विश्री और

साहित्यकार की दबा-दाढ़, हर बात में निए हम सरकार का मुँह जोहते हैं। “सरकार यह क्या नहीं करती—” “सरकार को चाहिए—” —चारों तरफ यही मुनने म आता है कि सरकार को बुछ बरता चाहिए। और यह शोर सबसे अधिक वे ही लोग मचाते हैं जिन्हे इस परमुपापेक्षिता ना विरोध सदसे अधिक बरता चाहिए—स्वयं अपने हित में भी और पूरे समाज के हित में भी—यानी हमारे तथाशयित बुद्धिजीवी।

जब समाज की ओर उसके उम अग की जिसे प्रबुद्धता मानना चाहिए, ऐसी विश्वासिति है तब सरकार को स्वतंत्रता की भावना के विस्तार की चिन्ता क्यों होने लगी? उसकी तो इसमें मुविधा ही मुविधा है कि सब कुछ जिम्मेदारी उम पर ढान दी जाय। अवश्य ही इसमें उसकी उन जिम्मेदारियों को नियाहने की शक्ति तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसको यह अधिकार तो मिल ही जायेगा कि अपनी हर असफलता पर इन्हीं बुद्धिजीवियों को घोड़ा उपदेश दे दें, घोड़ा फटकार दे उनमें कमिटमेंट का तकाजा वर दे और वभी हालात प्यादा नाजुक हा तो उन्हें छोटा-गोटा सम्मान बाटवर परचा दे और साथ-साथ अपने अधिकार-क्षेत्र का विस्तार घोड़ा और बड़ा ले। पूरे समाज की ओर उसके इस बुद्धिजीवी अग की इस गान्धिसिवता के उदाहरण हमारे समाज जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकते हैं। यही विश्वविद्यालयों अध्यापक का साधारण चिन्नम हो गया है यही पत्रकार सोचता है और यही साहित्यकार भी मानता है। न विश्वविद्यालय स्वतंत्र है अथवा स्वतंत्रतावानी है, न अकादेमियां स्वतंत्र हैं अथवा स्वतंत्रतावानी हैं। विश्वविद्यालय और अकादेमियां तो सरकारी पहल में बर्नी थीं, इसलिए उनकी प्रशाधीनता की कुछ पैरवी भी वही जा सकती है; जो भव्यान अथवा सगठन सरकार की पहल से नहीं बल्कि प्रबुद्धता जनसेवियों के प्रयत्न म आरम्भ हुए थे वे, भी भव उसी गड़े में जा गिरे हैं और उसमें गिरवर ही प्रसन्न हैं। वहा पहुँच-पहुँचे वे उस दिन अथवा उस समय की बाट देख रहे हैं जब सरकार उन्हें उबारने का कुछ प्रयत्न करेगी, उमीं गड़े भ उन्हें इनना महारा देती रहेगी कि वे वही से जोर मचाते रहवर अपनी जनसेविता अथवा आन्तिकारिता की प्रतिभा बनाये रख सकें।

हमने कहा कि यह प्रवृत्ति बहुत व्यापक है। उसके पूरे विस्तार की चर्चा करना चाहना स्वयं एक महाल में जो जाना होगा। इसलिए वैमा न यहके हम उसके वेवल एवं पक्ष की चर्चा करें जिसका सम्बन्ध साहित्य, उसके प्रचार, प्रसार और साहित्यकार से है। उत्तर प्रदेश का हिन्दौ सम्बन्ध भी है तो सरकारी सम्बन्ध ही और जिस युग-सम्बन्ध में, जैसी राजनीतिक घटना में वह अद्वितीय हुआ उसमें महज़ा भी अस्वाभाविक नहीं या कि स्वयं सम्बन्ध वै-

विद्या जाय अथवा किसी एक खूंटे से बांधने का प्रयत्न किया जाय। एक से बांधना सम्भव न हो तो दो-तीन खूंटों में बांध दिया जाय। सस्थान की ओर से विचार-गोप्ती हुई तो उसमे भी पहला प्रश्न यह उछाला गया कि अच्छे साहित्य की अथवा पत्रिकाओं की विक्री क्यों नहीं होती और उसमे सस्थान को क्या करना चाहिए। सस्थान क्या करे यह प्रश्न निहित हृष से यही था कि सरकार क्या करे, और सरकार जो करे साहित्यकारों की सलाह से करे, इसमें भी यह निहित था कि साहित्यकार उस कायंकम के साथ बाँध जाय जो सस्थान के निमित्त से बना हुआ सरकारी कायंकम हो।

अच्छा साहित्य क्यों नहीं विक्रीता इसकी चिन्ता मुझे भी है। लेकिन एक नागरिक के नाते लगातार इस की चिन्ता करता हुआ और यह प्रयत्न करता हुआ कि लोग अच्छे साहित्य की ओर आकर्षित हों मैं इस बात को भूलना नहीं चाहता कि विक्री का प्रश्न साहित्यकार से जुड़ा होकर भी अन्तत एक साहित्यिक प्रश्न नहीं है। इस बात को जोर देकर कहने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से साहित्यकार भी इस बात से भड़क उठते हैं क्योंकि यह उन्हें साफ दीखता है कि अगर अच्छा साहित्य बिकेगा नहीं तो उसका रघुनिता जियेगा कैसे? बात यह है कि विक्री का प्रश्न अगर रघुनिता का प्रश्न न होकर विक्री का प्रश्न है तो वह बाजार का प्रश्न है और बाजार वा प्रश्न तो व्यवसाय के नियमों के अधीन ही हल किया जा सकेगा। अगर अमुक एक प्रकार का साहित्य नहीं विक्रीता और अमुक दूसरे प्रकार का विक्रीता है तो जिसे केवल विक्री में दिलचस्पी है वह उस दूसरे प्रकार का साहित्य पेटा करने लगता। विक्री का प्रश्न जिन्स से जुड़ा हुआ है और अगर आप ने मान लिया कि साहित्य भी एक जिन्स है तब फिर आप उसे व्यवसाय के नियमों के अधीन रहने देने को बाध्य हो जाते हैं। अधिक से अधिक आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह जिन्स के साथ भी शुद्धता आदि के नियन्त्रण की व्यवस्था होती है उसी तरह साहित्य रूपी जिन्स के साथ भी हो और इस माने म यह इसी में निहित है कि जैसे दूसरे पदार्थों के लिए कवालिटी कट्टौल सरकार के अधिकार क्षेत्र में है उसी तरह साहित्य में भी कवालिटी कट्टौल उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। साहित्यकार ऐसा मान तो, वल्कि स्वयं इसका आपहूँ करे, यह स्वेच्छा से फाँसी के पन्दे में अपना सिर डाल देना है। मरिन कितने साहित्यकार हैं जो अच्छी पुस्तकों का सवाल उठते ही इस छलाव में आ जाते हैं कि विक्री पर नियन्त्रण होने ही—या सरकारी खरीद की व्यवस्था होते ही—अच्छा साहित्य घड़ाधड़ बिकते लगेगा और दूसरे साहित्य पर अपने आप रोक लग जायेगी। अनाज पर नियन्त्रण होने के बाबजूद यहाँ हमें मिलावटी अनाज नहीं मिलता? तेल पर सीमेण्ट पर नियन्त्रण होने के

बाबजूद क्या हमें मिलावटी तेल और सीमेण्ट नहीं मिलता ? और इन चीजों के अतिरिक्त और भी बहुत-सी चीजों की सरकारी खरीद होती है, उसमें यद्य सब अच्छा माल ही सरीदा जाता है ? और सरकारी खरीद के बाद जो माल मरकार की ओर से हमें मिलता है वह सब क्या युद्ध और निर्दोष होता है ? यहाँ तब वि जिन दवाइयों पर बहुत से लोगों का जीवन-मरण निमंत्र बरता है वे भी क्या युद्ध मिलने लगती हैं ? जब ऐसा है वि जिन चीजों के गुण-दोष के निर्णय के लिए दी-दूर और निर्भान्त कसीटियाँ हो सकती हैं उनके साथ ही ऐसा अभ्यर होता है तो यह विस आधार पर माना जा सकता है वि साहित्य के नियन्त्रण स अथवा उसकी योजना यरीद सच्चे साहित्य का ही प्रचार होने लगेगा । जबकि माहित्य म अच्छाई-बुराई की वैमी कोई निर्भान्त कसीटियाँ नहीं होती ? और इतना ही नहीं, जबकि साहित्य के स्वास्थ्य के लिए यह भी आवश्यक है वि जिससे हम महसूत नहीं हैं उसके लिए भी उतना ही खुला थेत्र मिल सके जितना उन बातों को जिनको हमारा अनु-मोदन प्राप्त है ।

अच्छा माहित्य नहीं बिकता, किं भी बुछ सिरफिरे हैं जो हठपूर्वक अच्छा ही साहित्य लिखते हैं या लिखना चाहते हैं । क्यों चाहते हैं ? इमीलिए तो वि उनके पास एक मूल्य-दृष्टि है जिसे वे अपने लाभालाभ से उच्चतर समझते हैं जिसे वे सरकार से भी ऊपर रखते हैं और जिसके लिए वे कष्ट और दण्डिय और उपेक्षा महने की भी तैयार हैं । यह भी हो सकता है वि उनकी मूल्य-दृष्टि धुंधली या बिहूत हो, इम सम्भावना को वे पहचानते भी हैं । किं भी वे अपने हठ पर टिके हैं । क्या ? क्या यही उचित नहीं है वि ऐसे लोगों को उनके भाग्य पर और उनके उद्घम पर ढोड़ दिया जाय । या तो उनके माहित्य में इतनी शक्ति होगी कि वह समाज को एक दूसरा सम्वार दे सके । तब उस साहित्य का सम्मान भी होगा और आगे-पीछे उसकी विक्री भी होन लगेगी । या उनके साहित्य में वैमी शक्ति नहीं होगी और वह उपेक्षित रहता जायेगा । या फिर मच्चाई यह होगी कि उनके साहित्य म तो गुण और प्रतिभा है, सेकिन जिस समाज में वे रचना कर रहे हैं वह समाज ही इतना बुद्धिभृष्ट और मरणितला है वि उम अच्चे साहित्य की बढ़ नहीं है, उम विसी साम बात का नक्शा चाहिए । अगर साहित्य की विक्री का प्रश्न मूलत इस तरह का सामाजिक प्रश्न है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि बार-बार उसी साहित्यकार के सामने आने के बदले दूसरे पक्ष की ओर उन्मुख हा, उसमें जबाबत नव करें, उसके सखार उन्नत करने का प्रयत्न करें, उसके लिए ऐसी स्थितियाँ पैदा करें कि वह उन्नत हो सके । निःमन्दह ऐसे हर प्रयत्न में भी साहित्यकार को दिलजस्ती होगी और उसका सहयोग भी होगा, सेकिन इस-

लिए नहीं कि यह प्रश्न अपने आप में साहित्यिक प्रश्न है, बल्कि इसलिए कि साहित्यकार साहित्यकार होने के नाते अपने नागरिक उत्तरदायित्वों से छुटकारा नहीं पा जाता।

अच्छे साहित्य की विश्वी का प्रश्न साहित्य के सबसे नजदीक वहाँ जाता है जहाँ हम उसे सम्प्रेषण की स्थितियों से जोड़ते हैं। सर्जन कर्म क्योंकि जहरी तौर पर सम्प्रेषण कर्म भी है, और सम्प्रेषण के लिए गृहीता पक्ष का सस्कार भी इतना ही महत्व रखता है इसलिए साहित्यकार के लिए इस बात का भी महत्व है कि सम्प्रेषण की प्रक्रिया के दूसरे छोर पर एक सस्कारी समाज हो। लेकिन सम्प्रेषण की सामाजिक स्थिति सुधारने वाले किसी भी सम्प्रयोग का अथवा सरकार का साहित्य-सर्जन से भिड़ने का कोई प्रयोगन नहीं है, अगर उसका उद्देश्य खरा है तो उसे गमाज की ओर ही उन्मुख होना चाहिए, समाज को सम्बोधन करना चाहिए।

इसी तर्क से एक जानुपर्याप्त प्रश्न भी निकलता है, जिसका यहाँ उल्लेख करना तो जहरी नहीं है, लेकिन जिससे बात कुछ और तीखी, ज्यादा साफ हो जायेगी। अच्छे साहित्य के प्रसार की अगर इतनी ही चिन्ता सरकार और सरकारी तन्त्र और अकादेमियों और सम्प्रयोगों को है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि देश का अच्छा साहित्य अच्छे सुन्दर और प्रामाणिक सस्करणों में सस्ते दामों पर पूरे समाज को सुलभ किया जाय? ऐसा क्यों हुआ कि सभी सरकारी सम्प्रयोग उन्हीं लेखकों की ओर मुड़े जो आज लिख रहे हैं? क्यों इन्होंने उन्हीं को दिशा देना चाहा, क्यों उनके ही रचनाकर्म को प्रभावित करना चाहा, क्यों उस साहित्य का रूप निर्धारित करना चाहा जो कल लिखा जायेगा? जीवित साहित्यकार के हित-रक्षा की दलील उन्हें सुलभ थी जरूर, लेकिन ऐसा भी तो बहुत-सा साहित्य या और है जिस पर कॉपीराइट के कोई बन्धन नहीं थे, जो सर्वसम्मति से अच्छा था, लेकिन जिस तक बहुत लोग इसलिए नहीं पहुँच सकते थे कि वह दुष्प्राप्य था, या महगा था या सुलभ न होने के कारण और महगा हो गया था? बल्कि क्या यह भी सही नहीं है कि आज जो अच्छा लिखा जा रहा है उसकी विश्वी की सम्भावना भी तभी बढ़ेगी जब लोग पहले उस साहित्य से परिचित हो गये हों जो कल लिखा जा चुका? इतना ही नहीं, नितान्त समकालीन या टटका साहित्य तो विवादास्पद भी हो सकता है, उसकी अच्छाई-बुराई का निर्णय तो आगमी कल में होगा, और उसी साहित्य का प्रश्न होगा जो विगत कल का अच्छा साहित्य स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए आज के अच्छे साहित्य की पहचान और व्यापक स्वीकृति के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि विगत कल के थोंठ साहित्य को सर्वत्र सुन्दर और टिकाऊ सस्करणों में उपलब्ध कराया जाय।

विस सरकारी संस्थान ने यह बाम किया ? इस दिशा में जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी वह या तो व्यावसायिक संस्थानों ने किया या थोड़ी सी आदर्शवादी जन-संस्थाओं ने किया जो सरकार का आप्रवाप लेते ही तुरत इस बाम से विरत हो गयी ? एक बहुत ही सीमित धोत्र में गोरखपुर के गीता प्रेस ने जो बाम किया उसका उद्देश्य सर्जनात्मक साहित्य का प्रचार तो नहीं था, लेकिन एवं विदेश प्रवार के मत्खाहित्य के प्रचार था तो था ही, और उसने यह भी असन्निध्य हण से मिछू बर दिया कि अच्छा साहित्य शुद्ध और प्रामाणिक संस्करणों में कितना सम्मान देचा जा सकता है और कितना ग्राह्य होता है । यथा नहीं दिसी सरकारी संस्थान को भी इस प्रभाग के बाबजूद सत्साहित्य के प्रबाधन का हीसमा हुआ ? इस आधार पर अगर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकारी संस्थान वे सरकारीण में ही दोष की जड़ हैं तो वया इसे पूर्वग्रह माना जायेगा ? संस्थानों में इसे नुक्के सदाशायी साहित्यकार होते हैं जो अपनी मदाशयता की दुहाई देते हैं, उन्हें इस बात से कलेश भी होता है कि उनकी बाम पर माहित्यकार मतियाते क्यों नहीं ? लेकिन तन्त्र वा सवाल देवल ध्याकिन की सदाशयता वा सवाल नहीं रहता । कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की सदाशयता स्थिति के अनिवार्य दयावों को ओङल भी कर देती है, हमें भ्रम में डाल देती है । और उस भ्रम की ओट में सरकारी तन्त्र पिर हाथी हो जाता है और सदाशायी व्यक्ति भी पाता है कि उसका देवल इस्तेमाल बर लिया गया है ।

एक धोत्र अवश्य है जिसमें लेखक वो भी यह विचार करना पढ़ता है कि अच्छा साहित्य नहीं बिकता तो परिस्थिति के सुधार के लिए उसका भी कुछ कर्तव्य है या नहीं । हमारे थाज के समाज में लेखक के लिए इस दिशा में अपना कर्तव्य निर्धारण करना आवश्यक है—लेकिन यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि न तो यह काम सरकारी तौर पर हो सकता है, न यह सरकार का अधिकार है कि वह लेखक से इस कर्तव्यपूर्ति वा तकाज़ा करे ।

यह धोत्र है सामाजिक स्थिति के निर्भाण का । एक हृद तक तो सभी साहित्य समाज की कृषि बदलता या निर्मित करता है, लेकिन समाज-संस्थान की अपेक्षाया टिकाऊ परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता उतनी प्रबल नहीं होनी और बहुत दूर तक साहित्यकार तत्कालीन स्थिति को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ सकता है—उसे भवाद की स्थिति बहुत कुछ बनी बनायी मिलती रहती है । लेकिन सत्रान्तिकाल अथवा बहुत तेजी से बदलती हुई सामाजिक स्थिति में अथवा उस स्थिति में, जिसमें साहित्यकार स्वयं समाज को बदलने में योग देना चाहता है, यह सम्भव नहीं रहता कि सवाद की तत्कालीन विगड़ती हुई अवस्था में वह सन्तुष्ट रहे । ऐसी अवस्थाओं में साहित्यकार

स्वयं अपने समाज का निर्माण करता है। अपने समाज का निर्माण अपने सामाजिक अथवा गृहीता की रुचि का मार्जन और पुनः संस्कार है। अगर अच्छा साहित्य नहीं विवता तो अच्छे साहित्य की रचना करनेवाला या विचाहने वाला एक ऐसे समाज के निर्माण और विस्तार में जुटता है जिसमें जिसे वह सत्साहित्य समझता है उसका प्रचार अधिक हो सके, उसके प्रति अनुबूल आग्रह का मनोभाव बन सके। यहाँ भी लेखक का आग्रह उस साहित्य की अधिक विश्री का नहीं होता, उसके सामाजिक स्वीकरण का ही होता है। अधिक विश्री उसके लिए आनुयायिक चीज़ है, प्रकाशक के लिए भले ही उसका महत्व पहले हो। यह उल्टा तर्ब है कि अच्छे साहित्य की विश्री न होने पर सरकार साहित्यकार में जबाब तलब करे। सही तो यह होगा कि सरकार समाज में ऐसी स्थितियाँ पैदा करने की ओर दत्तचित हो जिस में अच्छे साहित्य के लिए ललक हो और साहित्यकार सरकार को इसके लिए कोचता रहे विचार इस दिशा में अपना कर्तव्य करे।

क्या सरकारों ने कभी इस बात पर विचार किया है और इसका कारण खोजने की कोशिश की है कि हिन्दी की पुस्तकें और पत्र क्यों उत्तर-प्रदेश में सब से कम विकते हैं जबकि वह हिन्दी का हृष्यन्देश माना जाता है? और सरकारें ही क्यों, भाषा और साहित्य की सम्पादनों को भी तो इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों बिहार अथवा मध्य-प्रदेश में, जहाँ गरीबी उत्तर-प्रदेश से बही अधिक है अथवा राजस्थान में जहाँ साक्षरता ज्म है, हिन्दी की पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ खरीद कर पढ़ी जाती हैं। और भी विलक्षण बात यह है कि पूर्वी उत्तर-प्रदेश, जो कि अपेक्षया निर्धन है, फिर भी पुस्तकें खरीदता है और सम्पन्नतर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में पुस्तकें कम विकती हैं। (यह बात इनके प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के अनुभव के आधार पर कही जा रही है।) क्या इससे यह परिणाम निकाला जाय कि गरीब तो किताब खरीद कर पढ़ता है और अमीर या तो पढ़ता नहीं या किताब मुफ्त पाना चाहता है? नि मन्देह यह परिणाम निकालना गलत होगा, लेकिन यह सम्भावना यहाँ इसीलिए रखी जा रही है कि सवाल को ठीक दिशा में मोड़ा जा सके।

पुस्तकों की विश्री में सरकार की दिलचस्पी कोई ईमानदार व्यावहारिक और स्वस्थ दिशा क्यों नहीं ले सकती? हम इसका समर्थन नहीं करते कि सरकार थोक खरीद कर के अच्छी किताबों का पूरा-का-पूरा संस्करण कही डाल कर सड़ा दे यद्यपि पुस्तकालयों के लिए चुनी हुई पुस्तकों की थोक खरीद सर्वथा उचित होगी यदि चुनाव की ठीक व्यवस्था हो सके। अष्टाचारिया की लम्बी शृखला के माध्यम से कोई सही काम नहीं हो सकता क्योंकि सही

दीखने वाले बाम भी विशाइ दिये जायेंगे। बहरहाल थोक खरीद ही एकमात्र उपाय नहीं है। सरकार अच्छी पुस्तक के प्रकाशक वो कागज सस्ते दाम पर दिनदा कर अच्छे साहित्य के प्रकाशन में योग दे सकती है। बल्कि शायद मरकार वा सबसे अधिक भृत्यपूर्ण और सबसे बाम लतरनाव योग यही हो सकता है कि वट अच्छी पुस्तक प्रकाशित करने वाले को अगले अच्छे प्रकाशनों के लिए कागज के मामले में सुविधाएँ उपलब्ध बरा दे। अवश्य ही इस में मरकार वो साहित्य के प्रोत्तमाहन के लिए अपनी पीठ ठोकने की वैसी सुविधा नहीं मिलेगी, न ही सरकारी अधिकारी माहित्यिक मतों पर एक वैसी आत्म-नुस्खिट प्रकट घर सकेंगे जैसी आज करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य मरकार वो सुविधा देने वा नहीं है, उद्देश्य तो अच्छे साहित्य के प्रसार के रास्ते खोना है।\*

- सभ्याओं के लिए इनसे बुद्धा हुआ एकप्रसन्न और है, विशेष रूप से उनसभ्याओं के लिए जो सामाहित्य को दिको ही नहीं, उसके निर्माण और प्रसाशन की भी विमेदारी छोड़ते हैं। हिंदौ पाच अकादेमियों भी इन में शामिल हैं। इन अकादेमियों की निर्माण प्रक्रिया वही दिनबद्ध होती है। प्रकाशन योग्यता में ये पहले विशेषज्ञों की समितियाँ बनाती हैं त्रिन की राय से पांचों के विषय और उन के लेखक चुने जाते हैं। इन समितियों में विशेषज्ञों के बुलापति होते हैं, वहे लिङ्गा-अधिकारी होते हैं, और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। आवश्यकतामुक्त ये समितियाँ अलग अलग विषयों के लिए उपसमितियाँ प्राप्त लिखन के लिए फिर विशेषज्ञों की राय से चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं। ये उपसमितियाँ पांच लिखन के लिए फिर विशेषज्ञ नियुक्त करती हैं और उन विशेषज्ञों द्वारा रखनायी की जीव कर के रिपोर्ट देने के लिए फिर हुएरे विशेषज्ञ चुनती हैं। इस प्रकार ऊरार में बीचे तक विशेषज्ञों द्वारा रखे और रखाये गये पांच प्रकाशित विषयों में उपसमितियाँ होती हैं, जिनकी विशेषज्ञों की राय से चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं। यहाँ तक तो सारी प्रक्रिया वही प्रामाणिक और निर्दोष दीखती है। लेकिन प्रक्रिया का दोषक दण्ड इसके बाद खामो आता है। ये पांच वर्षोंके उच्चबद्ध होटि के अधिकारीों के लिए लिये जायाएं गये होते हैं इसलिए यथासमय पाठ्यक्रम समितियों में सामने भी पहुँचते हैं। ये समितियाँ भी विशेषज्ञों वो होती हैं विशेषज्ञ द्वारा चुनी जाती हैं। बहुधा इन में भी को ही सोग होते हैं जो प्रकाशन से पहले भी चलाव प्रतिया में विशेषज्ञ रहते हैं। आगिर ही ही प्रवेश में विभिन्न विद्यालयों के पदासीन विशेषज्ञ ही ही कितने। लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में बैठ कर ये ही विशेषज्ञ अपनी ही राय से चुने गये सोला स विषयाएं गये और अनुमोदित प्रकाशनों को छोड़कर व्यवसायी प्रकाशकों द्वारा दापो गयी पुस्तक इकाइयाँ बर लेते हैं और ये ही पुस्तकों विद्यालयों आती हैं। अर्थात् जहाँ खरीदने वा खपका उपयोगिता का महान उद्दारा है वहाँ ये विशेषज्ञ अपने किये-कराये वो अपासू घोषित कर देते हैं। इसका बया अर्थ सुषमा जाय? क्या यहाँ पर यह प्रसन्न नहीं उठता कि अतार दल का अंतिम निषय उही है लो उड़ते पहले के उन क सब निषय गलत थे? और अगर वे गलत थे तो या सो ये लगातार देर्मानी करते रहे या किर निषयत नहीं है? और अगर लगातार उनकी विशेषज्ञता झूटी थी

तो फिर उन के अन्तिम निर्णय पर भी कैसे भरोसा किया जाय ? या फिर प्राठवङ्गम निर्धारण समिति में ही उनका निर्णय गलत हुआ और पहले के सब निर्णय सही थे ? और यह बात मानी जाय तब किर वे ही सवाल उठते हैं कि क्या यह अन्तिम निर्णय बोईमनी का या या किसी-न-किसी तरह के भ्रष्टाचार या सोभ का प्रिरिकाम है ? हम नहीं जानते कि इन विशेषज्ञ समितियों में कभी यह सवाल उठाया जाता है या नहीं कि इस गृहसभा में यदि सर्वत्र नहीं तो किसी-न किसी एक कट्टी पर विशेषज्ञों ने भीतिप्राप्त और बुढ़िप्राप्त आचरण किया है जिसके लिए उन्हें लज्जित तो होना ही चाहिए, कभी वहीं दफ्तर भी होना चाहिए। लेकिन सारी प्रक्रिया ज्यो-की-त्यो चलती जा रही है। सभी लोग मोका पाते ही बेचारे लेखक को उपदेश देने लगते हैं या उससे जवाब दूतव फरने लगते हैं लेकिन समाज की दश्ती और विवेक को छाप करने में अपनी जिम्मेदारी पर विचार नहीं करते। इसीलिए तो मुझे बार-बार यहाँ पड़ता है कि लेखक को सब से अच्छी सहायता सरकार और सर्वानन्द की ओर से यही हो सकती है कि उसे उसके भाग्य और काम पर छोड़ दिया जाय। लेखक को तो अन्तत अपने नैतिक विवेक वा सामना करना पड़ता है और वही उसकी नियति वा निर्धारण कर देता है। सरकारों और संस्थानों को बराबर यह सुविधा रहती है कि उन्हें नैतिक विवेक का सामना करने की लाचारी से गुजरना नहीं पड़ता। इसीलिए लेखक का यह बहुविध होता है कि वह पूरे समाज में नैतिक विवेक को जगाये और उसे इसके लिए भी प्रेरित वरे कि वह भी सरकार को उसकी कसीटी पर उतरने को बाध्य करे।

## आन गाँव के सिद्ध

हमारे शहरों के विकास ने जिस तेजी से शहर के जीवन को देहात से (यानी अधिकतर भारत से) काटा है उसकी प्रक्रिया को तो कई लोगों ने लक्ष्य किया है। कुछ ने उस पर दुख भी प्रकट किया है। साहित्यकारों में जहाँ इस के बारें एक तरफ एक खास तरह या भावुक ददं पैदा हुआ है (अप्रेजी में अपनाये गये लातीनी भूल के शब्द मास्टेलिज्मा का शब्दार्थ है अपनों वा विरह अथवा अपनों के लिए ददं), वहाँ दूसरी तरफ कुछ साहित्यकारों ने इस टूटन को अपनी विशेषता बताकर इस तरह वे शहरीवरण का स्वागत भी किया है क्योंकि उनकी राय में यह नगर विकास का लक्षण है।

इस मामले में दिल्ली का विकास भारत के और सब शहरों से अलग ढग का रहा है। वहने को मथुरा तीन लोक से न्यारी थी, लेकिन बास्तव में दिल्ली का न्यारापन उससे भी विशिष्ट रहा है। बल्कि दिल्ली को तो शुरू से ही नयी दिल्ली नाम दे नौकरशाही गाँव ने नग्यन बना दिया था और जब से यह विशालकाय नौकरशाही गाँव अनर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आ गया है तब में सो पूछिये मत। इस प्रक्रिया की बहुत सी बातें विलक्षण हैं। लेकिन सभी का उल्लेख करना न तो सम्भव ही है, न यहाँ उसकी कोई आवश्यकता है। बाहरी लक्षण तो प्रब्रट ही हैं। एक समय या जब दिल्लीवासा अपनी विदेष वेष-भूषा और अपने बात करने के लहजे से पहचाना जाता था। नयी दिल्लीवाले की पोशाक और उमड़ा बोलने का ढंग ही नहीं बल्कि जो जबान वह बोलता है वह भी उसे और भारतवासियों से अलग कर देती है। अप्रेजी का प्रमुख तो सारे देश में है ही, जो लोग देशी जबान बोलना चाहता करते हैं वे भी अब किसी-न-किसी तरह की हिचड़ी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यह दिल्ली की विदेषता है कि वहाँ के लोग इस हिचड़ी को भी विलायती ढग से बोलते हैं। और तो और अब रेडियो और टेलीविजन पर भी हिन्दी अमेरिकी-उच्चारण के साथ और चबाकर बोली जाती है—यही सम्य हिन्दी है और

किसी दूसरी हिन्दी की याद दिलाने वाले सब साम्राज्यिक या दक्षियानूसी करार दे दिये जाते हैं !

लेकिन इस अन्तर्राष्ट्रीय नयी दिल्ली की एक और विशेषता है जो बाहर उतनी लक्षित नहीं होती, लेकिन जो शायद दूसरी सब साहित्यिक विशेषताओं से अधिक चिन्त्य है। वह है भारतीय साहित्य और साहित्यकार मात्र के प्रति उपेक्षा और अज्ञान (और अज्ञान के कारण फिर एक आत्मामक अवज्ञा) और उस के साथ-साथ विदेशी साहित्यकार मात्र के प्रति बढ़ा हुआ सम्मान—जिसे दैन्य भाव ही कहे तो शायद अस्युक्ति न होगी।

बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक पहलू है सास्कृतिक सम्बन्ध। सरकारी स्तर पर ये सास्कृतिक सम्बन्ध बास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय लोक-सम्पर्क का ही एक दूसरा नाम होते हैं। लोक-सम्पर्क द्वारा अपने देश के प्रति विदेशों में मैथी-भाव बढ़ाने वाले लोगों के सामने अगर यह बात स्पष्ट हो तो लोक-सम्पर्क को मास्कृतिक सम्बन्ध कहने में कोई दोष या खतरा नहीं है, लेकिन जहाँ सास्कृतिक सम्बन्ध के नाम से लोक-सम्पर्क करती हुई सरकारी सत्याएं अपने उद्देश्य को इस हृद तक भूल जाय कि सस्कृति का वेवल आयात होने लगे और मैथी भाव का केवल निर्यात, तब जरूर चिन्ता की बात हो जाती है। हम तो सभी को अपना मित्र या भाई मानकर उनके लिए और उनके आचार विचार, उनकी सस्कृति के लिए पलक-पाँवडे बिछाते रहे और यह मध्याल पूछना भी भूल जाय कि वे कहाँ तक हमें अपना मित्र मान रहे हैं, उनके देश में कहाँ तक हमारी सस्कृति और हमारे विचारों के प्रति सम्मान अथवा ग्रहणशीलता बढ़ी है यह लोक-सम्पर्क नहीं है, यह वेवल अपने को धोखा देना है और कहीं-कहीं तो आत्मसम्मान बेचने का भी पर्याय हो जाता है।

भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार विदेशों में घूमे हैं। कभी-कभी उनकी यात्राएँ निजी आधार पर भी रही हैं, कभी वे पढ़ाने भी गये हैं, कभी-कभी टूरिस्ट बन कर भी गये हैं, लेकिन अधिकतर उनकी यात्राएँ सास्कृतिक विनिमय के किसी न किसी बायंनम के अधीन होती रही है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि विदेश को किसी राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक सम्प्युता अथवा राष्ट्रीय साहित्य परिपद् (अकादमी) ने किसी साहित्यकार को अपने पार्गदो वा सम्बोधन करने के लिए आमनित किया हो ? यह न मही, यह भी कभी सुना कि किसी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने किसी भारतीय साहित्यकार के सम्मान के लिए कभी कोई गोप्ती या जलपान ही आयोजित किया हो ?

अब पलट कर आप विदेश में भारत आने वाले साहित्यकारों की स्थिति नियम कीजिय। साहित्यकार जरा व्यापक नाम है, विदेशों के सन्दर्भ में उसे अनुवादक, पत्रकार, रेडियो वार्ताकार, सिनेमा के मवाद लेखक और कठपुतली

रामब वे वाचिक अग के लेखक तब सब आ जाते हैं। सस्ति के द्वे में  
श्रियशील सभी तरह के सर्जनों और नये प्रयोग बरने वाला वो हमारा देश  
आदान प्रदान की योजना के अधीन आमनित परे, इमारा हम समर्थन करते  
हैं। यह बाम भारत सरखार की मास्टिप गम्बध परिपद (इडियन बौसिल  
फार वल्वर लिंगेश्वन) परे, यह भी व्यवस्था और मयोजन की गुविधा की ही  
बात है—दूसरे देश मेरा बाम उनसी अपनी समतुल्य एजेंसियों करती हैं।  
निटेन की बौसिल है जनवादी देश के सस्ति भवन (हाउस आफ वल्वर)  
होते हैं जापान की जापान फाउन्डेशन है। अमरीका ने अपनी मूचना एजेंसी  
वा नाम बदन कर सम्पर्व एजेंसी कर लिया है और अब वह व्यापक द्वे में  
म सस्तिक सम्पर्व का बाम करती है लेकिन मेरा बव परिपद और एजें-  
सिया सरखारी स्तर पर सस्तिक विनियम का बाम करती है—अर्थात्  
अपने देश के हित मे बाम करती है। अगर आयात निर्यत की शब्दावली का  
ही व्यवहार करना है तो कहे विषय है। लेकिन यह सब एजेंसियों अपनी सस्ति का निर्यत  
करती हैं और मंत्री का आयात करती है। वे चाहती हैं कि विदेश मे उनके  
देश के प्रति सद्भाव और प्रहणशीलता बढ़े यह नहीं कि उनका देश विदेशी  
क्या किया है, उसकी इन एजेंसियों मे तुलना करने लगे तो बात स्पष्ट हो  
जायेगी। मुस्तिम अयवा अरब देशों मे भारत के प्रति कुछ अनुकूलता पैदा  
करने का काम परिपद ने अवश्य किया—लेकिन वह भी कैसे? कुरान की  
प्राचीन हस्तालिकित प्रतियों ऐसे बुल्ल देशों को मैट कर के। लेकिन बाकी  
समार म उसने भारत की छवि प्रसारित करने के लिए क्या किया?

लेकिन असल बात मरखारी मास्टिप सम्पर्व की नहीं थी, साहित्यवार  
की प्रतिष्ठा की थी। और यही पर भारत की और बाकी सासार की—या  
ज्यादा मही ढग म बहुत तो नयी दिल्ली की ओर ममार की अन्य राजधानियों  
की दृष्टि का नेद माझ माफ दीपने लगता है। पारपरिक बमुर्देव कुटुम्बवद्म'  
या ढा० लोहिया क जदा म विश्वपारी के आधार पर इस अन्तर के अन  
देखा नहीं किया जा सकता। न ही भारतीय गाहित्यवार क प्रति वह उदा  
मीनता मही जानी गाहिए जो इम निहित है और जो भारत का दोहरा  
अहित बरती है व्याकि वह किदेशा म भी भारत की छवि को कुछ उज्ज्वल  
नहीं बरती।

किदेशा म राष्ट्रीय अन्वेषियों देश के साहित्य की प्रतिष्ठा और राष्ट्र-  
व्यापी मानदण्ड की व्यापना के लिए प्रयत्न करती है और लोक-सम्पर्व की  
मरखारी अयवा राज्य-नमर्यित सम्पादन अपने देश की सस्ति का बाहर प्रसार  
और उगो लिए समार म अनुकूलता पैदा करने का बाम करती है। दूसरे

वर्ग की स्थाएँ बाहर से भी जिन्हें आमन्त्रित करती हैं इसी उद्देश से परती हैं कि उन्हें अपने हित में प्रभावित कर सकें, उनका प्रभाव ग्रहण करने से लिए नहीं, यद्यपि यह तो साप्त ही है कि प्रभावों का आदान-प्रदान नियोजना के बाहर भी होता रहता है। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि बाहर भेजे जाते हैं वह भी आयात करने के लिए ही। विदेश में आने वाले तो हर बोटि के सस्तुतिकर्मी का खुला स्वागत होता है और यहाँ तो अकादेमियाँ भी इसी बाम में लगी हैं। शुल्क भी भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवादों का भी कुछ बाम उठाया गया था, लेकिन वह धीरे-धीरे भुला ही दिया गया है। अब छोटे-मोटे विदेशी सास्तुतिकर्मियों के लिए मच प्रस्तुत करने का बाम ही शायद मुम्य काम रह गया है। जैसा हम ने बहा, इन आमन्त्रितों के स्तर अथवा महत्व का भी कोई विवेच नहीं होता जान पड़ता—सस्तुति के विभिन्न क्षेत्रों में वार्ष करने वाले विसी भी विदेशी के लिए मच हाजिर है—कोई चाहे समोगवश ही दिल्ली में हो, सैर के लिए आया हो या विसी ने अपने देश के दूतावास से अकादेमी को पत्र लिखया दिया हो विं वह व्याख्यान के लिए उपलब्ध होगा।

माहित्य अकादेमी हिन्दी और अंग्रेजी में वैमासिक भी निवालती है और एक भारतीय साहित्य-कोश का भी बाम हो रहा है। यह बाम महत्व का है और हमारी बात का आशय यह नहीं है कि इसकी उपेक्षा हो। अकादेमी पुरस्कार भी देती है, यद्यपि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि वह राष्ट्रीय संस्था होने का दावा कर के भी राष्ट्रीय स्तर के एक पुरस्कार की स्थापना कर सके। ऐसी संस्था का जो काम होना चाहिए वही करने का प्रयत्न अगर वह कर रही है तो उस प्रयत्न के अधूरा होने पर भी हमारी महानुभूति उसके साथ होगी। लेकिन जो बाम उसका नहीं है वह उठाने पर या आधारभूत भान्तिया से आरम्भ करने पर तो उस की आलोचना होनी चाहिए और वही आलोचना होनी चाहिए। और हमें जान पड़ता है कि देशी और विदेशी माहित्यकारों के लिए अकादेमी संगठन की दृष्टि ऐसी ही आधारभूत भान्ति का परिणाम है। उस से देश में अपने साहित्य और भारतीय भाषाओं के साहित्यों के लिए अवज्ञा ही बढ़ी है और विदेशी से जो कुछ आता है उसकी परख करने की धमना दिन-ब दिन घटती जा रही है।

इस मामले में नयी दिल्ली की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। लेकिन यहाँ नयी दिल्ली में आशय केवल उस नौकरशाही उपनिवेश में नहीं है जो अपेक्षाया मुरक्कित ढग से एक नक्ली जीवन जीता रह सकता है। देश की राजधानी होने के नाते नयी दिल्ली का समूचे देश के प्रति एक विशेष वर्तम्य है और यह भाग समूचा देश कर सकता है कि राजधानी उम्म जिम्मेदारी को पूरा करे। मास्तुतिक स्तर पर वह जिम्मेदारी नयी दिल्ली में कव्वारे लगा कर या क़क्कीट की बलाकृतियाँ

बना बर पूरी नहीं हो जाती, उम वा एक राष्ट्रव्यापी आपाम है। अवादेशियाँ राष्ट्रीय होने वे नाने राष्ट्र वा प्रतिनिधित्व बरें और राष्ट्र वे मानदण्ड वा विकास भी। और सासुतिव विनियम के सगठन 'पीडे' के बागे दाखी जोतने का प्रथम छोड़ कर चौजो वो सही सन्दर्भ में रहें। विदेश वे प्रति लुंग रहते हुए देश की छवि को विदेशों में प्रक्षेपित बरें, भारत को विदेश बनाने वा साधन न बनें। इडियन कौमिल फार बहुरत रिसेप्शन्स वे एक अधिरारी ने हान ही में किमी वो गूचना दी वि "जीवित साहित्यकारों वे बारे में लेख लापने की नीति नहीं है।" तो वया देश की समृद्धि के लिए वह बेबल मृत्यु सत्कार का दायित्व स्वीकार करती है—और इसी सत्कार वे लिए विदेशा से 'विरादरी' को आमन्त्रित करती है।

## राजनैतिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति

संस्कृति की बात करने का जमाना नहीं है। जो लोग फिर भी हठपूर्वक उस की चर्चा करते हैं—जैसे कि मैं—उन्हे तुरत दो श्रेणिया में से किसी एक में डाल दिया जाता है (और मेरे जैसे व्यक्ति को तो दोनों ही श्रेणियों में डाल दिया जाता है)। या तो ऐसे लोग सब परम्परावादी, दक्षियानुसी दिमाग के हैं, या फिर किसी-न-विसी तरह के परम्परावादी सगठन से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह का वर्गीकरण सबसे अधिक हमारे देश में होता है—उस देश में जिसमें इस तरह का आसान रास्ता अपनाने वाले लोग साथ ही अपनी संस्कृति पर गर्व करने की मुद्रा अपनाना भी आवश्यक समझते हैं। यो तो यह प्रवृत्ति भी मूलत आसान रास्ता छुन लेने की प्रवृत्ति का ही एक पहलू है। नि सन्देह संस्कृति की दुहाई देकर परम्परावादी भी बने रहा जा सकता है और प्रतिक्रियावादी भी बना जा सकता है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि संस्कृति के मध्याल उठाये विना न आधुनिक बना जा सकता है, न प्रगति की जा सकती है और न वास्तव में मनुष्य ही बने रहा जा सकता है। यह बात केवल कला या संस्कृति के क्षेत्र का सत्य नहीं है, आज यह राजनीति का भी सत्य है और विज्ञान का भी, यहाँ तक कि आधुनिक जीव-विज्ञान भी इस बात को मानता है कि संस्कृति की प्रक्रिया समझे विना जीविक स्तर के विकास की दिशा भी नहीं सम्भाली जा सकती, दूसरे किसी विकास की बात तो बाद की बात है। और उन इन-गिने राजनीतिज्ञों ने भी, जो रोजमर्रा व्यावहारिक राजनीति के जाल में फँस कर गहराई से राजनीति के बारे में सोचना ही भूल नहीं गये, संस्कृति को नये सिरे से राजनीति से जोड़ने का प्रयत्न किया है वयों कि संस्कृति भी समाज से जुड़ी है और जो राजनीति समाज से नहीं जुड़ती वह घातक रूप ही ले सकती है। आज ससार के अधिस्थयक देशों में राजनीति की दिशा ऐसी है कि वह समाज-विकास से कट कर शुद्ध सत्ता की व्यवस्था में लग जाती है। नि सन्देह सत्ता के कुछ व्यवस्थापक 'जनता' का भी नाम लेते हैं और

कुछ देवल 'कानून और व्यवस्था' का; सेकिन मूलत. इन दोनों में उस स्तर पर कोई भेद नहीं रहता जहाँ सत्ता के अधिकरण की बात होती है। यानी जनता वो चर्चा भी जनता से सत्ता पाने वे सदमें में होती है, जनता को सत्ता देने के सदमें में नहीं।

सस्कृति का विचार इस नये सदमें में भी हो सकता है और हीना भी चाहिए। क्या हम सामाजिक सस्कृति और राजनीतिक सस्कृति की अवधारणा करके दोनों के सम्बन्धों पर विचार कर सकते हैं? क्या इस व्याख्या का प्रतिपादन किया जा सकता है कि राजनीतिक सस्कृति को सामाजिक सस्कृति वे अधीन और उसके द्वारा अनुशासित रहना चाहिए और यही दोनों का थेट सम्बन्ध होना है? क्या जब तक यह सम्बन्ध बना रहता है तब तक प्रशासनिक सत्ता समाज की सेवा में लगी रहती है और जब इसमें अतिक्रम हो जाता है तब भूता अपने को निरकुश मानकर समाज की इस्तेमाल करने लगती है? और अगर इस अवधारणा को (विवेचन वे तिए ही मही), मान कर भारत की आजादी के युग का और विशेष रूप से आज की स्थिति का अध्ययन किया जाय तो क्या कुछ उपयोगी और शिक्षाप्रद परिणाम निकल सकते हैं? क्या पहर्ता भी ऐसा नहीं हुआ है और हो रहा है कि राजनीतिक सस्कृति धीरे-धीरे सामाजिक सस्कृति का अनुशासन तोड़कर निरकुश हो गयी है और आज हमारा समाज एक निवेल (और इसलिए भ्रष्ट) समाज होकर एक अतिवेल (और इसलिए भ्रष्ट) राजनीति वे पेर में पड़ गया है? क्या यह सम्भव है कि सामाजिक सस्कृति और राजनीतिक सस्कृति के रिश्ते फिर मुझारे जा सकें? और क्या यह हिसा वे विना सम्भव है? बल्कि क्या हिसा में भी यह सम्भव है? क्या कोई भी कौसी भी हिसा सत्ताधिकरण में जुड़ी हुई नहीं होगी और इसलिए क्या वह अनिवार्यतया समाज के विरुद्ध निरकुश राजनीति वे पक्ष में नहीं जायेगी?

हम क्योंकि उन सोगों में म नहीं हैं जो मानते हैं कि प्रश्नों का हमारा दिया हुआ उत्तर सबसे अप्रदन भाव से स्वीकार वर लेना चाहिए, इसलिए हमें इसमें कोई दोष नहीं दीखता विं हम बहुत मे प्रश्न सामने रख दें जिनका उत्तर भी हम साथ-साथ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वास्तव में इन प्रश्नों के कोई अन्तिम उत्तर हैं ही नहीं। अगर सस्कृति एक जीवन्त प्रक्रिया है तो उससे सम्बद्ध सभी प्रश्न भी लगातार अपना रूप और लक्ष्य बदलते जायेंगे और इसी तरह उनके उत्तर भी सार्वक होने के लिए लगातार बदलते रहेंगे। किसी एक समय वे लिए कोई ताही प्रश्न उठा लेने में प्रश्नकर्ता उस गतिशाल प्रक्रिया में शामिल हो जाता है जिसमें प्रश्नों और उनसे के गतिशाल रूप वे साथ वह लगातार जुड़ता रहे।

यह प्रस्ताव करना तो गलत होगा कि शासन का सम्बन्ध सत्ता की व्यवस्था के साथ न रहे। वह सम्बन्ध हमेशा रहा है (वल्कि दोनों पर्याप्ति हैं) और आज सत्ता का विस्तार इतना हो गया है कि उस पर अकुश रखने के लिए कोई न कोई सम्भान होना ही चाहिए और वर्तमान परिस्थिति में वही राजकीय सम्भान होगा। इसलिए प्रश्न का रूप बदल जाता है और यह सबाल उठता है कि उस सम्भान दो निरकुश और अनानारी होने से रोकने वाला कौन सा सम्भान होगा। वही समाज है या होना चाहिए—एक समृद्धि समाज, क्याकि ऐसा ही समाज उन मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सकता है जिसका अनुशासन राज्य व्यवस्था पर रहना चाहिए। और न्याय—आप चाह तो वह लीजिए सामाजिक न्याय—दन मूल्यों में प्रमुख है। यह बात ध्यान में रखने की है कि न्याय की जिस व्यवस्था को चलाने का काम सरकार को और सरकारी अधिकरणों को सौंपा गया होता है उस न्याय की वास्तविक अवधारणा समाज की समृद्धि ही करती है। इसलिए सरकारें न्याय व्यवस्था की बात नहीं करती 'कानून और व्यवस्था' की बात करती है। उसके कानून जिस न्याय भावना पर आधारित होते हैं उसकी अवधारणा मूलत सामाजिक चेतना करती है—विधिवेत्ता जब-तब इसी न्याय भावना और उसके आधारभूत मूल्यों की व्यवस्था करते रहते हैं। ये मूल्य ही सविधानों के आधारभूत सिद्धान्त होते हैं।

इसरों यह स्पष्ट हो जायेगा कि जहाँ समाज और सामाजिक समृद्धि सतुर्लन बनाये रखने का अपना काम पूरा नहीं करती या वर सकती वहाँ शासन सत्ता निरकुश हो जायेगी और कानून की व्यवस्था वा आधार न्याय अथवा मूल्य-दृष्टि न होवर वेवल व्यवहार या तात्कालिक सुविधा रह जायेगी। विहार की वर्तमान सामान्य स्थिति वहाँ वे राजनीतिक और सामाजिक जीवन की व्यापक परिस्थिति और सरकारी शह से या प्रेरणा से होने वाली न्याय की हत्या इसका एक उदाहरण है। विचाराधीन केंद्रियों के साथ किये गये बदंग और अमानुपी व्यवहार के लिए सरकार और प्रशासन दो तो शम से ढुबना ही चाहिए, लेकिन वया यह भी सच नहीं है कि सरकार और उसके अधिकरणों को ऐसे बाम करने, करवान या होने देने की हिम्मत न हुई होती अगर समाज भी इस मामले में उदासीन न होता और कही-कही तो प्रशासन के कुकूत्यों का प्रवट या अप्रकट समर्थक भी न होता? क्योंकि समाज में कोई मूल्य-दृष्टि नहीं रही, उसकी न्याय भावना सो रही है या भर गयी है इसलिए तो ऐस अत्याचार सम्भव हो सके और इतनी निर्लंजता से उनका समर्थन भी हो सका। अवश्य ही कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने इन अत्याचारों की भरतनार की। लेकिन इन भर्त्तना करने वाला में भी कुछ थोड़े से ही थे जिनसे हम मूल्यों के सम्बन्ध में प्रामाणिक निर्देश दी आशा करते आये हैं। इनके अलावा

ऐसे भी ये जिन्होंने व्यावहारिक राजनीति के कारण अत्याचार का विरोध करना उपयोगी समझा, लेकिन फिर उससे आगे उस विरोध को व्यावहारिक रूप देने की — अपराधियों को दह देने की और भविष्य में उसकी सम्भावना रोकने की—बोई जहरत नहीं समझी।

राजनीतिक समृद्धि और सामाजिक समृद्धि वे मामले वी चर्चा में यह स्पष्ट बरन पर कि मूल्य-दृष्टिओं और न्याय भावना वी प्रतिष्ठा करने का बाप पूरे समाज का है और उम प्रशासनिक रूप देने का बाप राजनीतिक समाज का, एक सवाल जहर भावने आता है। आपत्ति उठायी जाती है कि सामाजिक समृद्धि तो समाज म उस समय प्रभुता प्राप्त वर्गों के सबेदना का ही प्रतिविम्ब होती है, इसलिए किसी भी समय की सामाजिक समृद्धि उस समय के प्रभुता-सम्पन्न वर्गों की मूल्य-दृष्टिपर आधारित होती और ये मूल्य स्वभावत उसी वर्ग या उन्हीं वर्गों के हितों के पोषक होते। इस आपत्ति में बोई सार नहीं है, यह कहना तो बिलकुल गलत होगा, नेकिन उतना ही गलत यह भी होगा कि हम यह मान लें कि समाज में प्रतिष्ठित मूल्यों की अवधारणा का एकमात्र आधार वर्ग-हित होते हैं। यह मान लेना एक और मानव के दौदिक, मानसिक और आच्यात्मिक विकास को नकारना होगा, प्रदृढ़ व्यक्ति की भी वर्ग-हित से ऊपर उठ सकने की सम्भावना को नकारना होगा, दूसरी ओर यह सामाजिक जीवन म हिसा को एक रखायी प्रतिष्ठा और अनिवार्यता दे देना होगा। अगर वर्ग-स्वार्थ ही मूल्या का एकमात्र आधार हैं तो वर्ग-स्वार्थ ही उस में सुधार का एकमात्र उपाय है। हमें यह परिणाम स्वीकार्य नहीं है, वर्ग-जेतना भी परिवेश का एक प्रभुता और क्रियाशील तत्त्व है, नेकिन उसकी क्रियाशीलता का एक-मात्र रास्ता मध्ये अथवा वर्गशन हिसा है इसे मान लेना यही मानना है कि विभाग की एकमात्र प्रेरणा सामाजिक हिसा है।

हम मोचते हैं कि मानवीय समृद्धि जहाँ तक पहुँची है, और यार-यार पथ म भटककर भी उसने अब तक जो बुछ सीखा है, वह गव इस मानवता के विरुद्ध पड़ता है। हिसा अनिवार्य नहीं है। और अगर अनिवार्य नहीं है तो न्याय की अवधारणा में हम उसी सामाजिक न्याय और उसी के आधारभूत मूल्या को खोजना है उन्हीं मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न करना है जो हिसा पर आधारित नहीं है और जो हिसा की अनिवार्यता को स्वयंमिद्ध मान कर नहीं सकते।

अगर आज भी हमें यह प्रयत्न करना है और हम इसे सम्भव मानते हैं कि शासन-सत्ता के ऊपर सामाजिक समृद्धि का पार्दक्षम अनुशासन हो सके, तो हम इसी चुनौती का सम्मना करना है। न्याय नरकारे नहीं बौद्धी; सारकारे बानून और अवस्था नहीं रक्षा करती है। न्याय की प्रतिष्ठा पूरा-का-पूरा

समाज करता है। और अगर नहीं करता तो उम का नवीजा भोगना है। हिमा होती है, और हिमा की सन्तान सबसे पहले अपने जनक को साती है। युछ लोगों के लिए उम दृश्य की वल्पना भी मुख्य हो सकती है, हमारी वल्पना को प्रेरणा देने वाले दृश्य दूसरे हैं।

□

